क.

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।

भारत का संघ और ए. एन. आर. (2013 की रिट याचिका (सी) संख्या 59) 13 जनवरी, 2023 *

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

आय कर अधिनियम, 1961 -धारा 10 (26 एएए)-सिक्किम विषय विनियम, 1961-आरआर।3 और 4-समानता का अधिकार-भेदभाव का निषेध-खंड 26 एएए से एस।10 आयकर अधिनियम, 1961 ने "सिक्किम" लोगों को छूट प्रदान की-खंड 26 एएए के स्पष्टीकरण में "सिक्किम" शब्द को परिभाषित किया गया-एस को स्पष्टीकरण में "सिक्किम" की परिभाषा। 10(26 एएए) इस हद तक इसमें उन भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है, जो 26.04.1975 पर भारत के साथ सिक्किम के विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं।10(26 एएए) जहाँ तक यह छूट प्राप्त श्रेणी से बाहर है "एक सिक्किम की महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है"-चुनौती-आयोजित (प्रति एम. आर. शाह, जे.):सिक्किम की कुल 95 प्रतिशत आबादी एस का लाभ उठा रही है।10(26 आय कर अधिनियम के एएए) और केवल 5 प्रतिशत छूट गए हैं और जिनमें से केवल 1 प्रतिशत पुराने भारतीय बसने वालों जैसे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके नाम याचिकाकर्ता की तरह "सिक्किम विषयों" के रूप में पंजीकृत नहीं किए जा सके।10(26 एएए) सिक्किम के निवासियों को आयकर के भुगतान से छूट देना है-ऐसे सभी भारतीय/नागरिक, जो 26.04.1975 पर सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए-वे एक ही समूह/वर्ग का निर्माण करते हैं और इसके तहत छूट के हकदार हैं।एस. 10 (26 ए. ए. ए.)-उन "सिक्किम विषयों" के बीच कोई अंतर और/या अंतर नहीं है, जिनके नाम विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज हैं और उन भारतीयों के बीच कोई अंतर नहीं है, जो सिक्किम के विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं, लेकिन जिनके नाम रजिस्टर में "सिक्किम विषयों" के रूप में दर्ज नहीं किए गए थे-केवल इसलिए कि प्रासंगिक समय पर और जब विनियम, 1961 लागू किया गया था, सिक्किम में बसने वाले भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता का समर्पण नहीं किया था या उनके पिता/पूर्वजों के नाम विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए थे, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वे "सिक्किम" नहीं रह गए हैं-बहिष्करण।

ग

डी.

ई.

च

जी.

*एड। ध्यान दें:8 फरवरी, 2023 के बाद के आदेश को [2023] 10 एस. सी. आर. 368 में 13 जनवरी, 2023 के वर्तमान निर्णयों के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

एच.

क.

पुराने भारतीय बसने वालों में से, जो सिक्किम के भारत के साथ विलय से पहले 26.04.1975 पर सिक्किम में बस गए हैं। 10(26 एएए) मनमाना, भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है-अपवर्जन का अधिनियम बनाने के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है।10(26 एएए) को प्राप्त करने के लिए-कोई उचित बोधगम्य अंतर नहीं दिखाया गया है और इसलिए,

इसे मनमाना कहा जा सकता है-इसलिए, याचिकाकर्ता और समान रूप से स्थित व्यक्ति जो पुराने भारतीय बसने वाले हैं, जो 26 अप्रैल, 1975 को सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं, वे भी धाराओं के तहत छूट के हकदार होंगे। 10 (26 आई. टी. अधिनियम, 1961 का ए. ए. ए.)-इसके अलावा, "एक सिक्किम की महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है" को छूट श्रेणी से बाहर करने के लिए कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है और/या प्रदर्शित किया गया है-भेदभाव लिंग पर आधारित है जो पूरी तरह से कला का उल्लंघन है।14, 15 और संविधान का 21-छूट के लाभ को अस्वीकार करना।10(26 आयकर अधिनियम की ए. ए. ए.) "एक सिक्किम की महिला के लिए, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है" मनमाना, भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।10(26 एएए) जहाँ तक यह छूट प्राप्त श्रेणी से बाहर है "एक सिक्किम की महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है"

ग

डी.

निरस्त किया जाना है-आयोजित (प्रति बी. वी. नागरत्ना, जे.):इसके तहत

1961 महिला विवाह के लिए विनियमन, सिक्किम में अधिवास होने का दर्जा प्राप्त करने और सिक्किम विषय होने या सिक्किम विषय के रूप में अधिवास या दर्जा खोने का आधार रहा है-एक सिक्किम महिला का विवाह भी उसके खिलाफ भेदभाव का आधार है, जबकि 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद एक सिक्किम पुरुष द्वारा एक सिक्किम या गैर-सिक्किम महिला से विवाह करने के मामले में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है।10(26 एएए) एक "व्यक्ति" को संदर्भित करता है, इसमें सिक्किम के पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, वास्तव में, सभी लिंग-इसलिए, इसमें केवल सिक्किम के पुरुषों के लिए प्रतिबंधात्मक या अदूरदर्शी संदर्भ नहीं हो सकता है और उन सिक्किम की महिलाओं को बाहर नहीं किया जा सकता है-तत्काल मामले में, परंतुक प्रावधान के साथ-साथ विवाहित सिक्किम की महिलाओं की उन श्रेणियों के संबंध में स्पष्टीकरण को ओवरराइड कर रहा है-परंतुक स्वाभाविक रूप से सिक्किम की महिलाओं की एक विशेष श्रेणी के खिलाफ मनमाना और भेदभावपूर्ण है-इसलिए, सभी सिक्किम की महिलाएं एस के लाभ के हकदार हैं।10(26 ए. ए. ए.) इसके स्पष्टीकरण के अनुसार चाहे वे किसी सिक्किमवासी से विवाह करें या गैर-सिक्किमवासी से-खंड (26 ए. ए. ए.) के प्रावधान।10 आई. टी. अधिनियम, 1961 को ए के रूप में निरस्त कर दिया गया है।

ई.

च

जी.

एच.

291

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर.

कला का उल्लंघन।14 और 15-छूट का उद्देश्य और उद्देश्य केवल सिक्किम में बसने वालों या 1961 के विनियमन या सरकारी आदेशों के संदर्भ में सिक्किम में अधिवासित व्यक्तियों को छूट देना है-26 अप्रैल, 1975 तक सिक्किम में अधिवासित सभी व्यक्ति और जो तब से भारत के नागरिक बन गए हैं, वे आयकर के भुगतान से छूट के हकदार हैं-केवल ऐसे व्यक्ति ही छूट के हकदार हैं जो स्पष्टीकरण के तीन खंडों के भीतर आते हैं-भारत के अन्य सभी नागरिक जो स्पष्टीकरण के दायरे में नहीं आते हैं और जो 26 अप्रैल, 1975 के बाद सिक्किम राज्य में अधिवासित हैं, उन्हें छूट का लाभ नहीं मिलेगा-यह भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि सिक्किम में उन बसने वालों का संबंध है जो इसके बाद सिक्किम में अधिवासित हुए हैं।10 (26 एएए)-इसलिए, विधायी रिक्तता को भरने के लिए उस संबंध में निर्देश जारी किए जाने चाहिए और स्पष्टीकरण में संशोधन आवश्यक है-भेदभाव को समाप्त करने और स्पष्टीकरण को असंवैधानिक होने से बचाने के लिए जारी किए गए निर्देश-भारत का संविधान-कला।14, 15, 21 और 142। विधियों की व्याख्या-आंतरिक सहायता-प्रावधान-आयोजित कार्यःपरंतुक का सामान्य कार्य प्रावधान में से किसी चीज़ को छोड़कर या उसमें अधिनियमित किसी चीज़ को अर्हता प्राप्त करना है, जो परंतुक के लिए प्रावधान के दायरे में होगा-किसी अधिनियम में एक परंतुक जोड़ा जाता है ताकि अधिनियम में जो है उसे अर्हता प्राप्त की जा सके या अपवाद बनाया जा सके-एक

परंतुक को प्रावधान को रद्द करने या अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार को पूरी तरह से छीनने के रूप में नहीं माना जा सकता है- यदि यह ऐसा करता है और भेदभावपूर्ण है तो यह भारत के संविधान के समानता खंडों का उल्लंघन करता है।

ग

डी.

ई.

च

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहाः

जी.

एम. आर. शाह, जे. **1** के अनुसार।आयकर अधिनियम, **1961** की धारा **10 (26** एएए**)** का उद्देश्य सिक्किम के निवासियों को आयकर अधिनियम के तहत आयकर के भुगतान से छूट देना है। इसलिए, ऐसे सभी भारतीय/नागरिक, जो इससे पहले सिक्किम में बस गए हैं।

एच.

क.

26.04.1975 पर भारत के साथ सिक्किम के विलय को समान माना जाना चाहिए और वे एक ही समूह/वर्ग बनाते हैं और आयकर अधिनियम की धारा **10 (26** एएए**)** के तहत छूट के हकदार हैं। इस प्रकार, उन "सिक्किम विषयों" के बीच कोई अंतर और/या अंतर नहीं है, जिनके नाम सिक्किम विषय विनियम, **1961** के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज हैं और वे भारतीय, जो सिक्किम के विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं, लेकिन जिनके नाम सिक्किम विषय विनियम, **1961** के तहत बनाए गए रजिस्टर में "सिक्किम विषय" के रूप में दर्ज नहीं हैं।सब "सिक्किमी" हैं।केवल इसलिए कि प्रासंगिक समय पर और जब सिक्किम विषय विनियम, **1961** अधिनियमित किया गया था, सिक्किम में बसे भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता का समर्पण नहीं किया था या उनके पिता/पूर्वजों के नाम सिक्किम विषय विनियम, **1961** के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे "सिक्किमवासी" नहीं रह गए हैं।वे सभी समान रूप से उन "सिक्किमियों"/"सिक्किम विषयों" के साथ स्थित हैं, जो सभी **26.04.1975** पर सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं।धारा **10 (26** एएए**)** का उद्देश्य और उद्देश्य सिक्किम के निवासियों को आयकर अधिनियम के तहत आयकर के भुगतान से छूट का लाभ देना है।इसलिए, उन भारतीयों को बाहर करने में कोई सांठगांठ हासिल करने की कोशिश नहीं की गई है, जो **26.04.1975** पर भारत के साथ सिक्किम के विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं, लेकिन उनके नाम "सिक्किम विषय" के रूप में दर्ज नहीं हैं।भारत संघ भारतीयों के ऐसे वर्ग को बाहर करने के लिए किसी भी उचित वर्गीकरण और/या सांठगांठ को पूरा करने में विफल रहा है, जो वास्तव में **26.04.1975** से पहले सिक्किम में बस गए हैं।इसलिए, धारा **10 (26** एएए**)** में "सिक्किमी" की परिभाषा से सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बसे पुराने भारतीय बसने वालों को बाहर करना मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** का उल्लंघन है।**[**पैरा **13.1] [312-**डी**-**एच**; 313-**ए**-**बी**]**

ग

डी.

ई.

च

2. वर्तमान मामले में**,** बहिष्करण का आयकर अधिनियम की धारा **10 (26** एएए**)** को लागू करने के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है।कोई उचित बोधगम्य अंतर नहीं दिखाया गया है और इसलिए**,** इसे मनमाना कहा जा सकता है।इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि धारा **10 (26** ए**.** ए**.** ए**.)** इस हद तक पुराने भारतीय बसने वालों को बाहर करती है**,** जो **26.04.1975** पर सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए थे।

जी.

एच.

293

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर.

लेकिन जिनके नाम "सिक्किम विषय" के रूप में दर्ज नहीं हैं**,** "सिक्किम" की परिभाषा से यह अधिकार से बाहर है**,** जो मनमाना**,** भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** का उल्लंघन है।आयकर अधिनियम की धारा **10 (26** एएए**)** में "सिक्किमी" की परिभाषा में वे सभी भारतीय भी शामिल होंगे**,** जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले **26.04.1975** पर सिक्किम में स्थायी रूप से बस गए हैं**,** भले ही उनके नाम सिक्किम विषय विनियम**,** **1961** के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किए गए हों या नहीं।इसलिए**,** याचिकाकर्ताओं की तरह "सिक्किमवासी"**,** जो पुराने भारतीय निवासी हैं और जो **26.04.1975** पर भारत के साथ सिक्किम के विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं**,** वे भी आयकर अधिनियम**,** **1961** की धारा **10 (26AAA)** के तहत छूट के हकदार होंगे।**[**अनुच्छेद **13.4** और **14] [313-**जी**;** **314-**बी**-**डी**]**

ग

3. जहां तक धारा **10 (26** ए**.** ए**.** ए**.)** के प्रावधान को चुनौती देने का सवाल है**,** जहां तक कि यह छूट प्राप्त श्रेणी से बाहर है**,** "एक सिक्किम महिला**,** जो **01.04.2008** के बाद एक गैर**-**सिक्किम से शादी करती है" का सवाल है**,** तो "एक सिक्किम महिला**,** जो **01.04.2008** के बाद एक गैर**-**सिक्किम से शादी करती है" को छूट प्राप्त श्रेणी से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है और/या प्रदर्शित किया गया है।उपरोक्त के अलावा**,** यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद **14,15** और **21** द्वारा प्रभावित है।भेदभाव लिंग पर आधारित है**,** जो भारत के संविधान के अनुच्छेद **14,15** और **21** का पूरी तरह से उल्लंघन है।सिक्किम के एक व्यक्ति के लिए कोई अयोग्यता नहीं है**,** जो **01.04.2008** के बाद एक गैर**-**सिक्किमी से शादी करता है।एक महिला एक संपत्ति नहीं है और उसकी अपनी एक पहचान है**,** और केवल शादीशुदा होने के तथ्य को उस पहचान को नहीं छीनना चाहिए।**[**पैरा **15] [314-**डी**-**जी**]**

डी.

ई.

च

4. "एक सिक्किम की महिला**,** जो **01.04.2008** के बाद एक गैर**-**सिक्किम से शादी करती है" को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है।एक सिक्किम की महिला**,** जिसने **01.04.2008** से पहले एक गैर**-**सिक्किम से शादी की है**,** धारा **10 (26AAA)** के तहत प्रदान की गई छूट का लाभ पाने की हकदार है।**01.04.2008** की कट ऑफ तिथि तय करने के लिए कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है।"एक सिक्किम की महिला**,** जो **01.04.2008** के बाद एक गैर**-**सिक्किम से शादी करती है" को छोड़कर और "एक सिक्किम की महिला**,** जिसने **01.04.2008** से पहले एक गैर**-**सिक्किम से शादी की है" को शामिल करके हासिल किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।इसलिए**,** "एक सिक्किमवासी" को आयकर अधिनियम की धारा **10 (26** ए**.** ए**.** ए**.)** के तहत छूट के लाभ से वंचित करना।

जी.

एच.

क.

महिला, जो **01.04.2008** के बाद एक गैर-सिक्कीमी से शादी करती है, मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** का उल्लंघन है।इसलिए, धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** के प्रावधान को भी निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह छूट प्राप्त श्रेणी "एक सिक्किम की महिला, जो **01.04.2008** के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है" से बाहर है। इसलिए, धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** का प्रावधान क्योंकि यह एक सिक्किम की महिला को छूट के प्रावधान से केवल इसलिए बाहर करता है क्योंकि वह **01.04.2008** के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है, पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद **14,15** और **21** का उल्लंघन है, जिसे निरस्त करने की आवश्यकता है।**[**पैरा **15.1** और **16] [315-**ए-डी**]**

ग

डी. एस. नकारा बनाम भारत संघ **(1983) 1** एस. सी. सी. **305:[1983] 2** एस. सी. आर. **165;** राजस्थान राज्य बनाम मनोहर सिंहजी द्वितीय **[1954]** एस. सी. आर. **996** और शायरा बानो बनाम।संघ

भारत (2017) 9 एस. सी. सी. 1:[2017] 9 एस. सी. आर. 797-अनुसरण किया गया।जी. सेकर बनाम गीता और अन्य। (2009) 6 एससीसी 99:[2009] 5 एस. सी. आर. 1005-पर निर्भर।

डी.

विशुंडस हुंडुमल बनाम एम. पी. राज्य **(1981) 2** एस. सी. सी. **410:[1981] 3** एस. सी. आर. **234** और अनुज गर्ग और अन्य बनामहोटल

एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। (2008) 3 एससीसी 1:[2007] 12 एस. सी. आर. 991 संदर्भित है।

बी. वी. नागरत्ना, जे.

ई.

1. सिक्किम विषय विनियम, **1961** के तहत, जहां तक महिलाओं का संबंध है, विवाह सिक्किम में अधिवास होने और सिक्किम विषय होने या सिक्किम विषय के रूप में अधिवास या स्थिति खोने का आधार रहा है।सिक्किम की महिला का विवाह भी उसके खिलाफ भेदभाव का आधार है, जबकि **1** अप्रैल, **2008** को या उसके बाद सिक्किम के पुरुष द्वारा सिक्किम की या गैर-सिक्किम की महिला से विवाह करने के मामले में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है।जब आयकर अधिनियम, **1961** की धारा **10** के खंड **26** एएए के स्पष्टीकरण में एक "व्यक्ति" को संदर्भित किया गया है, तो इसमें सिक्किम के पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, वास्तव में, सभी लिंग; इसमें केवल सिक्किम के पुरुषों के लिए प्रतिबंधात्मक या अदूरदर्शी संदर्भ नहीं हो सकता है और उन सिक्किम की महिलाओं को इस प्रावधान के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है।एक परंतुक एक प्रावधान से अधिक नहीं हो सकता है।लेकिन तत्काल मामले में, अधिनियम, **1961** की धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** का परंतुक परंतुक में निर्दिष्ट विवाहित सिक्किम की महिलाओं की उन श्रेणियों के संबंध में प्रावधान के साथ-साथ स्पष्टीकरण को ओवरराइड कर रहा है जो अनुज्ञेय नहीं है।इस प्रकार, प्रावधान स्वाभाविक रूप से ए है

च

जी.

एच.

295

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर.

सिक्किम की महिलाओं की एक विशेष श्रेणी के खिलाफ मनमाना और भेदभावपूर्ण।दूसरे शब्दों में, आई. टी. अधिनियम, **1961** की धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** के स्पष्टीकरण में सिक्किम के पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं।इस तरह की व्याख्या

होने के कारण, परंतुक स्पष्टीकरण और धारा के भी विरोधी है।आई. टी. अधिनियम, **1961** की धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** के स्पष्टीकरण में "एक व्यक्ति" अभिव्यक्ति में सिक्किम की महिलाओं सहित सभी लिंगों को शामिल किया जाना चाहिए।केवल लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।इसलिए, सभी सिक्किम की महिलाएं आई. टी. अधिनियम, **1961** की धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** के लाभ की हकदार हैं, चाहे वे सिक्किम की हों या गैर-सिक्किम की, इसके स्पष्टीकरण के अनुसार।**[**पैरा **50,51,53** और **55] [340-**सी, डी; **341-**ई-जी; **342-**सी-डी**]**

ग

2. सिक्किम के भारत के साथ विलय के बाद, जिसके कारण सिक्किम भारत के सभी राज्यों में से एक बन गया है और सिक्किम के क्षेत्र में रहने वाले सभी सिक्किम के लोग भारतीय नागरिक बन गए हैं, सिक्किम की महिलाओं द्वारा गैर-सिक्किम व्यक्ति से शादी करने के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी, वह भी **1** अप्रैल, **2008** को या उसके बाद।इसलिए इस तरह का भेदभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** और **15** के तहत प्रदान की गई समानता की गारंटी का उल्लंघन है क्योंकि यह लिंग और नस्ल के आधार पर है।इसलिए, आई. टी. अधिनियम, **1961** की धारा **10** के खंड **(26** ए. ए. ए.**)** का प्रावधान असंवैधानिक लिंग-आधारित भेदभाव का एक स्पष्ट उदाहरण है और इसे निरस्त किया जा सकता है।**[**पैरा **56] [342-**डी-एफ**]**

डी.

ई.

3. परंतुक स्पष्टीकरण के विपरीत है और इस प्रकार स्पष्ट रूप से मनमाना है।ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पष्टीकरण का इरादा आई. टी. अधिनियम, **1961** की धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** का लाभ उन सभी सिक्किमियों को देना है जिन्हें उक्त स्पष्टीकरण के तहत उन 'व्यक्तियों' के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके नाम **26** अप्रैल, **1975** से तुरंत पहले सिक्किम विषयों के रजिस्टर में दर्ज और पंजीकृत किए गए हैं या जिन्हें भारत सरकार के आदेश संख्या **26030/36/90** आई. सी. आई. दिनांक **7** अगस्त, **1990** और सम संख्या आदेश दिनांक **8** अप्रैल, **1991** के अनुसार शामिल किया गया है, या वे व्यक्ति जिनके नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं आते हैं, लेकिन यह स्थापित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या दादा या भाई का नाम उसी पिता से उसमें दर्ज किया गया था।इसलिए, स्पष्टीकरण का लाभ सभी सिक्किम की महिलाओं को दिया जाना चाहिए, चाहे वे कुछ भी हों।

च

जी.

एच.

क.

उन्होंने **1** अप्रैल, **2008** के बाद एक सिक्किमी या गैर-सिक्किमी से शादी की है।इस प्रकार आई. टी. अधिनियम, **1961** की धारा **10** के खंड **(26** ए. ए. ए.**)** के प्रावधान को भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** और **15** के उल्लंघन के रूप में निरस्त कर दिया गया है।**[**पारस **64** और **65] [352-**एच; **353-**ए-सी**]**

4. स्पष्टीकरण केवल उन सिक्किम के व्यक्तियों के लिए छूट को प्रतिबंधित करता है जो स्पष्टीकरण के तीन खंडों के भीतर आते हैं, क्योंकि छूट का उद्देश्य और उद्देश्य केवल सिक्किम में बसने वालों या **1961** के विनियमन या ऊपर निर्दिष्ट सरकारी आदेशों के संदर्भ में सिक्किम में अधिवासित व्यक्तियों को छूट देना है।यद्यपि **1961** के विनियम को निरस्त कर दिया गया है, फिर भी, सिक्किम विषयों का रजिस्टर, जिसे उक्त विनियम के तहत बनाए रखा गया है, जो एक पवित्रता प्राप्त कर चुका है, छूट देने का आधार रहा है और विशेष रूप से आई. टी. अधिनियम, **1961** की धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** के स्पष्टीकरण के खंड **(iii)** के रूप में।इसका तात्पर्य यह होगा कि वे सभी व्यक्ति जो स्पष्टीकरण के दायरे और दायरे से बाहर आते हैं, उन्हें छूट नहीं दी जाएगी।फिर, याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव के सवाल उठेंगे।वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक बन गए हैं और **26** अप्रैल, **1975** तक सिक्किम में अधिवासित थे, वे भी पंजीकरण और छूट के लाभ के हकदार हैं।इस प्रकार **26** अप्रैल, **1975** तक सिक्किम में अधिवासित सभी व्यक्ति और जो तब से भारत के नागरिक

बन गए हैं, वे आई. टी. अधिनियम, **1961** की धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** के अनुसार आयकर के भुगतान से छूट के हकदार हैं।**[**पारस **73** और **74] [364-**डी-जी**]**

ग

डी.

ई.

5. केवल ऐसे व्यक्ति ही छूट के हकदार हैं जो स्पष्टीकरण के तीन खंडों के भीतर आते हैं।इसलिए, स्पष्टीकरण का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह आई. टी. अधिनियम, **1961** के तहत आयकर के भुगतान से छूट देने के उद्देश्य से "सिक्किम" अभिव्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति में है।हालाँकि, छूट को ऐसे सभी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए जो **26** अप्रैल, **1975** को सिक्किम में अधिवासित हैं और जो तब से भारत के नागरिक बन गए हैं।इसका मतलब यह होगा कि भारत के अन्य सभी नागरिक जो ऊपर बताए गए स्पष्टीकरण के दायरे में नहीं आते हैं और जो **26** अप्रैल, **1975** के बाद सिक्किम राज्य में अधिवासित हैं, उन्हें आई. टी. अधिनियम, **1961** की धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** के तहत छूट का लाभ नहीं मिलेगा।इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति ए

च

जी.

एच.

297

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर.

उक्त खंड के अंतर्गत नहीं आने पर वह उक्त छूट का हकदार नहीं होगा।हालाँकि, जहाँ तक सिक्किम में बसने वालों का संबंध है, यह भेदभावपूर्ण होगा, जो **1961** के विनियमन की घोषणा के बाद और **26** अप्रैल, **1975** तक सिक्किम में निवास कर चुके हैं, जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ था।ऐसे व्यक्ति पुराने बसने वाले हैं जो **26** अप्रैल, **1975** से भारत के नागरिक बन गए हैं, लेकिन जो उक्त तिथि से पहले सिक्किम में अधिवासित थे।वे धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** के तहत छूट के भी हकदार हैं। इसलिए, विधायी रिक्तता को भरने के लिए उस संबंध में निर्देश जारी किए जाने चाहिए और स्पष्टीकरण में संशोधन आवश्यक है।हालाँकि, वे व्यक्ति जो **26** अप्रैल, **1975** के बाद सिक्किम में अधिवासित हुए हैं, वे आयकर के भुगतान से छूट के लाभ के हकदार नहीं होंगे।**[**पारस **75** और **76] [364-**एच**; 365-**ए-बी**;** डी-एफ**]**

ग

6. इस न्यायालय ने पिछले अवसरों पर विधायी रिक्तता के क्षेत्रों में भी नागरिकों के अधिकारों को लागू करने की मांग की है। इसके लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद **142** को लागू किया गया है और रिक्तता को भरने के लिए इस तरह से घोषित कानून को इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद **141** के तहत घोषित कानून के रूप में माना गया है जब तक कि एक उचित कानून नहीं बनाया जाता है।**[**पैरा **77; 365-**जी**]**

डी.

7.1 भारत संघ आई. टी. अधिनियम, **1961** की धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** के स्पष्टीकरण में संशोधन करेगा, ताकि **26** अप्रैल, **1975** को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित सभी भारतीय नागरिकों को आयकर के भुगतान से छूट देने के लिए एक खंड उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सके।इस तरह के निर्देश का कारण असंवैधानिकता से स्पष्टीकरण को बचाना और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में समानता सुनिश्चित करना है।**[**पैरा **79; 367-**बी**]**

ई.

च

7.2 जब तक संसद द्वारा आई**.** टी**.** अधिनियम**, 1961** की धारा **10 (26** ए**.** ए**.** ए**.)** के स्पष्टीकरण में ऐसा संशोधन नहीं किया जाता है**,** तब तक कोई भी व्यक्ति जिसका नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं आता है**,** लेकिन यह स्थापित किया जाता है कि ऐसा व्यक्ति **26** अप्रैल**, 1975** को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित था**,** छूट के लाभ का हकदार होगा। यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है ताकि सिक्किम की उपरोक्त श्रेणी के संबंध में भेदभाव और असमानता को समाप्त किया जा सके**,** जो बाद में **26** अप्रैल**, 1975** से भारत के नागरिक बन गए हैं और स्पष्टीकरण को असंवैधानिक होने से बचाया जा सके।**[**पैरा **79; 367-**सी**-**ई**]**

जी.

एच.

298 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

क.

7.3 धारा **10 (26** ए**.** ए**.** ए**.)** का प्रावधान**,** जहां तक इसमें शामिल नहीं है

छूट प्राप्त श्रेणी से**,** "एक सिक्किम महिला जो **1** अप्रैल**, 2008** के बाद एक गैर**-**सिक्किम पुरुष से शादी करती है**"** को भारत के संविधान के अनुच्छेद **14,15** और **21** के अधिकार से बाहर होने के रूप में खारिज कर दिया जाता है।**"**

[पैरा **79; 367-**ई**-**एफ**]**

विशाखा और ओआरएस**.** वी**.**राजस्थान राज्य**,** ए**.** आई**.** आर**. 1997**

एससी **3011:[1997] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 404-**अनुसरण किया गया।

एस**.** के**.** दत्ता बनाम लॉरेंस सिंह इंग्टी**,** ए**.** आई**.** आर**. 1968** एस**.** सी**. 658:[1968] 2** एस**.** सी**.** आर**. 165;** उड़ीसा लिमिटेड की दक्षिणी विद्युत आपूर्ति कंपनी बनाम**.**श्री सीताराम राइस मिल **(2012) 2**

एससीसी 108:[2011] 15 एस. सी. आर. 211; एफाली फार्मास्युटिकल्स

ग

लिमिटेड वी**.**महाराष्ट्र राज्य **(1989) 4** एससीसी **378:[1989] 1** पूरक।एससीआर **129;** अनुज गर्ग और ओआरएस**.** वी**.**होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। **(2008) 3** एससीसी **1:[2007] 12** एससीआर **991;** जी**.** सेकर बनाम गीता **(2009) 6** एससीसी **99:[2009] 5** एस**.** सी**.** आर**. 1005;** एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा एयर

1981 एससी 1829:[1982] 1 एस. सी. आर. 438; एयर इंडिया केबिन

डी.

क्रू एसोसिएशन बनाम यशस्विनी मर्चेंट और अन्य आकाशवाणी

2004 एससी 187:[2003] 1 पूरक।एससीआर 455; सी. बी.

मुथम्मा बनाम भारत संघ ए**.** आई**.** आर**. 1979** एस**.** सी**. 1868:[1980] 1** एससीआर **668;** मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम**.**ऑड्रे डी **'**कोस्टा और एक अन्य एयर **1987** एससी **1281:[1987] 2** एस**.** सी**.** आर**. 659;** गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक

ई.

(1999) 2 एससीसी 228:[1999] 1 एससीआर 669; अनुज गर्ग और

ओआरएस**.** वी**.**होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस। **(2008) 3** एससीसी **1:[2007] 12** एससीआर **991;** जी**.** सेकर बनाम गीता और अन्य। **(2009)**

6 एससीसी 99:[2009] 5 एससीआर 1005; महाराष्ट्र राज्य

v. इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन **(2013) 8**

च

एससीसी 519:[2013] 7 एस. सी. आर. 654 और सचिव, मंत्रालय

रक्षा बनाम बबीता पुनिया और अन्य **(2020) 7** एससीसी

469 :[2020] 3 एस**.** सी**.** आर**. 833-**संदर्भित।

भे और ओआरएस. वी.मजिस्ट्रेट, खयेलिशा और अन्य।

(2004) 18 बीएचआरसी 52:(2005) 1 बी. सी. एल. आर. 1 (सी. सी.); रीड बनाम रीड 404 यू. एस. 71,92 एस. सी. टी. 251 (1971); वेनबर्गर बनाम विसेनफेल्ड 420 यू. एस. 636,95 एस. सी. टी. 1225 (1975); ड्यूरेन बनाम मिसौरी 439 यू. एस. 357,99 एस. सी. टी. 664 (1979);

जी.

हिशन बनाम किंग एंड स्पाल्डिंग **467** यू**.** एस**. 69,104** एस**.** सी**.** टी**. 2229 (1984);** संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम वर्जीनिया **518** यू**.** एस**. 515**

एच.

(1996)– संदर्भित किया गया।

299

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर.

क.

निर्णीत विधि संदर्भ

एम**.** आर**.** शाह के निर्णय में**,** जे**.**

[1983] 2 एससीआर **165**

पीछा किया।

पैरा **7 (x)**

[1954] एससीआर **996**

पीछा किया।

पैरा **7 (x) [1981] 3** एस**.** सी**.** आर**. 234** पैरा **7.1 [2007] 12** एस**.** सी**.** आर**. 991** पैरा **8.1 [2009] 5** एस**.** सी**.** आर**. 1005** को संदर्भित किया गया

पैरा **8.1**

[2017] 9 एससीआर **797**

पीछा किया।

पैरा **13.4**

बी**.** वी**.** नागरत्ना के निर्णय में**,** जे**.**

ग

[1968] 2 एससीआर **165**

संदर्भित किया गया है

पैरा **27**

[2011] 15 एससीआर **211**

संदर्भित किया गया है

पैरा **28**

[1989] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 129** पैरा **29 [2007] 12** एस**.** सी**.** आर**. 991** पैरा **29 [2009] 5** एस**.** सी**.** आर**. 1005** पैरा **32 [1982] 1** एस**.** सी**.** आर**. 438** पैरा **57 (**ए**) [2003] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है। एस**.** सी**.** आर**. 455** पैरा **57 (**बी**) [1980] 1** एस**.** सी**.** आर**. 668** पैरा **59 (**आई**) [1987] 2** एस**.** सी**.** आर**. 659** पैरा **59 (**आई**) [1999] 1** एस**.** सी**.** आर**. 669** पैरा **59 (**आई**.** आई**.) [2007] 12** एस**.** सी**.** आर**. 991** पैरा **59 (**आई**.** वी**.) [2009] 5** एस**.** सी**.** आर**. 1005** पैरा **59 (**वी**.) [2013] 7** एस**.** सी**.** आर**. 654** पैरा **59 (**वी**.) [2020] 3** एस**.** सी**.** आर**. 833** पैरा **59 (**वी**.** आई**.) [1997] 3** सप्लीमेंट।एस**.** सी**.** आर**. 404** का अनुसरण किया गया

डी.

ई.

च

पैरा **77**

सिविल मूल अधिकारिता 2013 की लिखित याचिका (सी) No.59।

जी.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

2021 की लिखित याचिका (सी) No.1283।

एच.

क.

के. वी. विश्वनाथन, अरविंद पी. दातार, जी. उमापति, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन, सेंथिल जगदीशन, सुश्री शिवानी विज, आर. वेंकटरमण, चाणक्य द्विवेदी, सुश्री पूज ए धर, वेंकट सुब्रमण्यम, रोहित के. सिंह, प्रीतम विश्वास, अंकित पांडे, आदित्य सिंह, सुविन कुमारन, अधिवक्ता।याचिकाकर्ताओं के लिए।

एन. वेंकटरमण, एएसजी, विवेक कोहली, एड. जनरल, एच. आर. राव, देवाशीष भरुखा, सुघोश सुब्रमण्यम, रजत नायर, भुवन कपूर, प्रणय रंजन, विक्रांत यादव, सुश्री गार्गी खन्ना, राज बहादुर यादव, श्रीमती अनिल कटियार, समीर अभ्यंकर, अभिनव मिश्रा, सुश्री निशी संगतानी, सुश्री वाणी वंदना छेत्री, सुश्री येशी रणचेन, प्रणव सचदेवा, सुश्री नेहा राठी, मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, नरेंद्र कुमार, एड.उत्तरदाताओं के लिए।

ग

न्यायालय के निर्णय * द्वारा दिए गए थे

एम. आर. शाह, जे.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस रिट याचिका के माध्यम से, संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं-सिक्किम के पुराने बसने वालों के संघ और अन्य ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 एएए) (जिसे इसके बाद "अधिनियम, 1961" के रूप में संदर्भित किया गया है) को रद्द करने के लिए एक उचित रिट, निर्देश या आदेश के लिए प्रार्थना की है, विशेष रूप से, धारा 10 (26 एएए) में "सिक्किम" की परिभाषा इस हद तक कि यह उन भारतीयों को बाहर करती है जो 26.04.1975 पर सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए थे।याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रावधान को निरस्त करने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश के लिए भी अनुरोध किया है, क्योंकि यह छूट प्राप्त श्रेणी से बाहर है, "सिक्किम की महिलाएं" जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती हैं। 2. धारा 10 (26 ए. ए. ए.), जिसके अधिकार चुनौती के अधीन हैं, निम्नानुसार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

च

“[(26 एएए) किसी व्यक्ति के मामले में, जो सिक्किम का निवासी है, कोई भी आय जो उसे उपार्जित या उत्पन्न होती है -

(क) सिक्किम राज्य के किसी भी स्रोत से; या (ख) प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के रूप मेंःबशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी ऐसी सिक्किम की महिला पर लागू नहीं होगा जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो सिक्किम की नहीं है।

जी.

*एड। ध्यान देंःये मामले में दो निर्णय थे-एक माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. आर. शाह द्वारा और दूसरा माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना द्वारा।

एच.

क.

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सिक्किम" का अर्थ होगा -

(i) एक व्यक्ति, जिसका नाम 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले सिक्किम विषय नियम, 1961 (इसके बाद "सिक्किम विषयों का रजिस्टर" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित सिक्किम विषय विनियमन, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज है; या

((ii) एक व्यक्ति, जिसका नाम भारत सरकार के 7 अगस्त, 1990 के आदेश और 8 अप्रैल, 1991 के सम संख्या के आदेश के आधार पर सिक्किम विषयों के रजिस्टर में शामिल है; या

ग

((ग) कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं है, लेकिन यह संदेह से परे स्थापित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या उसी पिता के दादा या भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज किया गया है।

डी.

3. संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि भारतीयों को सिक्किम की परिभाषा से अलग करके, अधिनियम 1961 की धारा 10 (26 एएए) के तहत दी गई छूट भारतीय बसने वालों के लिए उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप भेदभाव होता है।अकेले सिक्किम के निवासियों के इस वर्ग के साथ भेदभाव करने का कोई वैध आधार नहीं है।इसलिए, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह मामला है कि उन भारतीयों का बहिष्कार, जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले 26.04.1975 पर सिक्किम में बस गए हैं और परिणामस्वरूप अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत दी गई छूट उन भारतीयों के वर्ग को नहीं दी गई है, जो 26.04.1975 पर सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं, मनमाना, भेदभावपूर्ण है और इस अंतर का उस उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है जिसे प्रश्नगत क़ानून द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।2013 की रिट याचिका संख्या 59 में रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी मामला है कि धारा 10 (26 एएए) का प्रावधान, जहां तक यह छूट प्राप्त श्रेणी से बाहर है, "सिक्किम की महिलाएं" जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती हैं, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 का उल्लंघन है क्योंकि बहिष्कार लिंग पर आधारित है।

ई.

च

जी.

4. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों से निपटने और/या विचार करने से पहले, सिक्किम राज्य का इतिहास और तिथियों और घटनाओं का कालक्रम,

एच.

जिसके कारण अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) को अधिनियमित किया गया, उसे संदर्भित करने और विचार करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

4.1 सिक्किम राज्य 1642 में अस्तित्व में आया।1975 में भारत संघ के साथ विलय होने तक यह 333 वर्षों तक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन करता रहा।मूल रूप से सिक्किम साम्राज्य के पास वर्तमान भूटान, बिहार, पश्चिम बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों से लेकर एक बड़ा क्षेत्र था।18 वीं और 19 वीं शताब्दी में, विभिन्न संघर्षों में बहुत सारे क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए थे।शाही ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1888 में पूर्ववर्ती सिक्किम साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया।हालाँकि, चीन के साथ संघर्ष थे।

4.2 1890 में ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच सिक्किम और तिब्बत की सीमाओं को तय करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।सिक्किम पर ब्रिटिश नियंत्रण को वर्ष 1890 में चीन द्वारा मान्यता दी गई थी।सिक्किम पर अंग्रेजों के नियंत्रण करने के बाद, ब्रिटिश भारतीय विषयों को सिक्किम में सरकारी नौकरी करने की अनुमति दी गई।

ग

4.3 पहले की सभी संधियों के स्थान पर, वर्ष 1861 में ब्रिटिश सरकार और सिक्किम के राजा के बीच एक नई संधि की गई थी।इस संधि के तहत, कुछ शर्तों के तहत सिक्किम के राजा को सिक्किम का क्षेत्र बहाल कर दिया गया था।इन शर्तों में अनुच्छेद 8 शामिल था जिसके तहत सिक्किम सरकार को ब्रिटिश क्षेत्रों और सिक्किम के बीच व्यापार में यात्रियों और एकाधिकार पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त करना था।उक्त संधि के तहत, ब्रिटिश प्रजा को सिक्किम के माध्यम से व्यापार करने, रहने और यात्रा करने की अनुमति थी।इन वर्षों में कई भारतीय सिक्किम में रहने आए।इस तथ्य को छोड़कर कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि नहीं रख सकते थे, सिक्किम में बसने वाले भारतीयों और अन्य विदेशियों के साथ सिक्किम के मूल निवासियों के समान व्यवहार किया जाता था।

डी.

ई.

च

4.4 सिक्किम आयकर नियमावली, 1948 को वर्ष 1948 में सिक्किम के शासक (चोग्याल) द्वारा जारी किया गया था।उक्त नियमावली के तहत, व्यवसाय में लगे सभी व्यक्तियों को उनके मूल की परवाह किए बिना कर के अधीन किया गया था।भारत-सिक्किम शांति संधि 05.12.1950 पर की गई थी और इस संधि के तहत सिक्किम को उक्त संधि के अनुच्छेद VII के अनुसार भारत का संरक्षित राज्य होना था।ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्किम में विदेशियों की आमद को रोकने के लिए, सिक्किम के शासक (चोग्याल) ने 03.07.1961 पर सिक्किम विषय विनियम, 1961 को लागू किया।उक्त विनियमों के तहतः(क) विनियमों के खंड 3 के तहत आने वाले व्यक्तियों को रजिस्टर में "सिक्किम विषय" के रूप में दर्ज किया जाना था; और (ख) जो व्यक्ति दूसरे देश के नागरिक थे, उन्हें "सिक्किम विषय" के रूप में तब तक पंजीकृत नहीं किया जाना था जब तक कि वह क.

जी.

एच.

303

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

दूसरे देश की नागरिकता।'सिक्किम विषय' शब्द को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था जो सिक्किम के क्षेत्र में पैदा हुआ था और उसमें निवासी था और समान रूप से स्थित व्यक्ति था, लेकिन हालांकि इस चेतावनी के साथ कि "कोई व्यक्ति इस धारा के तहत" सिक्किम विषय "नहीं होगा, जब तक कि वह यह घोषणा नहीं करता है कि वह" सिक्किम विषय "के रजिस्टर में अपना नाम शामिल करने के समय किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है।इस चेतावनी के कारण, एक भारतीय नागरिक जिसके पूर्वज पीढ़ियों से सिक्किम में बसे हुए थे, उन्हें खुद को "सिक्किम विषय" में परिवर्तित करने के उद्देश्य से भारत की अपनी नागरिकता छोड़नी पड़ी।

4.5 ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता संघ के सदस्यों जैसे कुछ परिवारों/व्यक्तियों ने, भले ही उनके पूर्वज और वे एक साथ वर्षों से सिक्किम के निवासी थे, भारत की अपनी नागरिकता का समर्पण नहीं किया और इसलिए, उनके नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में "सिक्किम विषय" के रूप में पंजीकृत नहीं थे।

ग

4.6 संविधान 36 वें संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से, सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया था और इसे भारत के संविधान की अनुसूची I की प्रविष्टि 22 में शामिल किया गया था।संविधान में अनुच्छेद 371-एफ भी जोड़ा गया था,

जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रपति या संसद के लिए सिक्किम राज्य में किसी भी कानून का विस्तार करने या सिक्किम के किसी भी मौजूदा कानून को निरस्त करने का अधिकार था।

डी.

ई.

4.7 21.06.1975 पर, गृह विभाग ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया था कि 26.04.1975 से पहले के सभी सिक्किम विषयों (सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत) को भारतीय नागरिक माना जाना था।इसलिए, इसने सिक्किम में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों (भारतीय नागरिकता छोड़े बिना) और सिक्किम की नागरिकता लेने वाले अन्य लोगों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया।

च

4.8 चूंकि बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को सिक्किम विषय रजिस्टर से बाहर कर दिया गया था और परिणामस्वरूप उन्हें भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया गया था, इसलिए सिक्किम सरकार ने एक ज्ञापन जारी किया कि रोजगार पाने के उद्देश्यों के लिए, "स्थानीय" होने का दावा करने वालों को यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि क्या उनके माता-पिता का नाम संबंधित सरकारी रजिस्टर में 15.05.1975 पर या उससे पहले रखा गया है।वर्ष 1980 में, अधिसूचना जारी की गई थी कि जिला कलेक्टर के अलावा अन्य स्रोतों द्वारा जारी अधिवास/आवासीय प्रमाण पत्र को वैध के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।4.9 वर्ष 1988 में सिक्किम के कुछ विधायकों द्वारा लोकसभा में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि सिक्किम का सिक्किम के साथ विलय के समय

जी.

एच.

भारत में, केवल वे लोग जिनके नाम 1961 में सिक्किम विषय रजिस्टर में पंजीकृत थे, उन्हें भारतीय नागरिक बनाया गया था, लेकिन कई अन्य राज्यविहीन व्यक्ति थे जो 1946 और 1975 की अवधि के बीच सिक्किम में मौजूद थे, जो अन्यथा अपने निवास, अधिवास और निष्ठा, "सिक्किम" के कारण थे, और उन्हें भी भारतीय बनाया जाना चाहिए।भारत सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और उन तथाकथित राज्यविहीन लोगों को भारतीय नागरिकता देने की कवायद की गई जिन्हें वास्तव में हटा दिया गया था।4.10 वर्ष 1989 में, सिक्किम नागरिकता (संशोधन) आदेश 1989 को अधिसूचित किया गया था जिसमें भारत के नागरिकों के रूप में वास्तविक चूक के ऐसे मामलों को मानने के लिए एक प्रावधान बनाया गया था।ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त संशोधन के प्रमुख लाभार्थी वे थे जो 1946 के बाद सिक्किम चले गए थे और इसलिए वे सिक्किम विषय रजिस्टर में शामिल होने के योग्य भी नहीं थे।

ग

4.11 इसके बाद भारत सरकार ने अपने अधिकारियों और सिक्किम सरकार के अधिकारियों से मिलकर एक समिति का गठन किया और यह तय करने के लिए कुछ दिशानिर्देश बनाए गए कि वे कौन थे, जिन्हें गलती से "सिक्किम विषय रजिस्टर" में दर्ज करने से हटा दिया गया था।हालाँकि, ये दिशानिर्देश भारतीय मूल के व्यक्तियों पर लागू नहीं होते थे क्योंकि वे पहले से ही भारतीय नागरिक थे, लेकिन केवल उन "गैर-सिक्किम विषयों" के लिए जिन्हें भारतीय नागरिक बनाया जाना था।

डी.

ई.

4.12 इसके बाद, भारत सरकार के दिनांक 07.08.1990 और 08.04.1991 के आदेश के अनुसार, कुल 73,431 लोगों को इस आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की गई कि ये व्यक्ति "सिक्किम विषय रजिस्टर" में शामिल होने के योग्य थे।

4.13 कि वर्ष 1989 और डब्ल्यू. ई. एफ. 26.07.1989 में, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 को वित्त अधिनियम, 1989 द्वारा सिक्किम तक विस्तारित किया गया था।उक्त संशोधन के तहत, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुरूप कोई भी कानून, जो सिक्किम राज्य में लागू था, निरस्त कर दिया गया।4.14 हालाँकि, सिक्किम राज्य ने आयकर अधिनियम, 1961 के सिक्किम राज्य में विस्तार को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।

च

जी.

4.15 वर्ष 1985 में, भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 1994 में आयकर अधिनियम, 1961 में एक संशोधन के माध्यम से सिक्किम में अनुसूचित जनजातियों को आयकर से छूट का प्रस्ताव दिया, जैसा कि अन्य राज्यों के संबंध में किया जा रहा था। सिक्किम के एकमात्र एम. पी. ने इसका विरोध किया।

एच.

305

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

4.16 इसके बाद, भारत सरकार और सिक्किम सरकार ने सिक्किम में आयकर अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन के लिए मतभेदों को हल करने के लिए केंद्र सरकार और सिक्किम सरकार के सदस्यों की एक संयुक्त समिति का गठन किया।ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्किम राज्य में आयकर अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर चर्चा करते हुए, सिक्किम राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति ने सिक्किम विषय प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्तियों और उनके वंशजों के लिए छूट पर जोर दिया और सिक्किम नागरिकता संशोधन आदेश, 1989 के माध्यम से उन्हें भारतीय नागरिक बनाया गया।ऐसा प्रतीत होता है कि इन दो श्रेणियों में अनिवार्य रूप से भूटिया लेप्चा, शेरपा और नेपाली शामिल थे जो कुल जनसंख्या का लगभग 94.6% थे।सिक्किम विषय प्रमाणपत्र धारकों और लोगों को भारत का नागरिक बनाने के लिए भारत सरकार के दिनांक 1 और 2 के आदेशों और उनके वंशजों के माध्यम से छूट प्राप्त करने के लिए चार लंबे वर्षों तक चर्चा की गई।

ग

4.17 कि वर्ष 2008 में, भारत सरकार ने सिक्किम राज्य की मांगों को मान लिया और वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा आयकर अधिनियम में एक संशोधन पारित किया, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 10 में खंड 26 एएए पेश किया गया था, और सिक्किम में भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ सिक्किम के विषयों और उन व्यक्तियों से अलग व्यवहार किया गया था जो सिक्किम नागरिकता संशोधन आदेश 1989 द्वारा भारत के नागरिक बन गए थे।आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 26 एएए ने "सिक्किम" लोगों को छूट प्रदान की।हालांकि, खंड 26 ए. ए. ए. के स्पष्टीकरण में "सिक्किम" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:“इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सिक्किम" का अर्थ होगाः- (i) एक व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज है, जिसे सिक्किम विषय नियम, 1961 के साथ पढ़ा जाता है (इसके बाद 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले "सिक्किम विषयों का रजिस्टर" के रूप में संदर्भित किया जाता है; या

डी.

ई.

च

((ii) एक व्यक्ति, जिसका नाम भारत सरकार के 7 अगस्त, 1990 के आदेश सं. 26030/36/90-I. C. I. और 8 अप्रैल, 1991 के सम संख्या के आदेश के आधार पर सिक्किम विषयों के रजिस्टर में शामिल है; या

जी.

(iii) कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं है, लेकिन यह संदेह से परे स्थापित है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति का नाम

एच.

306

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

या उसी पिता के दादा या भाई को उस रजिस्टर में दर्ज किया गया है।

4.18 ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 एएए) को देखते हुए सिक्किम के 94 प्रतिशत निवासियों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।हालाँकि, सिक्किम के 5 प्रतिशत निवासी, जिनमें से लगभग 1 प्रतिशत याचिकाकर्ता जैसे लोग हैं, जो सिक्किम के प्रामाणिक निवासी भी हैं, उन्हें केवल इस आधार पर आयकर के भुगतान से छूट से अलग किया जा रहा है कि वे सिक्किम विषय विनियमन 1961 के तहत रजिस्टर में दर्ज नहीं हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 500 ऐसे परिवार "सिक्किमी" की परिभाषा से प्रभावित हैं।

ग

4.19 ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इस तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार के खिलाफ सिक्किम सरकार के साथ-साथ केंद्रीय वित्त मंत्री को बार-बार विभिन्न अभ्यावेदन दिए गए थे।वर्ष 2009 में सिक्किम सरकार ने याचिकाकर्ता संघ की शिकायतों पर गौर करने के लिए एक समिति नियुक्त की।समिति ने कुछ सिफारिशें कीं, जिन पर नीचे चर्चा की जाएगी।

डी.

4.20 जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रावधान के अनुसार "एक सिक्किम की महिला जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है" को धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए बाहर रखा गया है।

ई.

5. धारा 10 (26 ए. ए. ए.) में "सिक्किमी" की परिभाषा से इस हद तक दुखी और असंतुष्ट महसूस करते हुए कि इसमें भारतीय (भारतीय नागरिकता रखने वाले) शामिल नहीं हैं, जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं और इस तरह ऐसे भारतीयों को आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत छूट का लाभ नहीं दे रहे हैं और धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रावधान से व्यथित हैं, जहां तक कि यह छूट प्राप्त श्रेणी "एक सिक्किमी महिला" से बाहर है, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किमी से शादी करती है, वर्तमान रिट याचिकाकर्ताओं ने धारा 10 (26 ए. ए. ए.) को उस हद तक रद्द करने का अनुरोध किया है, जिस हद तक यह लागू होती है।

च

जी.

6. श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, 2013 की रिट याचिका (सी) संख्या 59 में रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए हैं।सुश्री.

एच.

307

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

पूजा धर, विद्वान वकील, 2021 की रिट याचिका (सी) No.1283 में रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुई हैं।हमने 2013 की रिट याचिका (सी) संख्या 59 में दायर 2018 की आई. ए. संख्या 153446 में हस्तक्षेप करने वालों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है।श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान ए. एस. जी. ने राजस्व-भारत संघ की ओर से और विद्वान महाधिवक्ता श्री विवेक कोहली ने सिक्किम राज्य की ओर से पेश हुए हैं।

7. संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं/हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के अधिकारों को इस हद तक चुनौती दी है कि इसमें उन भारतीयों को शामिल नहीं किया गया है, जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं और विशेष रूप से, आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) में "सिक्किमी" की परिभाषा और आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रावधान, जहां तक, यह छूट प्राप्त श्रेणी "एक सिक्किमी महिला" से बाहर है, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किमी से शादी करती है, मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर और निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ करती हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

(i) कि आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) में "सिक्किमवासी" की परिभाषा इस हद तक कि यह उन भारतीयों को बाहर करती है, जो <आई. डी. 1 पर भारत में सिक्किम के विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं, भेदभावपूर्ण, मनमाना और अनुचित है और यह उन भारतीयों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत 26.04.1975 से पहले सिक्किम में बस गए हैं।

ई.

(ii) "सिक्किम" की परिभाषा में, सिक्किम के पुराने भारतीय बसने वालों को "सिक्किम" की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है और इसलिए वे आयकर से छूट के हकदार नहीं हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिक्किम में रहने वाले सिक्किम के लोगों को जो छूट दी गई है, वह अनिवार्य रूप से सिक्किम के 95 प्रतिशत निवासियों को छूट देती है, जबकि 1 प्रतिशत/2 प्रतिशत पुराने भारतीय बसने वालों सहित केवल मुट्ठी भर व्यक्तियों पर कर लगाती है।

च

(iii) आयकर अधिनियम के खंड 10 (26 एएए) में 'सिक्किम' की परिभाषा से पुराने भारतीय बसने वालों का बहिष्कार स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है और यह अनुच्छेद 14 के तहत इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी भी परीक्षण को पूरा नहीं करता है।

जी.

((iv) यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा लगातार अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद के तहत किसी भी विधान को वैध ठहराया जाना है।

एच.

14, वर्गीकरण उचित होना चाहिए और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ इसका संबंध होना चाहिए।

(v) यह तर्क दिया जाता है कि संशोधन के माध्यम से, व्यक्तियों के एक वर्ग, अर्थात् भारत के नागरिकों के साथ कराधान के उद्देश्य से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए।

(vi) यह आग्रह किया जाता है कि पुराने भारतीय बसने वालों को धारा 10 (26 एएए) के तहत छूट से बाहर करने का सिक्किम के निवासियों को छूट देने के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है।

(vii) यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिक्किम के निवासियों/मूल के बीच कोई उचित वर्गीकरण नहीं है, जिनके नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत "सिक्किम विषयों" के रूप में पंजीकृत थे और उन भारतीय पुराने सिक्किम बसने वालों के बीच, जिनके नाम "सिक्किम विषयों" के रूप में पंजीकृत नहीं किए जा सके क्योंकि उनके पूर्वजों ने भारतीय नागरिकता का समर्पण नहीं किया था; (viii) यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सिक्किम के भारत संघ का हिस्सा बनने के बाद, सिक्किम के सभी निवासी भारत के नागरिक बन गए हैं।इसलिए, सिक्किम में बसे भारत के नागरिक होने के नाते, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।यह तर्क दिया जाता है कि इसलिए, उन भारतीयों को बाहर करने के लिए कोई उचित औचित्य और/या वर्गीकरण नहीं है, जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले 26.04.1975 पर केवल इस आधार पर सिक्किम में बस गए हैं कि प्रासंगिक समय पर भारतीय नागरिकता का समर्पण न करने के कारण उनके नाम "सिक्किम विषयों" के रूप में पंजीकृत नहीं थे;

ग

डी.

ई.

(ix) यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का उद्देश्य और उद्देश्य सिक्किम के स्थानीय लोगों/निवासियों को आयकर अधिनियम के तहत कर के भुगतान से छूट देना है और यह वह उद्देश्य है जिसे आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत छूट प्रदान करके प्राप्त किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, सिक्किम के स्थानीय लोगों/निवासियों के बीच कोई और वर्गीकरण नहीं होगा, जिनके नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में "सिक्किम विषय" के रूप में पंजीकृत किए गए हैं और जिनके नाम अपनी भारतीय नागरिकता का समर्पण न करने के कारण "सिक्किम विषय" के रूप में पंजीकृत नहीं हो सके और/या नहीं हो सके;

च

जी.

एच.

309

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

(x) यह प्रस्तुत किया जाता है कि सिक्किम के सभी निवासी, जो भारत में सिक्किम के विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं, उन सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए क्योंकि वे सभी समान रूप से स्थित हैं और इसलिए विभिन्न समूहों में वर्गीकरण, हालांकि समान रूप से स्थित है, भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि समूहों में वर्गीकरण पहचान योग्य मानदंडों पर आधारित होना चाहिए, जो एक समूह को दूसरे से अलग करता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि दूसरी शर्त जिसे पूरा करना है, वह यह है कि एक अलग और पहचान योग्य समूह के इस तरह के वर्गीकरण का उस कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य और उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होना चाहिए।कि वर्तमान मामले में, उपरोक्त दो शर्तों में से कोई भी संतुष्ट नहीं है और इसलिए, दोनों समूहों के बीच समान रूप से स्थित वर्गीकरण मनमाना होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित होगा।उपरोक्त निवेदन के समर्थन में कि दोनों समूहों के बीच समान रूप से स्थित वर्गीकरण मनमाना होगा और संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित होगा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथन ने डी. एस. के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

ग

डी.

नकारा बनाम भारत संघ, (1983) 1 एस. सी. सी. 305 (पैरा 9)

15)।उन्होंने इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 4 में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी भरोसा किया है।

ई.

राजस्थान राज्य बनाम मनोहर सिंहजी का मामला, 1954 एससीआर 996:आकाशवाणी 1954 एससी 297।

7.1 याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वनाथन ने आगे कहा है कि न्यायालय भेदभाव को हटा सकता है और याचिकाकर्ताओं को उसी वर्ग में रख सकता है ताकि भेदभाव को दूर किया जा सके।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, सिक्किम में भारतीय बसने वालों के खिलाफ मनमाने भेदभाव को दूर करने के लिए, धारा 10 (26 एएए) में "सिक्किमियों" की परिभाषा को उन भारतीयों को शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, जो 26.04.1975 पर वहां बस गए थे।इसलिए, यह प्रार्थना की जाती है कि "सिक्किम" की परिभाषा में "अर्थ" शब्द को एक समावेशी शब्द के रूप में माना जाए और इसमें भारतीय बसने वालों को शामिल किया जाए।विशुंडास हुंडुमल बनाम के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया है।

च

जी.

एम**.** पी**.** राज्य**, (1981) 2** एस**.** सी**.** सी**. 410**।

7.2 हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने इसके अलावा संसद की संसदीय रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है

एच.

भारत सरकार (राज्य सभा समिति) ने 145 वीं रिपोर्ट दिनांक 2 में सिफारिश की है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का दायरा, जिसमें "सिक्किम के विषयों" को आयकर के भुगतान से छूट दी गई है, उन सभी भारतीय नागरिकों और उनके वंशजों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए, जो 1 से पहले सिक्किम में रह रहे हैं।8. अब, जहाँ तक धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रावधान को चुनौती देने की बात है, जहाँ तक यह छूट प्राप्त श्रेणी से बाहर है "एक सिक्किम महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है", यह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि यह भेदभावपूर्ण है और लैंगिक असमानता पर आधारित है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 का पूरी तरह से उल्लंघन है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (26 एएए) के तहत दी गई छूट से गैर-सिक्किम व्यक्ति से शादी करने वाले पुरुष सिक्किम को बाहर नहीं किया गया है।

ग

8.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक महिला संपत्ति नहीं है और उसकी अपनी एक पहचान है, और केवल विवाहित होने का तथ्य उस पहचान को नहीं छीनना चाहिए।इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है

डी.

अनुज गर्ग और अन्य का मामला। बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड

ओआरएस। (2008) 3 एस. सी. सी. 1 (पैरा 21,22,25,26) और जी. सेकर बनाम गीता और अन्य। (2009) 6 एस. सी. सी. 99 (पैरा 52,54), आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रावधान को निरस्त करने और/या रोकने की प्रार्थना के समर्थन में भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

ई.

9. श्री एन. वेंकटरमन, विद्वान ए. एस. जी. ने यह प्रस्तुत करते हुए वर्गीकरण को सही ठहराने की कोशिश की है कि विधायिका/संसद द्वारा केवल उन "सिक्किम विषयों" को छूट का लाभ देने के लिए एक सचेत निर्णय लिया गया है, जिनके नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में पंजीकृत किए गए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, वह वर्गीकरण को उचित ठहराने और न्यायालय को संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है कि इस तरह का वर्गीकरण आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 एएए) के तहत छूट देने के उद्देश्य और उद्देश्य को कैसे प्राप्त करेगा। वह आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के दायरे से 26.04.1975 पर भारत के साथ सिक्किम के विलय से पहले सिक्किम में बसने वाले भारतीयों को बाहर करने के लिए किसी भी उचित भेदभाव और/या औचित्य को अदालत को समझाने और/या संतुष्ट करने की स्थिति में नहीं है। वह विशिष्ट विशेषताओं और/या बोधगम्य अंतर को संतुष्ट करने की स्थिति में भी नहीं है, जो व्यक्तियों को अलग करता है, जो समूह से बाहर हैं, अर्थात् ए

च

जी.

एच.

311

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

पुराने भारतीय बसने वाले, जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं और सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत पंजीकृत "सिक्किम विषयों" के साथ।

9.1 श्री वेंकटरमण, विद्वान ए. एस. जी. भी धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रावधान को उचित ठहराने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि इसमें छूट प्राप्त श्रेणी से "एक सिक्किम की महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है" को बाहर रखा गया है।

10. सिक्किम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान महाधिवक्ता श्री विवेक कोहली ने आपत्तियों का समर्थन किया है।

10.1 राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य को कोई आपत्ति नहीं है यदि धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का प्रावधान धारा 10 (26 ए. ए. ए. ए.) के तहत "सिक्किम की महिला" के आयकर के भुगतान से छूट के अधिकार से वंचित करता है, तो धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत किसी गैर-सिक्किम के साथ उसकी शादी को रद्द कर दिया जाता है और/या समाप्त कर दिया जाता है ताकि आयकर छूट के मामले में उनके साथ समान व्यवहार किया जा सके।

ग

10.2 अब, जहां तक आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत छूट के लिए प्रार्थना करने के पुराने भारतीय बसने वालों के अधिकार का संबंध है, राज्य की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का लाभ सिक्किम राज्य में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को दिया जाना चाहिए, भले ही उनके नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए "सिक्किम विषय रजिस्टर" में "सिक्किम विषय" के रूप में पंजीकृत किए गए हों या नहीं।

डी.

ई.

11. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना।12. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान याचिकाओं में चुनौती हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) धारा 10 (26 ए. ए. ए.) में "सिक्किमी" की परिभाषा इस हद तक कि यह उन भारतीयों को बाहर करती है, जो 26.04.1975 पर सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं; और (ii) धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का प्रावधान जहां तक कि यह छूट प्राप्त श्रेणी "एक सिक्किमी महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किमी से शादी करती है" से बाहर है।

च

13. अब, जहाँ तक पहले अंक का संबंध है, "सिक्किम" की परिभाषा के अनुसार केवल वे व्यक्ति, जिनके नाम सिक्किम विषय विनियमन, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में 26.04.1975 से ठीक पहले दर्ज किए गए हैं या जिनके नाम भारत सरकार के दिनांकित 07.08.1990 और 08.04.1991 के आदेशों के आधार पर "सिक्किम विषयों" के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं या कोई अन्य व्यक्ति जिसका नाम है।

जी.

एच.

यह "सिक्किम विषयों" के रजिस्टर में नहीं आता है, लेकिन यह संदेह से परे स्थापित किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या एक ही पिता के दादा या भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज किया गया है, आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 एएए) के तहत छूट के उद्देश्य से "सिक्किम" के रूप में पात्र माना जाता है। अर्थात्, सिक्किम में वे सभी सिक्किमवासी/पुराने भारतीय बसने वाले, जो 26.04.1975 से पहले सिक्किम में बस गए होंगे, लेकिन जिनके नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में "सिक्किम विषय" के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, वे आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 एएए) के तहत उपलब्ध छूट के हकदार नहीं हैं। इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि सिक्किम की कुल 95 प्रतिशत आबादी को आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 एएए) का लाभ मिल रहा है और केवल 5 प्रतिशत छूट गए हैं और जिनमें से केवल 1 प्रतिशत पुराने भारतीय बसने वालों जैसे व्यक्ति हैं, जो 26.04.1975 पर भारत के साथ विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरह उनके नाम "सिक्किम विषय" के रूप में पंजीकृत नहीं किए जा सके हैं।

ग

13.1 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का उद्देश्य सिक्किम के निवासियों को आयकर अधिनियम के तहत आयकर के भुगतान से छूट देना है। इसलिए, ऐसे सभी भारतीय/नागरिक, जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले 26.04.1975 पर सिक्किम में बस गए हैं, उन्हें समान माना जाना चाहिए और वे एक ही समूह/वर्ग बनाते हैं और आयकर अधिनियम की धारा 10 (26AAA) के तहत छूट के हकदार हैं। इस प्रकार, उन "सिक्किम विषयों" के बीच कोई अंतर और/या अंतर नहीं है, जिनके नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज हैं और वे भारतीय, जो सिक्किम के विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं, लेकिन जिनके नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में "सिक्किम विषय" के रूप में दर्ज नहीं किए गए थे।सब "सिक्किमी" हैं।केवल इसलिए कि प्रासंगिक समय पर और जब सिक्किम विषय विनियम, 1961 अधिनियमित किया गया था, सिक्किम में बसे भारतीयों ने अपनी भारतीय नागरिकता का समर्पण नहीं किया था या उनके पिता/पूर्वजों के नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए थे, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे "सिक्किमवासी" नहीं रह गए हैं।वे सभी समान रूप से उन "सिक्किमियों"/"सिक्किम विषयों" के साथ स्थित हैं, जो सभी 26.04.1975 पर सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं।जैसा कि ऊपर देखा

गया है, धारा 10 (26 एएए) का उद्देश्य और उद्देश्य सिक्किम के निवासियों को आयकर अधिनियम के तहत आयकर के भुगतान से छूट का लाभ देना है।इसलिए, ए को बाहर करने में कोई सांठगांठ हासिल करने की कोशिश नहीं की गई है

डी.

ई.

च

जी.

एच.

313

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

भारतीय, जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले 26.04.1975 पर सिक्किम में बस गए हैं, लेकिन उनके नाम "सिक्किम विषय" के रूप में दर्ज नहीं हैं।भारत संघ भारतीयों के ऐसे वर्ग को बाहर करने के लिए किसी भी उचित वर्गीकरण और/या सांठगांठ को पूरा करने में विफल रहा है, जो वास्तव में 26.04.1975 से पहले सिक्किम में बस गए हैं।इसलिए, धारा 10 (26 एएए) में "सिक्किमी" की परिभाषा से सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बसे पुराने भारतीय बसने वालों को बाहर करना मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

13.2 जैसा कि इस न्यायालय द्वारा डी. एस. नकारा (उपर्युक्त) अनुच्छेद 14 के मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, वर्ग विधान को निषिद्ध करता है, लेकिन कानून के उद्देश्य के लिए उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है, जो वर्गीकरण को एक बोधगम्य अंतर पर आधारित वर्गीकरण के दोहरे परीक्षणों को पूरा करना चाहिए जो व्यक्तियों या चीजों को समूह से अलग करता है जो समूह से बाहर रह गए हैं और इस अंतर का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे प्रश्न में क़ानून द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।वर्तमान मामले में, धारा 10 (26 एएए) में "सिक्किम" की परिभाषा से 26.04.1975 पर सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बसने वाले पुराने भारतीय बसने वालों का बहिष्कार उपरोक्त दो शर्तों को पूरा नहीं करता है।

ग

डी.

13.3 जैसा कि मनोहर सिंहजी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है, अनुच्छेद 14 घोषित करता है कि "राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"यह देखा गया है कि इस तरह के स्पष्ट भेदभाव का समर्थन केवल इस आधार पर किया जा सकता है कि यह एक उचित वर्गीकरण पर आधारित था।एक उचित वर्गीकरण का हमेशा उन चीजों के साथ एक उचित और न्यायपूर्ण संबंध होना चाहिए जिनके संबंध में इसे प्रस्तावित किया गया है।उन मानदंडों को देखते हुए, हमें ऐसा लगता है कि भेदभाव किसी भी वर्गीकरण पर आधारित नहीं है और स्पष्ट रूप से आधारहीन, अनुचित और मनमाना है।

ई.

च

13.4 वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर देखा गया है, बहिष्करण का आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 एएए) को लागू करने के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है।कोई उचित बोधगम्य अंतर नहीं दिखाया गया है और इसलिए, इसे मनमाना कहा जा सकता है।जैसा कि शायरा के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया

जी.

बानो बनाम भारत संघ, (2017) 9 एस. सी. सी. 1, भारत में, मनमानेपन है

यह एक अलग आधार नहीं है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिबंध के भीतर आएगा।इसलिए, कोई भी प्रावधान, जो मनमाना है,

एच.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी और कोई भी वर्गीकरण जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, उसे निरस्त किया जा सकता है।

14. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारी दृढ़ राय है कि धारा 10 (26 ए. ए. ए.) उस हद तक पुराने भारतीय बसने वालों को बाहर करती है, जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले 26.04.1975 पर सिक्किम में बस गए थे, लेकिन जिनके नाम "सिक्किम विषय" के रूप में दर्ज नहीं हैं, "सिक्किम" की परिभाषा से अधिकार से बाहर है, जो मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 एएए) में "सिक्किमी" की परिभाषा में वे सभी भारतीय भी शामिल होंगे, जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले 26.04.1975 पर सिक्किम में स्थायी रूप से बस गए हैं, चाहे उनके नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किए गए हों या नहीं। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं की तरह "सिक्किमवासी", जो पुराने भारतीय निवासी हैं और जो 26.04.1975 पर भारत के साथ सिक्किम के विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं, वे भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत छूट के हकदार होंगे।

ग

डी.

15. अब, जहां तक धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रावधान को चुनौती दी गई है, जहां तक कि यह छूट प्राप्त श्रेणी से बाहर है, "एक सिक्किम महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है" का संबंध है, कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है और/या "एक सिक्किम महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है" को छूट प्राप्त श्रेणी से बाहर करने के लिए प्रदर्शित किया गया है।उपरोक्त के अलावा, यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 द्वारा प्रभावित है।भेदभाव लिंग पर आधारित है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 का पूरी तरह से उल्लंघन है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सिक्किम के एक व्यक्ति के लिए कोई अयोग्यता नहीं है, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किमी से शादी करता है।जैसा कि उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है, एक महिला एक संपत्ति नहीं है और उसकी अपनी एक पहचान है, और केवल विवाहित होने के तथ्य को उस पहचान को नहीं छीनना चाहिए।जी. सेकर (ऊपर) के मामले में, यह देखा गया है और माना गया है कि लिंग के आधार पर विरासत से महिलाओं का बहिष्कार अनुचित भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक निषेध का स्पष्ट उल्लंघन था।यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के संदर्भ में, महिला उत्तराधिकारियों को, उस क्षेत्र में संचालित वैधानिक नियम के अधीन, पुरुष उत्तराधिकारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है।लैंगिक समानता को मानवाधिकार शासन में सामान्य रूप से विश्व समुदाय द्वारा मान्यता दी जाती है।

ई.

च

जी.

एच.

सिक्किम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

15.1 अन्यथा भी, "एक सिक्किम की महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है" को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है।एक सिक्किम की महिला, जिसने 01.04.2008 से पहले एक गैर-सिक्किम से शादी की है, धारा 10 (26AAA) के तहत प्रदान की गई छूट का लाभ पाने की हकदार है।01.04.2008 की कट ऑफ तिथि तय करने के लिए कोई औचित्य नहीं दिखाया गया है।"एक सिक्किम की महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है" को छोड़कर और "एक सिक्किम की महिला, जिसने 01.04.2008 से पहले एक गैर-सिक्किम से शादी की है" को शामिल करके हासिल किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई तर्कसंगत संबंध नहीं है।इसलिए, आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 एएए) के तहत छूट के लाभ से इनकार करना "एक सिक्किम की महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है" मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।इसलिए, धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रावधान को भी निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि यह छूट प्राप्त श्रेणी "एक सिक्किम की महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है" से बाहर है।

ग

16. इसलिए, धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का प्रावधान क्योंकि यह एक सिक्किम की महिला को छूट के प्रावधान से केवल इसलिए बाहर करता है क्योंकि वह 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है, पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 का उल्लंघन है, जिसे निरस्त करने की आवश्यकता है।

डी.

17. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, ये दोनों याचिकाएं सफल होती हैं।धारा 10 (26 ए. ए. ए.) में "सिक्किमी" की परिभाषा से सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में स्थायी रूप से बसने वाले पुराने भारतीय बसने वालों को बाहर करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है और इसे निरस्त कर दिया जाता है। यह माना जाता है कि सभी भारतीय/पुराने भारतीय बसने वाले, जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले 26.04.1975 पर सिक्किम में स्थायी रूप से बस गए हैं, चाहे उनका नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज हो या नहीं, जो सिक्किम विषय नियम, 1961 के साथ पढ़ा जाता है या नहीं, वे आयकर अधिनियम की धारा 10 (26 एएए) के तहत छूट के हकदार हैं।

ई.

च

17.1 जहां तक धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का प्रावधान छूट प्राप्त श्रेणी से बाहर है, "एक सिक्किम की महिला, जो 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है" को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 21 के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण निरस्त कर दिया जाता है।

जी.

इन दोनों रिट याचिकाओं को तदनुसार अनुमति दी जाती है।हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनज़र, खर्चे बाबत कोई आदेश नहीं होगा।

एच.

नागरत्ना, जे.

मैंने उनके स्वामी एम. आर. शाह जे. द्वारा प्रस्तावित निर्णय और आदेश के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए निष्कर्षों को भी पढ़ा है।हालाँकि, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'आई. टी. अधिनियम, 1961' के रूप में संदर्भित) की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण के रूप में संलग्न "सिक्किम" की परिभाषा के इर्द-गिर्द घूमती इन रिट याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों के साथ-साथ इन रिट याचिकाओं में सिक्किम की महिलाओं से संबंधित परंतुक के अधिकार पर अपनी अलग राय देना चाहूंगा।2. उनके स्वामी एम. आर. शाह, जे. ने इस प्रकार राय दी हैः

(i) वह धारा 10 (26 एएए) इस हद तक कि यह पुराने भारतीय बसने वालों को आयकर के भुगतान से छूट के लाभ से बाहर करती है, यानी वे लोग जो 26 अप्रैल, 1975 को सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए थे, लेकिन जिनके नाम सिक्किम की परिभाषा से "सिक्किम विषय" के रूप में दर्ज नहीं हैं, वे अधिकार से बाहर हैं, क्योंकि यह मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।इसलिए, याचिकाकर्ता और इसी तरह के स्थित व्यक्ति जो पुराने भारतीय निवासी हैं, जो 26 अप्रैल, 1975 को सिक्किम के भारत में विलय से पहले सिक्किम में बस गए हैं, वे भी आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत छूट के हकदार होंगे।मेरे विचार में, याचिकाकर्ताओं और समान रूप से स्थित व्यक्तियों जैसे व्यक्ति स्पष्टीकरण के तहत छूट के हकदार नहीं हैं जैसा कि अब है।इन परिस्थितियों में, भेदभाव को दूर करने के लिए, कुछ टिप्पणियां की गई हैं और मेरे निर्णय के दौरान निर्धारित कारणों के आधार पर भारत संघ को निर्देश जारी किए गए हैं।यदि उन निर्देशों का पालन किया जाता है, तो भेदभाव हटा दिया जाएगा।

ग

डी.

ई.

च

((ii) मैं न्यायमूर्ति एम. आर. शाह द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने से सहमत हूं कि आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) में परंतुक मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है।मैंने अतिरिक्त कारण बताए हैं और अपने निर्णय और आदेश के दौरान मामले के उक्त पहलू पर अधिक विस्तार से विचार किया है।

जी.

पृष्ठभूमि तथ्यः

3. 2021 की रिट याचिका (सी) No.1283 याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है, जिसमें धारा 10 (26 एएए) के परंतुक की वैधता और उसके स्पष्टीकरण पर जोर दिया गया है।

एच.

317

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

वित्त अधिनियम, 2008 के माध्यम से आई. टी. अधिनियम, 1961 में पेश किया गया जिसके द्वारा सिक्किम (सिक्किम राज्य के लोगों) को कथित रूप से आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।उन्होंने प्रतिवादियों को आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत दी गई छूट को याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों तक बढ़ाने का निर्देश देने की भी मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने यह घोषणा करने की मांग की है कि वे आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत आयकर के भुगतान से छूट के भी हकदार हैं।दूसरे शब्दों में, उन्होंने याचिकाकर्ताओं को उक्त प्रावधान का लाभ देने का निर्देश देने की मांग की है।प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ एक अन्य निर्देश उन आवेदकों की सूची प्रस्तुत करना है जिन्होंने 22 सितंबर, 2018 की सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयकर छूट की मांग करने वाले आवेदन जमा किए हैं।

ग

डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं द्वारा इसी तरह की प्रार्थना की गई है। (ग) 2013 की सं. 59 जो दो रिट याचिकाओं में से पहली है।

4. याचिकाकर्ताओं का मामला है कि वे भारत के साथ विलय से पहले सिक्किम के पूर्व साम्राज्य में सामान्य रूप से निवासी थे और उनकी सिक्किम में एक जातीय पहचान है।अब वे भारत के नागरिक हैं।पूर्व सिक्किम राज्य में आम तौर पर रहने वाले व्यक्तियों में शामिल थेः

डी.

(क) 'सिक्किम मूल के व्यक्तियों' के रूप में मान्यता प्राप्त 'सिक्किम नागरिकों'/'सिक्किम विषयों' की एक बड़ी आबादी; और (ख) अविभाजित भारत के 'ब्रिटिश भारतीय विषयों' की एक छोटी आबादी/स्वतंत्र भारत के 'भारतीय नागरिकों' को 'भारतीय मूल के व्यक्तियों' के रूप में मान्यता दी गई है जो आमतौर पर 'सिक्किम दरबार' के तहत व्यापार, वाणिज्य और सरकारी रोजगार के उद्देश्य से सिक्किम के पूर्व राज्य में रहते हैं।

ई.

च

5. सिक्किम के पूर्व राज्य के सामान्य निवासी 'सिक्किम के नागरिक/विषय' या 'सिक्किम मूल के व्यक्ति' में निम्नलिखित जातीयता के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति शामिल हैंः

(i) 'सिक्किम भूटिया'-जिसका अर्थ है वे व्यक्ति जो देशी 'भूटिया' और 'चुम्बीपा', 'डोप्थापा', 'दुक्पा', 'कागटे', 'शेरपा', 'तिब्बती', 'ट्रोमोपा', 'योल्मो' समुदायों में से हो सकते हैं जिन्हें 'संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978' द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता और अधिसूचित किया गया था (ii) 'सिक्किम लेप्चा'-जिसका अर्थ है वे व्यक्ति जो आदिवासी लेप्चा समुदाय से हो सकते हैं जिन्हें मान्यता मिली और जिन्हें मान्यता मिली।

जी.

एच.

'संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978' द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित।

(iii) 'सिक्किमी नेपाली'-जिसका अर्थ है ऐसे व्यक्ति जो उन जातियों या वर्गों में से हो सकते हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः

(क) संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त 'दमाई', 'कामी'/'लहर', 'माझी' और 'सरकी' समुदाय;

(ख) 'लिंबू' और 'तमांग' समुदाय (पहले वर्ष 1995 में 'अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची' के तहत अधिसूचित) जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा वर्ष 2003 में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता और अधिसूचित किया गया था;

(ग) जिन समुदायों को वर्ष 1995 में 'अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची' में शामिल करने के लिए मान्यता और अधिसूचित किया गया था, अर्थात् 'भुजेल', 'गुरुंग', 'प्रबंधक', 'कीरत राय', 'सुनुवार' और वर्ष 1999 में 'संन्यासी' और वर्ष 2000 में 'जोगी'; और

डी.

(घ) 'बाहुन', 'चेत्री' और 'नेवार' समुदाय जिन्हें वर्ष 2014 में 'सिक्किम के अन्य पिछड़े वर्गों की राज्य सूची' में मान्यता और अधिसूचना मिली।

ई.

6. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पूर्व सिक्किम साम्राज्य में व्यापार, वाणिज्य और सरकारी रोजगार में लगे सामान्य रूप से निवासी 'ब्रिटिश भारतीय विषय' और 'भारतीय नागरिकों' के बारे में इतिहास बहुलवादी है।इनमें अविभाजित ब्रिटिश भारत और बाद में स्वतंत्र भारत के क्षेत्रों से विविध जातीय, धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शामिल थी।सिक्किम के निवासी सिक्किम के निवासी हैं जो वर्ष 1975 से पहले स्थायी निवासी थे।

च

7. वर्ष 1975 में सिक्किम का पूर्व साम्राज्य भारत का हिस्सा बन गया और सिक्किम राज्य के रूप में जाना जाने लगा।तब तक, यानी 26 अप्रैल, 1975 (जो भारत के साथ इसके विलय और एकीकरण का 'नियत दिन' है), सिक्किम राज्य पर नामग्याल राजवंश के वंशानुगत शासकों की एक वंशावली के माध्यम से शासन किया जाता था, जिसे 'चोग्याल' के रूप में जाना जाता था।

जी.

8. भारत के साथ सिक्किम के विलय से पहले की अवधि का इतिहास, जैसा कि रिट याचिकाओं में कहा गया है, निम्नानुसार संकलित किया जा सकता हैः

एच.

319

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

क.

(क) 1890 से 1950 तक की अवधि के दौरान, पूर्ववर्ती सिक्किम साम्राज्य की सरकार और उसके पदों और सेवाओं को विभिन्न स्थितियों और शर्तों के अधीन किया गया था जो याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्णित किए गए हैं और जिनका उल्लेख नीचे किया गया हैः

“(i) 1890 से 1918 की अवधि के दौरान, शाही ब्रिटिश सरकार ने सिक्किम साम्राज्य के विदेशी मामलों के साथ-साथ आंतरिक मामलों पर प्रत्यक्ष और अनन्य नियंत्रण का प्रयोग किया।उस समय ब्रिटिश भारतीय विषयों को पूर्ववर्ती सिक्किम साम्राज्य के सरकारी प्रतिष्ठान के पदों और सेवाओं पर पद और रोजगार रखने की अनुमति दी गई थी।

ग

((ii) 1918 में सिक्किम के तत्कालीन राजा चोग्याल ताशी नामग्याल को सिक्किम साम्राज्य के आंतरिक मामलों पर अपना अधिकार वापस दे दिया गया था, जिसके बाद उन्हें अपने राज्य के सभी विधायी, न्यायिक और कार्यकारी कार्यों पर पूर्ण शक्तियां प्राप्त हुईं, जबकि विदेशी मामले शाही ब्रिटिश भारत की सरकार के अधीन बने रहे।1918 के बाद से, सिक्किम साम्राज्य ने ब्रिटिश भारतीय विषयों को सिक्किम राज्य की सरकारी स्थापना के पदों और सेवाओं में पद और रोजगार रखने की अनुमति देना जारी रखा था। 'सिक्किम दरबार'।ऐसे सरकारी कर्मचारियों को ब्रिटिश भारतीय मूल के 'दरबार' कर्मचारी कहा जाता था।

डी.

ई.

च

(iii) ब्रिटिश वर्चस्व से भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले, सिक्किम राज्य के लोगों की ओर से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारतीय संघ में इसके विलय की एक लोकप्रिय मांग थी।उस समय के दौरान, सिक्किम के भारत में शामिल होने के लिए एक लोकप्रिय वोट विफल हो गया था; इसलिए सिक्किम साम्राज्य ने तब भारतीय संघ में प्रवेश नहीं किया था।

जी.

(iv) 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, भारत से ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति पर, भारत अधिराज्य को अधिकार और देनदारियाँ विरासत में मिलीं।

एच.

उस तारीख को भारतीय राज्यों की तुलना में ब्रिटिश क्राउन की।सिक्किम साम्राज्य अन्य भारतीय राज्यों की तरह नहीं होने के कारण भारत संघ में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन भारत के साथ एक नया समझौता होने तक अपने पिछले संबंधों को जारी रखने के लिए एक ठहराव समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।भारत गणराज्य की घोषणा से पहले के वर्षों में (यानी 26 जनवरी 1950 से पहले), यह सहमति हुई थी कि सिक्किम राज्य भारतीय संघ का एक विशेष संरक्षित राज्य था, जिसका अपना अलग क्षेत्र था।

(v) 1947 के बाद से, सिक्किम साम्राज्य ने ब्रिटिश भारतीय विषयों के साथ-साथ भारतीय नागरिकों को सिक्किम साम्राज्य की सरकारी स्थापना के पदों और सेवाओं में पद और रोजगार रखने की अनुमति देना जारी रखा था। 'सिक्किम दरबार'।सिक्किम साम्राज्य के सरकारी प्रतिष्ठान के पदों और सेवाओं में सेवारत/नियुक्त भारतीय मूल के ऐसे व्यक्तियों को ब्रिटिश भारतीय मूल के 'दरबार' कर्मचारी और भारतीय राष्ट्रीयता के 'दरबार' कर्मचारी के रूप में संदर्भित किया जाता था।"

ग

डी.

उपरोक्त ऐतिहासिक घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, अविभाजित ब्रिटिश भारत और बाद में स्वतंत्र भारत के विभिन्न क्षेत्रों से विविध जातीय, धार्मिक और सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित भारतीय मूल के व्यक्ति विभिन्न पदों और सेवाओं में अपने रोजगार के उद्देश्य से या व्यापार और व्यवसाय के लिए सिक्किम में रहते थे।

ई.

(ख) 5 दिसंबर, 1950 को भारत-सिक्किम शांति संधि हुई और इस संधि के तहत सिक्किम को भारत का संरक्षित राज्य होना था।हालाँकि, सिक्किम को अभी भी अपने आंतरिक प्रशासन में स्वायत्तता प्राप्त थी।यह ध्यान देने योग्य है कि इस संधि के अनुच्छेद VII ने सिक्किम की प्रजा के साथ-साथ भारतीय नागरिकों को एक-दूसरे के क्षेत्रों में स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति दी थी।उक्त संधि के तहत, सिक्किम में भारतीय सिक्किम के कानून के अधीन थे और भारत में सिक्किम भारतीय कानूनों के अधीन था।सिक्किम में भारतीय नागरिकों को सरकारी नौकरी करने और सिक्किम में बसने के बाद अचल संपत्ति खरीदने का पारस्परिक अधिकार था और सभी मामलों में सिक्किमियों के साथ समान व्यवहार किया जाना था।

च

जी.

एच.

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

क.

(ग) चोग्याल ने 1961 में सिक्किम विषय विनियमन को लागू किया (इसके बाद सुविधा के लिए इसे "1961 विनियमन" कहा जाता है)।इस विनियमन में असाधारण प्रावधान थे जिनके द्वारा एक 'दूसरे राज्य का नागरिक' जो आम तौर पर तत्कालीन सिक्किम राज्य में रहता था, एक प्राकृतिक सिक्किम विषय/नागरिकता का दर्जा प्राप्त कर सकता था।1961 के विनियम के विनियम 8 (3), 8 (4) में सिक्किम साम्राज्य के पूर्ववर्ती चोग्याल की सरकार को इस संबंध में आवेदन किए जाने पर किसी व्यक्ति को प्राकृतिक बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।हालांकि, प्राकृतिककरण के लिए योग्य होने के लिए, आवेदक/व्यक्ति को सिक्किम राज्य के सरकारी प्रतिष्ठान के पदों या सेवाओं में कार्यरत होना चाहिए और निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करना चाहिएः

ग

(i) अपने आवेदन की तारीख से तुरंत पहले दस साल से कम की अवधि के लिए पूर्ववर्ती सिक्किम राज्य की सरकार की सेवा में होना चाहिए, या

डी.

((ii) पूर्ववर्ती सिक्किम साम्राज्य को सराहनीय सेवा प्रदान की होगी।यदि इस संबंध में कोई आवेदन किया जाता है तो चोग्याल की सरकार विनियमन 8 (4) के तहत प्रदान किए गए प्रावधान के अनुसार उस व्यक्ति की पत्नी और नाबालिग बच्चों को भी प्राकृतिक बना सकती है जिसे प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र दिया गया है।हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, उपरोक्त खंडों के तहत प्राकृतिककरण का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः(i) अपनी राष्ट्रीयता का त्याग करना और (ii) पूर्ववर्ती सिक्किम राज्य के प्रति अपनी निष्ठा बदलना।इस पूर्व शर्त का परिणाम यह था कि एक योग्य पुरुष ब्रिटिश भारतीय विषय या पुरुष भारतीय नागरिक और उसकी पत्नी और नाबालिग बच्चों को अपनी भारतीय राष्ट्रीयता (जिस देश का सिक्किम 1950 से संरक्षित राज्य था) को छोड़ना पड़ा, ताकि वे खुद को प्राकृतिक सिक्किम विषय में परिवर्तित कर सकें।हालाँकि, इन विनियमों को लागू किया गया था, याचिकाकर्ताओं के अनुसार भारतीयों के साथ कोई अलग व्यवहार नहीं किया गया था क्योंकि 1950 की भारत-सिक्किम संधि के तहत उनके अधिकारों की रक्षा की गई थी।

ई.

च

जी.

एच.

(घ) 1965 में सिक्किम के चोग्याल ने सिक्किम वर्क परमिट नियम, 1965 को अधिसूचित किया, जिसके द्वारा सभी विदेशियों को सिक्किम में प्रवेश करने, काम करने और रहने के लिए वर्क परमिट की आवश्यकता होती है।उल्लेखनीय है कि सिक्किम कार्य अनुमति नियम, 1965 के तहत "विदेशी" शब्द को परिभाषित किया गया था जिसका अर्थ है "विदेशी जो भारतीय नागरिक नहीं है"।इसलिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को सिक्किम में विदेशी नहीं माना जाता था और इस तथ्य के बावजूद कि वे सिक्किम के विषय नहीं थे, उन्हें कार्य अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी।कई भारतीय सिक्किम की मतदाता सूची में भी थे।

(ई) 1973 में सिक्किम में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के लिए भारत, चोग्याल और सिक्किम के राजनीतिक दलों के बीच एक समझौता किया गया था।उसी के अनुसरण में, भारत को सिक्किम में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में सहायता करनी थी।

ग

(च) इसके बाद, 26 अप्रैल, 1975 को संविधान छत्तीसवें संशोधन अधिनियम, 1975 के माध्यम से, सिक्किम भारत में एक राज्य बन गया और इसे भारत के संविधान की अनुसूची I की प्रविष्टि 22 में शामिल किया गया।

डी.

(छ) अनुच्छेद 371-एफ को भारत के संविधान में भी जोड़ा गया था, जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के राष्ट्रपति (संशोधन की तारीख से दो साल के भीतर) या संसद के लिए सिक्किम राज्य में किसी भी कानून का विस्तार करने या सिक्किम के किसी भी मौजूदा कानून को निरस्त करने का अधिकार था।

ई.

9. भारत के एक राज्य के रूप में सिक्किम के विलय के बाद, इन मामलों से संबंधित निम्नलिखित घटनाक्रमों का पता निम्नानुसार लगाया जा सकता हैः(क) एक वैधानिक आदेश के माध्यम से, नागरिकता अधिनियम, 1955 का विस्तार सिक्किम राज्य में किया गया था।21 जून, 1975 को भारत सरकार के गृह विभाग ने "सिक्किम (नागरिकता) आदेश 1975" शीर्षक से एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया था कि '26 अप्रैल, 1975 से पहले 1961 के विनियमन के तहत सभी सिक्किम विषयों को भारतीय नागरिक माना जाना था'।इसलिए, इसने सिक्किम में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों (भारतीय नागरिकता को छोड़े बिना) और अन्य लोगों के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया, जिन्होंने पहले सिक्किम विषय रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करके सिक्किम की नागरिकता ले ली थी।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 26 अप्रैल, 1975 तक सिक्किम ए के बीच कोई अंतर नहीं था।

च

जी.

एच.

323

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

सिक्किम में भारतीय मूल के लोग और अन्य बसने वाले, उन सभी को भारत के नागरिक के रूप में माना जा रहा है।हालाँकि, जिनके नाम सिक्किम विषय रजिस्टर में नहीं थे, उन्हें विचार से बाहर रखा गया था।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों को सिक्किम विषय रजिस्टर से बाहर कर दिया गया था और परिणामस्वरूप उन्हें भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया गया था, 25 सितंबर, 1976 को सिक्किम सरकार ने एक ज्ञापन जारी किया कि रोजगार पाने के उद्देश्यों के लिए, स्थानीय होने का दावा करने वाले लोगों को यह दिखाने में सक्षम होना चाहिए कि क्या उनके माता-पिता का नाम 15 मई, 1975 को या उससे पहले संबंधित सरकारी रजिस्टर में रखा गया था।

ग

(ग) इसके अलावा, अनुच्छेद 371-एफ के तहत, सिक्किम कानून आदेश का अनुकूलन जारी किया गया था, जिसमें 1961 के विनियमन को 13 सितंबर, 1975 को जारी आदेश द्वारा 26 अप्रैल, 1975 से निरस्त कर दिया गया था।

डी.

(घ) 9 अप्रैल, 1981 को सिक्किम सरकार ने इस आशय का एक ज्ञापन जारी किया किः

" ..... राज्यपाल ने संबंधित जिले के भीतर जिला कलेक्टरों को निम्नलिखित समूहों में उनकी पहचान करने वाले व्यक्ति को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया है ताकि वे राज्य में रोजगार के लिए आवेदन कर सकें -

ई.

1. एक व्यक्ति जिसका नाम 1975 से पहले पुराने सिक्किम विषय रजिस्टर में पाया जाता है।

2. एक व्यक्ति जिसका नाम पुराने सिक्किम विषय रजिस्टर में पंजीकृत नहीं है, लेकिन उसने संदेह से परे यह स्थापित किया है कि उसके पिता/पति/दादा/भाई का नाम पुराने सिक्किम विषय रजिस्टर में दर्ज किया गया है, या

च

3, एक व्यक्ति जिसके पास ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि है या जिसके पास है और वह सामान्य रूप से सिक्किम राज्य में रह रहा है या

जी.

4. एक व्यक्ति जिसके पिता/पति 31.12.1969 पर या उससे पहले सिक्किम सरकारी सेवा में रहे हों/रहे हों।"

(ङ) वर्ष 1988 में सिक्किम विधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा लोकसभा में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि

एच.

सिक्किम के भारत में विलय के समय, केवल वे लोग जिनके नाम सिक्किम विषय रजिस्टर में पंजीकृत थे, उन्हें सिक्किम (नागरिकता) आदेश 1975 के संदर्भ में भारतीय नागरिक बनाया गया था, लेकिन ऐसे कई अन्य व्यक्ति थे जो 1946 और 1975 की अवधि के बीच सिक्किम में मौजूद थे, जो अन्यथा अपने निवास के कारण, सिक्किम में अधिवासित थे और निष्ठा से "सिक्किम" थे और उन्हें भी भारतीय नागरिक बनाया जाना चाहिए।भारत सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया और तथाकथित 'राज्यविहीन' लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए एक अभ्यास किया गया, जिनके नामों को वास्तव में हटा दिया गया था।इस उद्देश्य के लिए, सिक्किम नागरिकता (संशोधन) आदेश, 1989 को 3 अप्रैल, 1989 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें भारत के नागरिकों के रूप में वास्तविक चूक के ऐसे मामलों को मानने के लिए एक परंतुक जोड़ा गया था। संशोधन आदेश में प्रासंगिक खंड इस प्रकार हैः

ग

"बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम उक्त विनियमन के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किए जाने के लिए पात्र था, लेकिन किसी भी वास्तविक चूक के कारण दर्ज नहीं किया गया था, उसे भी उस दिन भारत का नागरिक माना जाएगा यदि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा निर्धारित किया जाता है।"

डी.

(च) उसी तारीख यानी 3 अप्रैल, 1989 को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सिक्किम नागरिकता (संशोधन) आदेश, 1989 के संदर्भ में वास्तविक चूक के मामलों को देखने के लिए भारत सरकार और सिक्किम सरकार के अधिकारियों की एक समिति का गठन किया।सिक्किम विषय रजिस्टर में दर्ज किए जाने से वास्तविक चूक के कारण छूट गए व्यक्तियों को तय करने के लिए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे।यह माना जाता है कि निर्धारित दिशानिर्देशों के "खंड डी, एफ, जी और एच" के संदर्भ में, याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति सिक्किम सरकार स्थापना नियम, 1974 द्वारा 1 अप्रैल, 1974 से शुरू किए गए "अपवाद" खंड

के प्रारंभ से पहले 'सिक्किम दरबार' में अपने पिता की सरकारी नौकरी के आधार पर सिक्किम नागरिकता (संशोधन) आदेश, 1989 के संदर्भ में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हकदार थे।

ई.

च

जी.

(छ) इसके बाद, भारत सरकार के 7 अगस्त, 1990 और 08 अप्रैल, 1991 के आदेशों के अनुसार, कुल 73,431 व्यक्तियों को इस आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की गई कि यह पाया गया कि

एच.

325

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

कि ये व्यक्ति सिक्किम विषय रजिस्टर में शामिल होने के पात्र थे।इन 73,431 व्यक्तियों में से अधिकांश भारत के नागरिक थे और वे व्यक्ति थे जो 1946 और 1975 के बीच सिक्किम में स्थायी रूप से बस गए थे।

यह माना जाता है कि सिक्किम नागरिकता (संशोधन) आदेश, 1989 के संदर्भ में नागरिकता सूची में शामिल करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ताओं के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। (ग) 2021 का No.1283, जिसे संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था।हालाँकि, उनके नाम न तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भेजी गई अनुमोदित सूची में दिखाई दिए और न ही अस्वीकृत सूची में।

ग

10. सिक्किम में आई. टी. अधिनियम, 1961 के लागू होने से पहले के कानूनी और तथ्यात्मक विकास को निम्नानुसार समाहित किया जा सकता है क्योंकि इन मामलों में विवाद उक्त अधिनियम के तहत उत्पन्न होता हैः

(क) 1948 में सिक्किम के शासक (चोग्याल) द्वारा सिक्किम आयकर नियमावली, 1948 (एस. आई. टी. एम.) जारी की गई थी।एस. आई. टी. एम. के तहत, व्यवसाय में लगे सभी व्यक्तियों को उनके मूल की परवाह किए बिना कर के अधीन किया गया था।इसलिए, सिक्किम के मूल निवासियों, अर्थात् भूटिया-लेपचा और सिक्किम में बसे विदेशी मूल के व्यक्तियों, जैसे नेपालियों या भारतीय मूल के व्यक्तियों, जो पीढ़ियों पहले सिक्किम में बस गए थे, के बीच कोई अंतर नहीं था।यह माना जाता है कि एस. आई. टी. एम. के तहत जन्म स्थान, नस्ल या जातीयता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों द्वारा आयकर का भुगतान किया जाता था।

डी.

ई.

(ख) वर्ष 1989 में, आई. टी. अधिनियम, 1961 को वित्त अधिनियम, 1989 द्वारा सिक्किम तक विस्तारित किया गया था। उक्त संशोधन के तहत, आई. टी. अधिनियम, 1961 के अनुरूप कोई भी कानून जो सिक्किम राज्य में लागू था, निरस्त कर दिया गया।बेशक, चूंकि संसद के पास कृषि आय पर कर लगाने की कोई क्षमता नहीं थी, इसलिए एस. आई. टी. एम., 1948 को निरस्त करने से केवल कानून प्रभावित होगा क्योंकि यह आय पर करों पर लागू होता है और कृषि आय के संबंध में इसके संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

च

जी.

(ग) हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि आई. टी. अधिनियम, 1961 सिक्किम तक विस्तारित था और संबंधित कानून निरस्त हो गया था, याचिकाकर्ताओं सहित सभी निवासियों ने सिक्किम में अन्य भारतीय नागरिकों के साथ एस. आई. टी. एम. के तहत आयकर का भुगतान करना जारी रखा, भले ही उनके नाम सिक्किम राज्य विषय रजिस्टर में पंजीकृत थे या नहीं।

एच.

(घ) यह ध्यान दिया जाता है कि आई. टी. अधिनियम, 1961 का सिक्किम तक विस्तार वास्तव में सिक्किम राज्य के घोर विरोध के कारण लागू नहीं किया गया था।इसके बाद, भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 1994 द्वारा आई. टी. अधिनियम, 1961 में एक संशोधन के माध्यम से सिक्किम में अनुसूचित जनजातियों को आयकर से छूट का प्रस्ताव दिया, जैसा कि अन्य राज्यों के संबंध में किया जा रहा था।हालाँकि, लोकसभा में सिक्किम के एकमात्र सदस्य ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि केवल आदिवासियों को छूट देने का मतलब बड़े पैमाने पर गैर-आदिवासी आबादी का विरोध करना होगा, जो मतदाताओं का बड़ा हिस्सा हैं, जिसके कारण उक्त संशोधन को वापस ले लिया गया था।

ग

(ङ) 19 जुलाई, 2004 को भारत सरकार और सिक्किम राज्य सरकार ने सिक्किम में आई. टी. अधिनियम, 1961 के कार्यान्वयन के संबंध में मतभेदों को दूर करने के प्रयास में केंद्र सरकार और सिक्किम सरकार के सदस्यों की एक संयुक्त समिति का गठन किया।समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले सिक्किम राज्य ने बार-बार सिक्किम विषय प्रमाणपत्र (एस. एस. सी.) रखने वाले व्यक्तियों और उनके वंशजों को आयकर के भुगतान से छूट देने पर जोर दिया, जिन्हें 1989 के सिक्किम नागरिकता (संशोधन) आदेश द्वारा भारतीय नागरिक बनाया गया था।इस श्रेणी में अनिवार्य रूप से कुल जनसंख्या का लगभग 94.6% शामिल था।भारत सरकार के 07 अगस्त, 1990 और 08 अप्रैल, 1991 के आदेशों के अनुसार एस. एस. सी. धारकों और भारत के नागरिक बनाए गए लोगों और उनके वंशजों को छूट प्राप्त करने के लिए चार साल तक चर्चा की गई।सिक्किम सरकार का तर्क था कि एस. एस. सी. धारकों और जो लोग सिक्किम नागरिकता (संशोधन) आदेश, 1989 के अनुसार 1990-1991 में भारतीय नागरिक बने, उन्हें छूट दी जानी चाहिए।सिक्किम राज्य के लिए 2004 की मतदाता सूची में निम्नलिखित जनसांख्यिकीय संरचना थीः

डी.

ई.

च

भूटिया-लेप्चा (एसटी):20.64% नेपाली

:

69.71%

जी.

(सिक्किम के मूल विषयों सहित) शेरपा

:

4.31%

अन्य

:

5.34%

(भारतीय मूल के पुराने बसने वालेः1.50% और भारतीय मूल के लोगों सहित नए बसने वाले 3.84% = 5.34%)

एच.

327

सिक्किम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

क.

(च) वर्ष 2008 में, भारत सरकार ने वित्त अधिनियम, 2008 के आधार पर आई. टी. अधिनियम, 1961 में एक संशोधन पारित किया, जिसमें आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत खंड (26 ए. ए. ए.) पेश किया गया था।आई. टी. अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (26 ए. ए. ए.) ने सिक्किम के लोगों को छूट प्रदान की।इसके बाद 16 जून, 2008 को सिक्किम सरकार ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि एस. आई. टी. एम. पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं की शिकायतः

11. 2021 के डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 1283 में याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे सिक्किम में बस गए हैं और उनके पिता 31 दिसंबर, 1969 को और उससे पहले सरकारी सेवा में थे।इसलिए, वे 9 अप्रैल, 1981 को सिक्किम सरकार द्वारा जारी ज्ञापन की चौथी श्रेणी के अंतर्गत आ गए हैं।याचिकाकर्ताओं को सिक्किम सरकार द्वारा पहचान प्रमाण पत्र (अधिवास या आवासीय प्रमाण पत्र के समान) जारी किया गया है।उन्हें जारी किए जा रहे पहचान पत्र के कारण, याचिकाकर्ता सिक्किम की स्थानीय आबादी का हिस्सा हैं और उन व्यक्तियों के बराबर हैं जिनके नाम पुराने सिक्किम विषय रजिस्टर में पाए जाते हैं।इस प्रकार, उन्हें हमेशा से सिक्किम की स्थानीय आबादी के हिस्से के रूप में माना जाता रहा है, लेकिन याचिकाकर्ता, जो सिक्किम में भी बसे हुए हैं और जिन्हें पहचान प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, उन्हें आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के लाभ से बाहर रखा गया है और आयकर के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है, जबकि उपरोक्त प्रावधान का उद्देश्य उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणी को आयकर के भुगतान से छूट देना है।इन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उक्त प्रावधान प्रभावी रूप से सिक्किम के 94 प्रतिशत निवासियों को छूट देता है, जबकि शेष 5 प्रतिशत पर कर लगता है, जिसमें से लगभग 1 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जैसे याचिकाकर्ता जो सिक्किम में प्रामाणिक रूप से बसने वाले हैं और अन्य श्रेणियों के समान व्यवहार के हकदार हैं।याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि उन्हें केवल इस आधार पर आयकर लगाने के उद्देश्य से अलग किया गया है कि 1961 के विनियमन के तहत रजिस्टर में उनके नाम दर्ज नहीं हैं।इन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनके पास पहचान प्रमाण पत्र हैं और वे उतने ही सिक्किम के हैं जितने आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियां जिन्हें उक्त अधिनियम के तहत आयकर का भुगतान न करने का लाभ दिया गया है। 12.यह भी माना जाता है कि जिन व्यक्तियों को 1989 के सिक्किम नागरिकता (संशोधन) आदेश के माध्यम से भारतीय नागरिकता दी गई थी, वे वे व्यक्ति थे जिनके नाम वास्तव में कभी नहीं थे।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

सिक्किम विषय रजिस्टर में शामिल किया गया था लेकिन भारतीय नागरिकता का लाभ दिया गया था।

13. उपरोक्त शिकायत के संदर्भ में, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आयकर के भुगतान से छूट दिए जाने के लिए विभिन्न अभ्यावेदन किए गए थे।इन अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने एक समिति नियुक्त की।16 अक्टूबर, 2009 को समिति ने एक निर्णय सूचित किया कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आई. टी. अधिनियम, 1961 में उन व्यक्तियों को छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है जो सिक्किम विषयों के रजिस्टर में शामिल नहीं हैं।इसलिए समिति ने सिफारिश की कि उक्त व्यक्तियों को अपने नामों के संभावित समावेश के लिए आई. टी. अधिनियम, 1961 में खामियों को देखने के लिए कानूनी विशेषज्ञों/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से संपर्क करना चाहिए ताकि सिक्किम सरकार इस मुद्दे को भारत सरकार के साथ उठा सके।

ग

14. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 21 सितंबर, 2010 को सिक्किम सरकार ने एक कैबिनेट ज्ञापन जारी किया जिसमें यह स्वीकार किया गया कि पहचान प्रमाण पत्र (सी. ओ. आई.) इस विषय पर अभी भी वैध पूर्व-विलय कानूनों को देखते हुए जारी किया गया था, क्योंकि इसे अनुच्छेद 371-एफ के तहत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त था। याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति सी. ओ. आई. धारक होने के कारण सिक्किम सरकार स्थापना नियम, 1974 के नियम 4 (4) के तहत राज्य सरकार और उसकी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (पी. एस. यू.) के तहत रोजगार के लिए आते हैं, जिसमें केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के प्रावधान हैं।

डी.

ई.

15. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, आयकर के भुगतान से छूट से बाहर रखे गए व्यक्तियों के साथ हो रहे अन्याय के कारण, भले ही वे स्पष्ट रूप से सिक्किम के स्थायी निवासी थे, इस मामले पर सिक्किम राज्य विधानसभा में बहस हुई।24 मार्च, 2011 को एक कैबिनेट ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि सिक्किम सरकार ने महसूस किया कि विधानसभा के आगामी सत्र में छूट गई श्रेणियों के व्यक्तियों (जिनमें डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता जैसे व्यक्ति भी शामिल हैं) के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित करना उचित है। (ग) 2021 की संख्या 1283, जिनके पिता 31 दिसंबर, 1969 से पहले सिक्किम सरकारी सेवा में थे और जो लगातार सिक्किम राज्य में रह रहे हैं) भारत सरकार द्वारा आयकर छूट के लिए।तदनुसार प्रस्ताव 26 मार्च, 2011 को पारित किया गया था।

च

जी.

16. इसके बाद, इस न्यायालय के समक्ष 2013 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 59 दायर की गई और इस न्यायालय ने 11 फरवरी, ए.

एच.

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

2013, और आयकर विभाग के कहने पर वसूली कार्यवाही के संबंध में याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों को अंतरिम राहत प्रदान की और साथ ही टी. डी. एस. जमा करने से भी रोक दिया।

17. अगस्त 2013 में, राज्य सभा ने याचिका पर समिति की अपनी 145 वीं रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें वर्ष 1975 में भारत के साथ विलय से पहले सिक्किम में रहने वाले प्रामाणिक भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रार्थना की गई थी।अपने विचार-विमर्श में समिति ने स्पष्ट रूप से पाया कि सिक्किम के पुराने भारतीय बसने वालों के साथ सिक्किम के समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें उक्त परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए था।यह सिफारिश की गई कि ऐसे व्यक्तियों को भी छूट दी जाए।

18. 4 अप्रैल, 2018 को इस न्यायालय द्वारा 2013 की रिट याचिका संख्या 59 में याचिकाकर्ताओं को आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के लाभ का दावा करने वाले व्यक्तियों की एक सूची रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया गया था और सिक्किम राज्य को दावों को सत्यापित करने और केंद्र सरकार के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया था ताकि ऐसे दावों पर केंद्र सरकार द्वारा कानून के अनुसार विचार किया जा सके।19. इस आदेश के बाद, राज्य सरकार ने आयकर के भुगतान से छूट के लिए व्यक्तियों की दो अन्य श्रेणियों को शामिल करने की मंजूरी दी, जिसमें याचिकाकर्ताओं की श्रेणी यानी 31 दिसंबर, 1969 को या उससे पहले अपने पिता के सिक्किम सरकार की सेवा में होने के आधार पर सी. ओ. आई. रखने वाले और जो सिक्किम में स्थायी रूप से बसे हुए हैं और रह रहे हैं, उन व्यक्तियों के साथ जिन्हें सिक्किम के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संपत्ति के आधार पर सी. ओ. आई. जारी किया गया था।एक सार्वजनिक सूचना जिसमें सं. राज्य सरकार द्वारा 22 सितंबर, 2018 को उपरोक्त दो श्रेणियों को सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ भाग/5992 जारी किया गया था।यह माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों ने 22 सितंबर, 2018 की सार्वजनिक सूचना के अनुसार 2021 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 1283 में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं।

ग

डी.

ई.

च

20. यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के साथ निरंतर भेदभाव किया जा रहा है और आयकर का आकलन किया जा रहा है, भले ही वे आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत छूट के लिए भी पात्र हैं।विभिन्न अभ्यावेदनों के बावजूद, आई. टी. अधिनियम, 1961 में किए गए पूरी तरह से भेदभावपूर्ण और मनमाने संशोधनों को अभी भी समाप्त नहीं किया गया है।वास्तव में, कर की वसूली के लिए कुछ लोगों को और वसूली नोटिस भेजे गए हैं।

जी.

एच.

वे व्यक्ति जो डब्ल्यू. पी. में याचिकाकर्ता संख्या 1 संघ के सदस्य हैं। (ग) 2013 की सं. 59।इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों में, उस संशोधन से व्यथित होने के कारण जिसके द्वारा आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 में खंड (26 ए. ए. ए.) पेश किया गया था, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 को यह कहते हुए लागू किया है कि यह प्रावधान उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

आयकर अधिनियम**, 1961** की धारा **10 (26** एएए**):**

21. आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 कुल आय में शामिल नहीं की गई आय के बारे में बात करती है अर्थात उक्त अधिनियम की धारा 10 के खंडों के तहत उल्लिखित आय को किसी भी व्यक्ति की कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।धारा 10 के खंड (26 एएए) में कहा गया है कि किसी व्यक्ति के मामले में, जो सिक्किम का निवासी है, कोई भी आय, जो उसे (ए) सिक्किम राज्य में किसी भी स्रोत से; या (बी) प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के रूप में उपार्जित या उत्पन्न होती है,

किसी भी व्यक्ति की कुल आय के भीतर आने वाली आय नहीं होगी।हालांकि, परंतुक में कहा गया है कि इस खंड में निहित कुछ भी एक सिक्किम महिला पर लागू नहीं होगा, जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो सिक्किम नहीं है।व्याख्या में एक सिक्किमवासी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

ग

डी.

1. एक व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषय विनियम, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज है, जिसे सिक्किम विषय नियम, 1961 के साथ पढ़ा जाता है (जिसे इसके बाद "सिक्किम विषयों का रजिस्टर" कहा जाता है), 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले; या

ई.

2. एक व्यक्ति, जिसका नाम भारत सरकार के आदेश सं. 26030/36/90-I. C. I., दिनांक 7 अगस्त, 1990 और सम संख्या आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 1991 के आधार पर सिक्किम विषयों के रजिस्टर में शामिल है; या

च

3. कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं है, लेकिन यह संदेह से परे स्थापित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या उसी पिता के दादा या भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज किया गया है;

जी.

आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रासंगिक प्रावधान को निम्नानुसार निकाला गया हैः

“(26 ए. ए. ए.) किसी व्यक्ति के मामले में, जो सिक्किम का निवासी है, कोई भी आय जो उसे उपार्जित या उत्पन्न होती है-ए

एच.

331

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

(क) सिक्किम राज्य के किसी भी स्रोत से; या (ख) प्रतिभूतियों पर लाभांश या ब्याज के रूप मेंः

बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी ऐसी सिक्किम की महिला पर लागू नहीं होगा जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो सिक्किम की नहीं है।

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सिक्किम" का अर्थ होगा -

(i) एक व्यक्ति, जिसका नाम 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले सिक्किम विषय नियम, 1961 (इसके बाद "सिक्किम विषयों का रजिस्टर" के रूप में संदर्भित) के साथ पठित सिक्किम विषय विनियमन, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज है; या

ग

((ख) एक व्यक्ति, जिसका नाम भारत सरकार के आदेश सं. 26030/36/90-आई. सी. आई., दिनांक 7 अगस्त, 1990 और सम संख्या आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 1991 के आधार पर सिक्किम विषयों के रजिस्टर में शामिल है; या

डी.

(iii) कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं आता है, लेकिन यह संदेह से परे स्थापित किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या उसी पिता के दादा या भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज किया गया है।

ई.

प्रस्तुतियाँः

22. हमने श्री के. वी. विश्वनाथन, 2013 की रिट याचिका (सी) संख्या 59 में रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील, सुश्री पूजा धर, 2021 की रिट याचिका (सी) 1283 में रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील, श्री एन. वेंकटरमन, भारत संघ के राजस्व विभाग की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री विवेक कोहली, सिक्किम राज्य के विद्वान महाधिवक्ता, और रिकॉर्ड पर सामग्री का अवलोकन किया है।

च

रिट याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियाँः

जी.

23. शुरू में रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान वकील ने कहा कि आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) भारत के संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि यह 'सिक्किम' की परिभाषा से बाहर है, भारतीय मूल के प्रवासी/बसने वाले जो प्रभाव में आने से बहुत पहले सिक्किम में बस गए थे।

एच.

1961 विनियमन, एकमात्र आधार पर कि ऐसे प्रवासियों/बसने वालों को 1961 के विनियमन के तहत 'सिक्किम विषय' के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था।इसके अलावा, आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का प्रावधान असंवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है क्योंकि यह छूट प्राप्त श्रेणी से बाहर है, एक सिक्किम की महिला जिसने 1 अप्रैल, 2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी की थी।

24. तत्काल लिखित याचिकाओं में चुनौती के पहले चरण के संबंध में, यानी आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत 'सिक्किम' की परिभाषा के अधिकारों को चुनौती देने के संबंध में, यह तर्क दिया गया था कि पुराने बसने वालों/प्रवासियों, जो 1961 के विनियमन के प्रभाव में आने से बहुत पहले सिक्किम में बस गए थे, उन्हें 'सिक्किम' की परिभाषा से बाहर रखा गया था और परिणामस्वरूप आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के लाभ का दावा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था, एकमात्र इस आधार पर कि उनके नाम सिक्किम विषय के रूप में पंजीकृत नहीं किए जा सकते थे क्योंकि उनके पूर्वजों ने अपनी भारतीय नागरिकता का समर्पण नहीं किया था।

ग

25. यह भी तर्क दिया गया कि नेपाली प्रवासियों जैसे अन्य देशों/पूर्ववर्ती राज्यों के प्रवासियों, जो एक ही समय में या भारतीय मूल के प्रवासियों/बसने वालों के बाद भी सिक्किम चले गए थे और वहां बस गए थे, उन्हें आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के लाभों के लिए स्वीकार किया गया था, जबकि इसमें याचिकाकर्ताओं जैसे भारतीय मूल के बसने वालों को मनमाने ढंग से बाहर रखा गया था।यह कि आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) में निहित छूट प्रावधान द्वारा प्राप्त करने का उद्देश्य सिक्किम के निवासियों को सिक्किम की परिभाषा के अनुसार छूट देना था जो प्रावधान के स्पष्टीकरण के रूप में है।इसलिए, सिक्किम के विषयों के साथ पुराने सिक्किम बसने वालों के भेदभावपूर्ण वर्गीकरण, जिन्हें सिक्किम के विषयों के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, जिसके तहत पूर्व श्रेणी के व्यक्तियों को छूट के लाभों के लिए भर्ती किया गया था, जबकि बाद वाले को छोड़कर, छूट प्रावधान के उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं था।

डी.

ई.

च

26. इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि समूहों या श्रेणियों में वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जो एक समूह को दूसरे से अलग करता है।इस संबंध में यह कहा गया था कि सिक्किम का 26 अप्रैल, 1975 को भारत में विलय होने के बाद सिक्किम के सभी निवासी और प्रजा भारतीय नागरिक बन गए थे।इसलिए, सिक्किम के भारतीय बसने वालों के साथ सिक्किम के उन लोगों से अलग व्यवहार करने का कोई उचित कारण नहीं था जो बाद में भारतीय नागरिक बन गए थे।कि सिक्किम के भारत में विलय के बाद और सिक्किम विषयों को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने के बाद, वर्गीकरण का आधार ए था

जी.

एच.

333

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

नष्ट हो गया।26 अप्रैल, 1975 के बाद, जिन प्रवासियों/बसने वालों को पहले सिक्किम विषयों के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था, साथ ही सिक्किम विषयों को समान रूप से सिक्किम का भारतीय निवासी माना गया था और इसलिए, ऐसी दोनों श्रेणियों को आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत आयकर छूट के लाभों के लिए स्वीकार किया जाना था। यह तथ्य कि प्रवासियों/बसने वालों को पहले इस आधार पर सिक्किम विषयों के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया था कि वे प्रासंगिक समय पर अपनी भारतीय नागरिकता का समर्पण करने में विफल रहे, सिक्किम के भारत में विलय के बाद उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी, क्योंकि ऐसे प्रवासियों के साथ-साथ सिक्किम विषयों को भी विलय के बाद सिक्किम के भारतीय निवासियों के एक ही वर्ग में रखा गया था।27. यह आग्रह किया गया कि इस आशय के नियम कि कानून के प्रावधानों को प्राप्त करने के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए और समूहों या श्रेणियों में कोई भी वर्गीकरण एक समझदार अंतर पर आधारित होना चाहिए, कर कानूनों पर समान रूप से लागू होंगे, जैसा कि वे किसी भी मामले में लागू होते हैं।

ग

कानून के अन्य क्षेत्र**,** एस**.** के**.** दत्ता बनाम। लॉरेंस सिंह इंग्टी**,** ए**.** आई**.** आर**. 1968** एस**.** सी**. 658**।

डी.

28. श्री के. वी. विश्वनाथन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने आगे प्रस्तुत किया कि आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का स्पष्टीकरण इस वाक्यांश से शुरू होता है, 'सिक्किमी' का अर्थ होगा, और उसके बाद उन व्यक्तियों की तीन श्रेणियों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें अधिनियम के उद्देश्यों के लिए 'सिक्किमी' माना जाएगा। कि स्पष्टीकरण में प्रयुक्त शब्द 'मीन' है।' इसलिए, परिभाषा को समावेशी के रूप में माना जाना चाहिए, लेकिन 'सिक्किमी' शब्द के दायरे का संपूर्ण नहीं।' इस संबंध में,

ई.

उड़ीसा लिमिटेड बनाम दक्षिणी विद्युत आपूर्ति कंपनी पर निर्भरता रखी गई थी।श्री सीताराम राइस मिल, (2012) 2 एस. सी. सी. 108।

29. यह कहा गया था कि किसी प्रावधान का स्पष्टीकरण ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक अपवाद या परंतुक के रूप में काम करे।

च

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनाममहाराष्ट्र राज्य **(1989) 4** एस**.** सी**.** सी**. 378**।

यह कि आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का स्पष्टीकरण, प्रभावी रूप से, आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के अपवाद के रूप में कार्य करता है, जो 1961 के विनियमन के प्रभाव में आने से बहुत पहले सिक्किम में बसने वाले भारतीय मूल के प्रवासियों/बसने वालों के प्रावधान के दायरे से बाहर है।

जी.

30. यह प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान मामले में, सिक्किम में भारतीय बसने वालों के खिलाफ मनमाने भेदभाव को दूर करने के लिए, 'सिक्किम' शब्द की परिभाषा को उन भारतीयों को शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए जो 26 अप्रैल, 1975 को वहां बस गए थे।कि यह न्यायालय, सुधार करने के लिए

एच.

रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भेदभाव, सिक्किम में भारतीय बसने वालों को सिक्किम विषयों के समान वर्ग में रखना चाहिए, उन सभी मामलों के उद्देश्यों के लिए जो ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के अधिकारों, लाभों और विशेषाधिकारों को प्रभावित करेंगे।

31. चुनौती के दूसरे भाग के संबंध में, जो आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के परंतुक के अधिकार के लिए है, जिसमें छूट प्राप्त श्रेणी शामिल नहीं है, एक सिक्किम की महिला जो 1 अप्रैल, 2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है, रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान वकील ने तर्क दिया कि परंतुक भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है।इस संबंध में, यह आगे तर्क दिया गया कि एक महिला, केवल विवाहित होने के तथ्य पर 'सिक्किमी' के रूप में अपनी पहचान नहीं खोएगी।' यह लिंग आधारित भेदभाव परंतुक में स्पष्ट है, विशेष रूप से इसलिए कि 1 अप्रैल, 2008 के बाद गैर-सिक्किम महिला से शादी करने पर सिक्किम के पुरुष को अधिनियम के तहत छूट का दावा करने से अयोग्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

ग

डी.

32. यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त प्रावधान का पता केवल लिंग के अलावा किसी अन्य विचार से नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए, इसे महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण घोषित किया जाना चाहिए।रिलायंस

अनुज गर्ग और ओआरएस बनाम पर रखा गया था।होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ओआरएस।, (2008) 3 एस. सी. सी. 1 और जी. सेकर बनाम गीता, (2009) 6 एस. सी. सी. 99

यह तर्क देना कि केवल लिंग के आधार पर किसी प्रावधान के लाभों से बहिष्कार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त किया जा सकता है।

ई.

33. उपरोक्त कथनों के साथ, यह प्रार्थना की गई कि आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण में प्रदान की गई 'सिक्किम' शब्द की परिभाषा को उन भारतीयों को शामिल करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए जो 26 अप्रैल, 1975 को वहां बस गए थे और आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रावधान, जो छूट प्राप्त श्रेणी से बाहर है, एक सिक्किम महिला जो 1 अप्रैल, 2008 के बाद एक गैर-सिक्किम से शादी करती है, को असंवैधानिक होने के कारण रद्द कर दिया जाना चाहिए।

च

उत्तरदाताओं की प्रस्तुतियाँः

जी.

34. इसके विपरीत, राजस्व विभाग की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एन. वेंकटरमन ने तर्क दिया कि विवादित प्रावधान भारतीय मूल के प्रवासियों/बसने वालों से अलग एक समूह के रूप में सिक्किम विषयों के उचित वर्गीकरण पर आधारित है।कि इस तरह का वर्गीकरण उन विचारों पर आधारित था जो ए थे

एच.

335

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

सिक्किम समाज के भीतर शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया था, और इसलिए प्रार्थना की गई कि इसमें हस्तक्षेप न किया जाए।

35. यह प्रस्तुत किया गया था कि सिक्किम का 26 अप्रैल, 1965 को संघ के 22 वें राज्य के रूप में भारत में विलय हो गया और इसके परिणामस्वरूप, संविधान (छत्तीसवां संशोधन अधिनियम) 1975 के माध्यम से भारत के संविधान में अनुच्छेद 371-एफ पेश किया गया था।कि बाद में, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 23 फरवरी, 1989 को जारी एक अधिसूचना के आधार पर, आई. टी. अधिनियम, 1961 को निर्धारण वर्ष 1989-1990 से सिक्किम राज्य में लागू कर दिया गया।सिक्किम राज्य में अधिनियम के विस्तार के बाद, सिक्किम सरकार ने राज्य में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए सहयोग बढ़ाने पर हिचकिचाहट जारी रखी और विभिन्न आधारों पर कार्यान्वयन के लिए लगातार विस्तार की मांग की।जारी गतिरोध को हल करने के लिए, तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री ने जून 2004 में सिक्किम सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व वाली एक समिति का गठन किया।उक्त समिति के विचार-विमर्श के दौरान, सिक्किम सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव ने पहचान की कि सिक्किम समाज उन सिक्किम मूल के भारतीयों के वर्गीकरण पर आधारित था जिन्होंने 1975 के जनमत संग्रह में मतदान किया था, और अन्य जो पूर्ववर्ती सिक्किम राज्य के निवासी थे, लेकिन जनमत संग्रह में मतदान नहीं किया था क्योंकि वे 'सिक्किम विषय' पंजीकृत नहीं थे।' तदनुसार, यह संकल्प लिया गया कि इस तरह के वर्गीकरण को आयकर देयता निर्धारित करने के उद्देश्यों के लिए बनाए रखा जाएगा क्योंकि कोई अन्य वर्गीकरण सिक्किम के समाज को खंडित कर देगा और समाज के भीतर अशांति और आंदोलनों को जन्म देगा।उपरोक्त पृष्ठभूमि के साथ, यह आग्रह किया गया कि सिक्किम के विषयों और भारतीय मूल के प्रवासियों/बसने वालों सहित सिक्किम के अन्य निवासियों के बीच अंतर एक उचित वर्गीकरण पर आधारित था।

ग

डी.

ई.

च

36. इस बात पर जोर दिया गया कि इस न्यायालय ने पिछले अवसरों पर मान्यता दी थी कि सिक्किम विषयों ने एक समूह का गठन किया था जो सिक्किम के अन्य निवासियों से अलग था।

37. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि सिक्किम की पूरी आबादी को आयकर के भुगतान से छूट केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वे राज्य में अधिवासित हैं।इसलिए, सिक्किम के निवासियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच ठोस सामाजिक और ऐतिहासिक मतभेदों को ध्यान में रखते हुए, आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण के तहत निर्दिष्ट सिक्किम विषयों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के पक्ष में छूट दी गई थी।

जी.

38. भारतीय मूल के वे प्रवासी/बसने वाले, जो 1961 के विनियमन के प्रभाव में आने से पहले सिक्किम में रह रहे थे, उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़कर खुद को सिक्किम विषयों के रूप में पंजीकृत नहीं करने का विकल्प चुना।यह व्यक्तियों के उक्त वर्ग द्वारा किया गया एक सुविचारित विकल्प था।सिक्किम विषयों के रूप में पंजीकरण न होने के कारण अपने विशेषाधिकारों को माफ करने के बाद, भारतीय मूल के प्रवासी/बसने वाले इस समय सिक्किम विषयों के बराबर व्यवहार किए जाने का दावा नहीं कर सकते हैं।

39. जहां तक आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के परंतुक की वैधता का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण या संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन नहीं है।यह कि 1 अप्रैल, 2008 के बाद गैर-सिक्किम पुरुषों से शादी करने वाली सिक्किम की महिलाओं को अयोग्य घोषित किया जाना सिक्किम के प्रथागत कानूनों पर आधारित था, जिसमें यह प्रावधान है कि वंश एक महिला के पिता के माध्यम से होगा और इस तरह के वंश के आधार पर निहित कोई भी विशेषाधिकार तब तक जारी रहेगा जब तक कि ऐसी महिला की शादी नहीं हो जाती।कि ऐसे समाज को बांधने के लिए कानून बनाते समय समाज के विशिष्ट प्रथागत कानूनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

ग

डी.

40. उपरोक्त कथनों के साथ, यह प्रार्थना की गई थी कि तत्काल रिट याचिकाओं को योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाए।

41. सिक्किम राज्य की ओर से, विद्वान वकील, श्री विवेक कोहली ने निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकार को सिक्किम मूल की विवाहित महिलाओं को आयकर छूट देने के लिए रिट याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है, जिन्होंने 1 अप्रैल, 2008 के बाद एक गैर-सिक्किम पुरुष से शादी की थी।यह भी प्रस्तुत किया गया कि कर छूट का लाभ सिक्किम में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को दिया जा सकता है, भले ही उनके नाम 1961 के विनियमन के तहत बनाए गए 'सिक्किम विषय रजिस्टर' में 'सिक्किम विषय' के रूप में पंजीकृत हों।

ई.

च

42. आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (26 ए. ए. ए.) को दोतरफा चुनौती दी गई है।सबसे पहले, 1 अप्रैल, 2008 के बाद शादी करने वाली एक गैर-सिक्किम महिला को प्रतिबंधित करने वाले परंतुक को उस प्रावधान के तहत लाभ से बाहर रखा गया है।दूसरा, इन रिट याचिकाओं में 'सिक्किमी' की परिभाषा पर भी हमला किया गया है।ऐसा ही होगा।

जी.

सीरियातिम में चर्चा की गई।

आई. टी. अधिनियम की धारा **10 (26** ए. ए. ए.**)** के प्रावधान को चुनौती**,**

1961 :

एच.

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

क.

43. आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रावधान पर हमला किया गया है।परंतुक इस प्रकार हैः

"बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी सिक्किम की महिला पर लागू नहीं होगा, जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो सिक्किम की नहीं है।

44. इस प्रावधान को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसमें सिक्किम की महिलाओं को इस आधार पर शामिल नहीं किया गया है कि उन्होंने 1 अप्रैल, 2008 के बाद एक ऐसे व्यक्ति से शादी की है जो सिक्किम की नहीं है।इस संदर्भ में, निम्नलिखित पहलुओं को देखा जा सकता हैः

i) सबसे पहले, यह याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सिक्किम की महिलाओं के साथ भेदभाव किया गया है जो कानून में मान्य नहीं है, विशेष रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के संबंध में।तर्क यह है कि सिक्किम की महिलाओं के खिलाफ भेदभाव है, जबकि सिक्किम के पुरुषों के संबंध में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, इस अर्थ में कि यदि कोई सिक्किम की महिला किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो सिक्किम का नहीं है, तो उसे खंड के लाभ से बाहर रखा जाता है, लेकिन यदि कोई सिक्किम का पुरुष किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जो सिक्किम का नहीं है, तो ऐसा बहिष्कार लागू नहीं होता है।

ग

डी.

ii) दूसरा, यह केवल सिक्किम की महिलाएं हैं जिन्होंने 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद शादी की है, जिन्हें उक्त प्रावधान के लाभ से बाहर रखा गया है, लेकिन यदि किसी सिक्किम की महिला की शादी 1 अप्रैल, 2008 से पहले किसी गैर-सिक्किम से हुई थी, तो प्रावधान के तहत दिए गए लाभ से ऐसा कोई बहिष्कार नहीं है।

ई.

iii) तीसरा, यह तर्क दिया जाता है कि विवाह एक पुरुष और एक महिला के बीच वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकता है ताकि इसे एक महिला के खिलाफ भेदभावपूर्ण बनाया जा सके।एक सिक्किम की महिला के साथ गैर-सिक्किम से शादी करने वाले सिक्किम के पुरुष के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।

च

iv) चौथा, यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि इस प्रावधान में 1 अप्रैल, 2008 की मनमाने ढंग से कटौती की तारीख जोड़ी गई है, जिसके परिणामस्वरूप उन सिक्किम की महिलाओं के बीच भेदभाव होता है जिन्होंने उक्त तारीख से पहले एक गैर-सिक्किम से शादी की थी और उन सिक्किम की महिलाओं के बीच जो उक्त तारीख के बाद शादी कर रही हैं।कि वे सिक्किम की महिलाएं जिन्होंने उक्त तिथि से पहले एक गैर-सिक्किम से शादी की थी, उन्हें धारा 10 (26 एएए) के लाभकारी खंड में शामिल किया गया है, लेकिन जिन लोगों ने उस तारीख के बाद शादी की है, उन्हें लाभ से वंचित कर दिया जाता है।

जी.

v) एक अन्य तर्क यह है कि "सिक्किमी" अभिव्यक्ति की परिभाषा पर ही हमला किया जाता है और इसलिए, कोई भी सिक्किमी महिला जो

एच.

ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जो "सिक्किम" की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है, उसे उक्त प्रावधान का लाभ नहीं मिलता है।

45. मुख्य रूप से, यह तर्क दिया गया था कि मनमाने तारीख यानी 1 अप्रैल, 2008 के संदर्भ में सिक्किम की महिलाओं के खिलाफ विवाह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार, परंतुक एक कृत्रिम वर्गीकरण और विवाहित महिलाओं और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव पैदा करता है और यह विवाह सिक्किम की महिलाओं के बीच वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकता है।इसके अलावा, उक्त वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने के उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है क्योंकि जब सभी व्यक्ति जो उक्त प्रावधान के स्पष्टीकरण में दी गई "सिक्किम" अभिव्यक्ति के दायरे और दायरे में आ रहे हैं, उन्हें आई. टी. अधिनियम, 1961 के तहत आयकर के भुगतान से छूट का लाभ दिया जाता है, तो केवल सिक्किम की महिलाओं को ही बाहर नहीं किया जा सकता है, जिनकी शादी 1 अप्रैल, 2008 के बाद किसी गैर-सिक्किम से हुई है।

ग

46. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की दलीलों का जोर यह है कि सिक्किम की उन महिलाओं के खिलाफ भेदभाव है जिन्होंने एक गैर-सिक्किम से शादी की है, वह भी केवल उन महिलाओं के साथ जिन्होंने 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद शादी की है।यह तर्क दिया जाता है कि परंतुक दो कारणों से मनमाना हैःपहला, क्योंकि यह गैर-सिक्किम पुरुषों से शादी करने वाली सिक्किम की महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और दूसरा, केवल उन सिक्किम की महिलाओं को, जिनकी शादी 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद हुई थी, इस प्रावधान का लाभ नहीं मिलता है।

डी.

ई.

47. विवादित परंतुक का विश्लेषण करने पर, यह ध्यान दिया जाता है कि प्रावधान का लाभ (i) सिक्किम की महिला पर लागू नहीं होता है, (ii) जिसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हुई है जो सिक्किम की नहीं है, और (iii) शादी 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद हुई है।इस प्रकार, जो सामने आता है वह यह है कि सिक्किम की महिला की शादी को वर्गीकरण का आधार बनाया जाता है।इस प्रकार, दूसरे शब्दों में, निम्नलिखित तरीकों से भेदभाव होता हैःi) सिक्किम की महिलाओं के बीच जो सिक्किम के पुरुषों के विपरीत हैं।

च

जी.

(ख) सिक्किम की उन महिलाओं के बीच जो विवाहित हैं और जो विवाहित नहीं हैं, और

(iii) सिक्किम की उन महिलाओं के बीच जो एक गैर-सिक्किम से शादी करने वालों के विपरीत एक सिक्किम से शादी करती हैं, और ए

एच.

339

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

(iv) उन सिक्किम की महिलाओं के बीच जिन्होंने 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद एक गैर-सिक्किम से शादी की है, जो प्रावधान के लाभ की हकदार नहीं हैं, जबकि उन सिक्किम की महिलाओं के बीच जो उपरोक्त तिथि से पहले एक गैर-सिक्किम से शादी कर चुकी हैं, जो उक्त प्रावधान की हकदार हैं।

48. यह भी देखा गया है कि 1 अप्रैल, 1990 से वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा आई. टी. अधिनियम, 1961 में धारा 10 (26 ए. ए. ए.) जोड़ी गई थी।यद्यपि वर्ष 2008 में अंतःस्थापित किया गया परंतुक 1 अप्रैल, 1990 से पूर्वव्यापी प्रभाव रखता है, अर्थात जिस तारीख को सिक्किम में आई. टी. अधिनियम, 1961 लागू किया गया था।1990 से पहले एस. आई. टी. एम., 1948 सिक्किम में लागू था।इसका मतलब यह होगा कि 1 अप्रैल, 1990 और 1 अप्रैल, 2008 के बीच अठारह साल की अवधि के लिए ऐसा कोई भेदभाव नहीं था।इस प्रकार, वे सिक्किम की महिलाएं जिन्हें छूट का लाभ मिला था, उन्हें उसी 1 अप्रैल, 2008 से वंचित कर दिया गया है।परंतुक की पूर्वव्यापीता 1 अप्रैल, 1990 से परंतुक के तहत आने वाली महिलाओं की ऐसी श्रेणी को दिए गए निहित लाभ को बिना किसी तर्क के छीन लेती है।

ग

डी.

49. इसके अलावा, 1961 के विनियमन के विनियमन (3) के तहत व्यक्तियों की श्रेणियों के संदर्भ में वर्गीकरण के आधार का विश्लेषण करना आवश्यक है।

(i) यदि कोई महिला 1961 के विनियमन के प्रारंभ से ठीक पहले सिक्किम के क्षेत्र में अधिवास रखने वाले व्यक्ति की पत्नी है, तो ऐसा व्यक्ति सिक्किम का विषय होगा यदि वहः

ई.

क) सिक्किम के क्षेत्र में पैदा हुआ था और वहां का निवासी है, या

च

ख) विनियमन के प्रारंभ से ठीक पहले पंद्रह साल से कम की अवधि के लिए सिक्किम के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा है।

((ii) सिक्किम में अधिवासित व्यक्ति की पत्नी को विनियमन (3) [विनियमन (3) के स्पष्टीकरण के खंड (2) के अनुसार] के उद्देश्य से सिक्किम में अधिवासित माना जाएगा।

जी.

(iii) विनियम (6) के तहत, विदेशी राष्ट्रीयता की एक महिला जिसकी शादी 1961 के विनियम के प्रारंभ के बाद सिक्किम विषय से हुई है, आम तौर पर पंजीकृत होने की पात्र होगी।

एच.

सिक्किम विषय के रूप में, 1961 के विनियमन के तहत नियमों द्वारा प्रदान किए गए तरीके से चोग्याल की सरकार को आवेदन करने और अपनी पूर्व राष्ट्रीयता का त्याग करने और निष्ठा की शपथ लेने पर।

(iv) विनियमन (7) के खंड (बी) में कहा गया है कि कोई भी सिक्किम महिला जो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करती है जो सिक्किम का विषय नहीं है, वह सिक्किम का विषय नहीं रहेगी।

50. इस प्रकार, 1961 के विनियम के तहत, जहां तक महिलाओं का संबंध है, विवाह सिक्किम में अधिवास होने का दर्जा प्राप्त करने और सिक्किम विषय होने या सिक्किम विषय के रूप में अधिवास या दर्जा खोने का आधार रहा है, आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के परंतुक को चुनौती देते समय किस पहलू पर चर्चा की जाएगी।

ग

51. मेरे विचार में, एक सिक्किम महिला की शादी भी उसके खिलाफ भेदभाव का आधार है, जबकि 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद एक सिक्किम पुरुष द्वारा सिक्किम या गैर-सिक्किम महिला से शादी करने के मामले में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है।संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।संविधान के अनुच्छेद 15 (1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।वास्तव में, अनुच्छेद 15 (3) में सहानुभूतिपूर्वक कहा गया है कि अनुच्छेद 15 में कुछ भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, तत्काल मामले में, परंतुक सिक्किम की महिलाओं के पक्ष में होने के बजाय, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 (1) और (2) के खिलाफ है क्योंकि यह सिक्किम की महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है, जिन्होंने एक गैर-सिक्किम से शादी की है, वह भी 1 अप्रैल, 2008 के बाद।

डी.

ई.

च

52. इस चर्चा को आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण के आलोक में भी देखा जाना चाहिए।स्पष्टीकरण में कहा गया है कि 'सिक्किमी' शब्द का अर्थ होगा, एक व्यक्ति जिसका नाम 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले सिक्किम विषयों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है, या एक व्यक्ति जिसका नाम भारत सरकार के आदेश दिनांक 07 अगस्त, 1990 और 08 अप्रैल, 1991 के आधार पर उक्त रजिस्टर में शामिल किया गया है, या एक व्यक्ति जिसका नाम उक्त रजिस्टर में नहीं आता है, लेकिन यह निस्संदेह स्थापित किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या उसी पिता के दादा या भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज किया गया है।अभिव्यक्ति "एक ए"

जी.

एच.

341

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

स्पष्टीकरण के खंड (1) से (3) में "व्यक्ति" केवल एक सिक्किम पुरुष को संदर्भित नहीं कर सकता है और एक सिक्किम महिला को बाहर नहीं कर सकता है।किसी भी अन्य व्याख्या का अर्थ यह होगा कि एक सिक्किम की महिला की अपनी कोई पहचान नहीं है, भले ही वह एक सिक्किम होने के स्पष्टीकरण के तहत शामिल हो और इसलिए वह प्रावधान के लाभ का हकदार है।इसका यह भी अर्थ होगा कि स्पष्टीकरण के अंतर्गत आने वाली सिक्किम की महिला को प्रावधान के लाभ से बाहर रखा जाएगा यदि वह परंतुक के अंतर्गत आती है।दूसरे शब्दों में, स्पष्टीकरण जो एक परिभाषा की प्रकृति में है ताकि सभी सिक्किम के व्यक्तियों को लाभ दिया जा सके, केवल सिक्किम के पुरुषों (जो स्पष्टीकरण के तहत आने वाले व्यक्ति हैं) के लिए इसकी प्रयोज्यता में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रावधान के कारण एक विशेष श्रेणी की महिला सिक्किम के व्यक्तियों को बाहर रखा जा सकता है, जो स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण है।इसका मतलब यह भी होगा कि स्पष्टीकरण में "व्यक्ति" अभिव्यक्ति सिक्किम की महिलाओं को बाहर कर देगी।मेरे विचार में, परंतुक को उस स्पष्टीकरण का अपवाद नहीं माना जा सकता है जो एक परिभाषा खंड की प्रकृति में है क्योंकि ऐसा करना स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण होगा।

ग

53. इस प्रकार, जब एक सिक्किम के व्यक्ति को एक लाभ दिया जा रहा है, जिसमें प्रावधान के तहत सभी लिंग शामिल होंगे, स्पष्टीकरण के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, जो एक परिभाषा की प्रकृति में है, तो परंतुक विवाहित सिक्किम की महिलाओं की एक निश्चित श्रेणी को उक्त स्पष्टीकरण से बाहर नहीं कर सकता है और इस तरह उन्हें आयकर के भुगतान से छूट के उक्त लाभ से वंचित कर सकता है, जिसके आधार पर वे विवाहित हैं।जब स्पष्टीकरण एक "व्यक्ति" को संदर्भित करता है, तो इसमें सिक्किम के

पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, वास्तव में, सभी लिंग; इसमें केवल सिक्किम के पुरुषों के लिए प्रतिबंधात्मक या अदूरदर्शी संदर्भ नहीं हो सकता है और उन सिक्किम की महिलाओं को इस प्रावधान के तहत शामिल नहीं किया जा सकता है।एक परंतुक एक प्रावधान से अधिक नहीं हो सकता है।लेकिन तत्काल मामले में, परंतुक परंतुक में निर्दिष्ट विवाहित सिक्किम की महिलाओं की उन श्रेणियों के संबंध में प्रावधान के साथ-साथ स्पष्टीकरण को ओवरराइड कर रहा है जो अनुज्ञेय नहीं है।इस प्रकार, यह प्रावधान स्वाभाविक रूप से सिक्किम की महिलाओं की एक विशेष श्रेणी के खिलाफ मनमाना और भेदभावपूर्ण है।दूसरे शब्दों में, आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण में सिक्किम के पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं।इस तरह की व्याख्या होने के कारण, मेरे विचार में, परंतुक स्पष्टीकरण और धारा के भी विरोधी है।

डी.

ई.

च

जी.

54. परंतुक का सामान्य कार्य प्रावधान से बाहर कुछ को छोड़कर या उसमें अधिनियमित कुछ को अर्हता प्राप्त करना है, जो परंतुक के लिए, प्रावधान के दायरे में होगा।सामान्य तौर पर,

एच.

अधिनियम में जो कुछ भी है उसे अर्हता प्राप्त करने या अपवाद बनाने के लिए किसी अधिनियम में एक परंतुक जोड़ा जाता है और आम तौर पर, एक परंतुक की व्याख्या सामान्य नियम के रूप में नहीं की जाती है।दूसरे शब्दों में, एक परंतुक मुख्य अधिनियम की व्यापकता को एक अपवाद प्रदान करके और मुख्य अधिनियम से एक भाग को निकालकर योग्य बनाता है, जो परंतुक के लिए मुख्य प्रावधान के भीतर आता है।इसके अलावा, एक परंतुक को प्रावधान को रद्द करने या अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार को पूरी तरह से छीनने के रूप में नहीं माना जा सकता है।यदि यह ऐसा करता है और भेदभावपूर्ण है तो यह भारत के संविधान के समानता खंडों के खिलाफ है।

55. यह दोहराया जाता है कि आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण में "एक व्यक्ति" अभिव्यक्ति में सिक्किम की महिलाओं सहित सभी लिंग शामिल होने चाहिए।केवल लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।इसलिए, सभी सिक्किम की महिलाएं आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के लाभ की हकदार हैं, चाहे वे सिक्किम की हों या गैर-सिक्किम की, इसके स्पष्टीकरण के अनुसार।

ग

डी.

56. इसके अलावा, भारत के साथ सिक्किम के विलय के अनुसार, जिसके कारण सिक्किम भारत के राज्यों में से एक बन गया है और सिक्किम के क्षेत्र में रहने वाले सभी सिक्किम के लोग भारतीय नागरिक बन गए हैं, 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद किसी गैर-सिक्किम व्यक्ति से शादी करने वाली सिक्किम की महिलाओं, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी, के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है।इसलिए इस तरह का भेदभाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत प्रदान की गई समानता की गारंटी का उल्लंघन है क्योंकि यह लिंग और नस्ल के आधार पर है।इसलिए, आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (26 ए. ए. ए.) का प्रावधान असंवैधानिक लिंग-आधारित भेदभाव का एक स्पष्ट उदाहरण है और इसे निरस्त किया जा सकता है।

ई.

च

57. इस संदर्भ में, इस न्यायालय के न्यायिक आदेश और निर्णयों को निम्नानुसार नोट किया जा सकता हैः

क) एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा, ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 1829 में,

सवाल यह था कि क्या एयर इंडिया में रोजगार प्राप्त करने पर तुरंत शादी पर चार साल की रोक, जो केवल महिला कर्मचारियों पर लागू होती है, को एक उचित प्रावधान के रूप में बनाए रखा जा सकता है।इस न्यायालय ने इसे इस आधार पर एक ठोस और हितकारी प्रावधान माना कि यह "कर्मचारी के स्वास्थ्य में सुधार करेगा" और "वह पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है और इस तरह के विवाह के सफल साबित होने की हर संभावना है, सभी चीजें समान हैं।".उक्त निर्णय ए

जी.

एच.

343

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

यह वर्ष 1981 में दिया गया था, लेकिन समय बीतने के साथ और लैंगिक न्याय की दिशा में विश्वव्यापी आंदोलन और महिलाओं के खिलाफ सभी भेदभाव के उन्मूलन के कारण, गति प्राप्त करते हुए, मेरा विचार है कि एक महिला कर्मचारी के संबंध में विवाह पर तुरंत चार साल की अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा नियुक्त किया जाना भी भेदभावपूर्ण है।इसलिए, लैंगिक भेदभाव के इस पहलू पर पुनर्विचार और सुधार की आवश्यकता होगी।ऐसा इसलिए है क्योंकि विवाह का चुनाव करने के साथ-साथ इस विकल्प का प्रयोग करना कि कब विवाह करना है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

ग

हालाँकि, इसी मामले में, इस अदालत ने एक महिला कर्मचारी को उसकी पहली गर्भावस्था पर सेवा से बर्खास्त करना चौंकाने वाला पाया क्योंकि यह "भारतीय स्त्रीत्व" का खुला अपमान था और इसलिए, उक्त कार्रवाई एक सभ्य समाज की धारणाओं के लिए बेहद घृणित और घृणित थी और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था।वास्तव में, इस न्यायालय ने कहा कि नियम में संशोधन किया जा सकता है ताकि किसी कर्मचारी की तीसरी गर्भावस्था पर उसकी सेवाओं को समाप्त करने की अनुमति दी जा सके, जो पहलू भी, मेरे विचार में, किसी भी योग्यता मानदंडों के अभाव में पुनर्विचार की मांग करता है।

डी.

ई.

ख) एयर इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन में। बनाम यशस्विनी मर्चेंट और अन्य, ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 187, इस न्यायालय ने निर्धारित किया

बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक फैसले को दरकिनार करते हुए और एयर इंडिया में महिला कर्मचारियों, अर्थात् एयर होस्टेस की शीघ्र सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा, जो उस समय एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था।अपने निर्णय को उचित ठहराते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि "सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने के लिए कोई कट एंड ड्राई फॉर्मूला नहीं हो सकता है" और यह "हमेशा प्रासंगिक कारकों के उचित मूल्यांकन पर निर्भर करेगा और संभवतः मामले-दर-मामले भिन्न हो सकता है।"

च

जी.

58. उचित सम्मान के साथ, मैंने पाया कि उपरोक्त दो निर्णयों में महिलाओं के विवाह, परिणामी गर्भावस्था और उम्र बढ़ने से संबंधित उनके शरीर और शारीरिक रूप पर अंतर्निहित जोर दिया गया है जो नीतिगत निर्णय या विनियम बनाने के लिए तर्क या आधार नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण हैं और इस प्रकार, असंवैधानिक हैं।

एच.

344

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

59. उपरोक्त निर्णयों के विपरीत, इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का भी उल्लेख करना आवश्यक हैः

i) सी. बी. मुथम्मा बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1868 में इस न्यायालय का निर्णय इस संबंध में अत्यधिक शिक्षाप्रद है।उसमें याचिकाकर्ता भारतीय विदेश सेवा में एक अधिकारी था।उन्होंने इस अदालत के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें शत्रुतापूर्ण भेदभाव के आधार पर पदोन्नति से इनकार करने का दावा किया गया, क्योंकि वह एक महिला थीं।उन्होंने इस अदालत के ध्यान में निम्नलिखित दो नियमों को भी लाया, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाले होने के रूप में चुनौती देते हैंः

1. भारतीय विदेश सेवा (आचरण और अनुशासन) नियम, 1961 का नियम 8 (2) जिसमें विदेश सेवा में एक महिला सदस्य को अपनी शादी से पहले लिखित रूप में सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है और यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उसके परिवार और घरेलू प्रतिबद्धताएं उसके कर्तव्यों के उचित और कुशल निर्वहन के रास्ते में आने की संभावना है तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए।

ग

डी.

2. भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1961 का नियम 18 (4), जो एक विवाहित महिला को अधिकार के रूप में विदेश सेवा में नियुक्त होने से प्रतिबंधित करता है।

यद्यपि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, नियम 18 (4) को हटा दिया गया था, और प्रत्यर्थी द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था-यह बताते हुए कि नियम 8 (2) भी निरस्त होने की प्रक्रिया में था, इस न्यायालय ने विवाह पर आधारित अक्षमताओं के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

ई.

"5. महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, दर्दनाक पारदर्शिता में, इस नियम में पाया जाता है।यदि कोई महिला सदस्य

च

शादी करने से पहले सरकार की अनुमति प्राप्त करें, वही जोखिम सरकार द्वारा चलाया जाता है यदि कोई पुरुष सदस्य शादी करता है।यदि सेवा की महिला सदस्य की सौहार्दपूर्ण और घरेलू प्रतिबद्धताएं कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के रास्ते में आने की संभावना है, तो पुरुष सदस्य के मामले में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है।में

जी.

एकल परिवारों, अंतर-महाद्वीपीय विवाहों और अपरंपरागत व्यवहार के इन दिनों, कोई भी प्रजाति के सौम्य व्यक्ति के खिलाफ नग्न पूर्वाग्रह को समझने में विफल रहता है।

6. पहली बार में यह नियम अनुच्छेद **16** की अवहेलना है। यदि एक विवाहित पुरुष का अधिकार है**,** तो एक विवाहित महिला**,** अन्य ए

एच.

345

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

चीजें समान होने के कारण**,** इससे भी बदतर स्थिति नहीं है।यह स्त्री**-**विरोधी मुद्रा कमजोर लिंग को परेशान करने की मर्दाना संस्कृति का एक झटका है**,** यह भूलकर कि कैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए हमारा संघर्ष भी महिलाओं के खिलाफ एक लड़ाई थी।

थ्रेल्डम।स्वतंत्रता अविभाज्य है और न्याय भी अविभाज्य है।यह कि अनुच्छेद 14 और 16 में निहित हमारे संस्थापक विश्वास को भारत की आधी मानवता यानी हमारी महिलाओं की तुलना में दुखद रूप से नजरअंदाज किया जाना चाहिए था, पुस्तक में संविधान और कार्रवाई में कानून के बीच की दूरी पर एक दुखद प्रतिबिंब है।और यदि संसद के सरोगेट के रूप में कार्यपालिका भाग III के नियमों को लागू करती है, विशेष रूप से जब उच्च राजनीतिक पद, यहां तक कि राजनयिक कार्य भी महिलाओं द्वारा भरे गए हैं, तो लैंगिक समानता के लिए कठोर एलर्जी का अनुमान अनिवार्य है।

ग

7. हमारा मतलब यह सार्वभौमिक या हठधर्मिता करना नहीं है कि पुरुष और महिला सभी व्यवसायों और सभी स्थितियों में समान हैं और व्यावहारिक रूप से इस बात की आवश्यकता को बाहर नहीं करते हैं कि विशेष रोजगार की आवश्यकताएं, लिंग की संवेदनशीलता या सामाजिक क्षेत्रों की विशिष्टताएं या किसी भी लिंग की बाधाएं चयनशीलता को मजबूर कर सकती हैं।लेकिन इसके अलावा जहां भेदभाव प्रदर्शित किया जा सकता है, समानता का शासन शासन करना चाहिए।हमारे संविधान के इस पंथ ने आखिरकार हमारे सरकारी विचार को बताया है, शायद इस रिट याचिका के लंबित होने से आंशिक रूप से दबाव डाला गया है। जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि नियम 18 (4) (जिसका उल्लेख पहले किया गया था) को 12 नवंबर, 1973 को हटा दिया गया है।और, इसी तरह, केंद्र सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि नियम 8 (2) गुमनामी की राह पर है क्योंकि इसे हटाने का राजपत्र जारी किया जा रहा है।कभी न होने से देर हो जाना बेहतर है।किसी भी तरह से, हम इन नियमों की जांच करने या उन्हें निरस्त करने की आवश्यकता से मुक्त हैं।"

डी.

ई.

च

(मुझ पर जोर दें**)**

इस न्यायालय ने उपरोक्त प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया और केंद्र सरकार को सभी सेवा नियमों में बदलाव करने और लिंग भेदभाव के दाग को दूर करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

जी.

(ii) मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी लिमिटेडऑड्रे डी कोस्टा

और एक अन्य, ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1281, इस न्यायालय का एक निर्णय है जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा गया है जिसमें यह आदेश दिया गया था कि सभी महिला आशुलिपिक पुरुष आशुलिपिक के समान या समान प्रकृति के काम के लिए समान पारिश्रमिक की हकदार थीं।

एच.

((iii) गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक, (1999) 2

एस. सी. सी. 228, इस न्यायालय को हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6 (ए) और संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 19 (बी) की व्याख्या का सामना करना पड़ा।उपरोक्त धाराओं की वैधता पर संविधान के समानता खंड का उल्लंघन करने के रूप में हमला किया गया था, क्योंकि उक्त प्रावधानों के तहत एक नाबालिग बच्चे की मां को केवल लिंग के आधार पर हीन स्थिति में डाल दिया जाता है क्योंकि नाबालिग के स्वाभाविक अभिभावक के रूप में उसके अधिकार को पिता की मृत्यु के बाद ही संज्ञेय बनाया जाता है।इस न्यायालय ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन, 1979 ("सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू".) और बीजिंग घोषणा, 1995, जो सभी राज्य पक्षों को महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश देता है, पर भरोसा करते हुए कहा कि लैंगिक समानता हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है और यदि 'आफ्टर' शब्द को पिता के जीवनकाल के दौरान अभिभावक के रूप में कार्य करने के लिए मां की अयोग्यता के रूप में पढ़ा जाना है, तो यह निश्चित रूप से संवैधानिक जनादेश की मूल आवश्यकता के विपरीत होगा और एक पुरुष और एक महिला के बीच अंतर पैदा करेगा।

ग

डी.

इसलिए इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पिता को एक प्रमुख व्यक्तित्व प्रदान किए जाने के कारण, संरक्षकता के मामले में मां पर अधिमानी अधिकार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं और 'बाद' शब्द की व्याख्या लैंगिक समानता को दिए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और गारंटी के संदर्भ में की जानी चाहिए ताकि उपयोग किए गए शब्दों को उचित और प्रभावी अर्थ दिया जा सके।

ई.

((iv) अनुज गर्ग और अन्य बनामहोटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड

ओआरएस। (2008) 3 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने आतिथ्य क्षेत्र में रोजगार में महिलाओं के समान व्यवहार के अधिकार को बरकरार रखा।उक्त मामले में, पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 30 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें "25 वर्ष से कम आयु के किसी भी पुरुष" या "किसी भी महिला" को परिसर के किसी भी हिस्से में काम पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें जनता द्वारा शराब या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन किया गया था।इस न्यायालय ने कहा कि जब मूल अधिनियम लागू किया गया था, तो दो लिंगों के बीच समानता की अवधारणा अज्ञात थी।संविधान निर्माताओं का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के आधार पर जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लागू करना था।न्यायालय का विचार था कि:“26. जब वर्गीकरण के कथित आधार पर भेदभाव करने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह के वर्गीकरण को एक तर्कसंगत मानदंड पर आधारित किया जाना चाहिए।मानदंड जो किसी भी संवैधानिक ए के अभाव में

च

जी.

एच.

347

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

प्रावधान और, यह दोहराया जाएगा कि 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, 21 वीं शताब्दी में एक तर्कसंगत मानदंड नहीं हो सकता है।20 वीं शताब्दी की शुरुआत में, आतिथ्य क्षेत्र सामान्य रूप से महिलाओं के लिए खुला नहीं था।पिछले 60 वर्षों में भारत में महिलाओं ने सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रवेश किया है।वे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में लोगों का प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं।वे अब भारी परिवहन वाहनों के चालकों, सेवा वाहन के संचालकों, पायलटों आदि के रूप में कार्यरत हैं।अल।महिलाओं को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद तक चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कब्जा करते देखा जा सकता है।उन्हें अब पुलिस और सेना की सेवाओं दोनों में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।" उक्त मामले में, इस अदालत ने दक्षिण के फैसले पर भरोसा किया

ग

भे और ओआरएस बनाम में अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय।मजिस्ट्रेट, खयेलिशा और अन्य। (2004) 18 बीएचआरसी 52: (2005) 1 बी. सी. एल. आर. 1 (सी. सी.)

जिसमें दक्षिण अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय ने अश्वेत प्रशासन अधिनियम, 1927 (दक्षिण अफ्रीका) और मृत अश्वेतों (दक्षिण अफ्रीका) की संपदाओं के प्रशासन और वितरण के विनियमों को अधिकार से बाहर घोषित किया था।बहुमत द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुरुष ज्येष्ठाधिकार का नियम जैसा कि यह संपत्ति की विरासत के लिए प्रथागत कानून में लागू होता है, इसके संविधान के साथ असंगत था और इस हद तक अमान्य था कि यह महिलाओं और विवाहेतर बच्चों को संपत्ति की विरासत से बाहर या बाधित करता था।दक्षिण अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय ने आगे कहा कि, प्रथागत कानून में उत्तराधिकार के नियमों को बदलती सामाजिक स्थितियों और मूल्यों के साथ अनुकूलन और तालमेल रखने के लिए जगह नहीं दी गई थी, इसके बजाय, वे समय के साथ उन समाजों के वास्तविक मूल्यों और परिस्थितियों के साथ तेजी से कदम से बाहर हो गए थे जिनकी वे सेवा करने के लिए थे।इस प्रकार, उत्तराधिकार के प्रथागत कानून के आधिकारिक नियमों का अब सार्वभौमिक रूप से पालन नहीं किया जाता था।इसलिए, दक्षिण अफ्रीकी संवैधानिक न्यायालय ने माना कि लिंग के आधार पर विरासत से महिलाओं का बहिष्कार अनुचित भेदभाव के खिलाफ संवैधानिक निषेध का स्पष्ट उल्लंघन था।

डी.

ई.

च

(v) जी. सेकर बनाम गीता और अन्य में। (2009) 6 एस. सी. सी 99 यह न्यायालय

यह मत व्यक्त किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के संदर्भ में, महिला उत्तराधिकारियों के साथ, उस क्षेत्र में संचालित वैधानिक नियम के अधीन, पुरुष उत्तराधिकारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है।इस न्यायालय ने आगे कहा कि मानवाधिकार शासन में सामान्य रूप से विश्व समुदाय द्वारा लैंगिक समानता को मान्यता दी जाती है।

जी.

(vi) इस संदर्भ में, सी. जे. अल्तमस कबीर द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

एच.

348 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

महाराष्ट्र राज्य बनाम भारतीय होटल और रेस्तरां संघ**, (2013) 8** एस**.** सी**.** सी**. 519:**

"147. दुनिया भर में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक मुखर हो रही हैं और अपनी पसंद बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहती हैं, जो कि पूरी तरह से असामान्य या अनुचित दृष्टिकोण नहीं है।लेकिन सामान्य रूप से लोगों की मानसिकता में बदलाव की दिशा में काम करना आवश्यक है, न केवल कानूनों और विनियमों के अन्य रूपों के माध्यम से, बल्कि उन लोगों के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करने के माध्यम से जो इस जाल से बाहर निकलना चाहते हैं और या तो अपनी मौजूदा स्थितियों में सुधार करना चाहते हैं या पूरी तरह से एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं।इसे जिस भी तरह से

देखा जाए, अगर महिलाओं की गरिमा और उनके प्रति सम्मान को बहाल करना है तो इस मामले पर राज्य और उसके अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।"

ग

(vii) हाल ही में सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य में, (2020) 7 एस. सी. सी. 469, समानता के लिए संघर्ष

भारतीय सेना में स्थायी आयोग (पीसी) की मांग करने वाली महिलाओं के लिए अवसर एक दशक के बाद सफल हुआ और मुकदमेबाजी में अधिक खर्च किया गया जिसमें सेना में अल्पकालिक सेवा आयोग (एसएससी) में लगी महिलाओं ने पीसी प्राप्त करने में अपने पुरुष समकक्षों के साथ समानता की मांग की। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. (उस समय उनके अधिपति के रूप में) के माध्यम से बोलते हुए कहाः

डी.

ई.

"85.....मानदंड या कमान नियुक्तियों की मांग करने वाली महिलाओं पर एक पूर्ण प्रतिबंध अनुच्छेद 14 के तहत समानता की गारंटी के अनुरूप नहीं होगा।समानता की गारंटी में निहित है कि जहां राज्य की कार्रवाई दो वर्गों के व्यक्तियों के बीच अंतर करती है, वह उन्हें अनुचित या तर्कहीन तरीके से अलग नहीं करती है।इस मायने में, अपने न्यूनतम स्तर पर भी, समानता का अधिकार तर्कसंगतता का अधिकार है।जहां राज्य, और इस मामले में राज्य की एक साधन के रूप में सेना, महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर करती है, तो सेना पर इस तरह के भेदभाव को उचित ठहराने का बोझ पूरी तरह से पड़ता है।महिला एस. एस. सी. अधिकारियों को कर्मचारियों की नियुक्तियों के अलावा कुछ भी प्राप्त करने पर पूर्ण प्रतिबंध स्पष्ट रूप से सेना में कैरियर की उन्नति के साधन के रूप में पी. सी. देने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है।किसी विशेष उम्मीदवार को कोई मानदंड या कमान सौंपा जाना चाहिए या नहीं, यह सक्षम प्राधिकारी के लिए सेवा, प्रदर्शन और संगठनात्मक आवश्यकताओं की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार करने का विषय है।वर्तमान मामले में सेना के पास ए है

च

जी.

एच.

349

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

अपने बोझ के निर्वहन में कोई औचित्य प्रदान नहीं किया कि बोर्ड में महिलाओं को किसी भी मानदंड या कमान नियुक्तियों के लिए क्यों नहीं माना जाना चाहिए।जिन पुरुष एस. एस. सी. अधिकारियों को पी. सी. दिया जाता है, उनके लिए कमान कार्य स्वचालित नहीं होते हैं और महिलाओं के लिए भी स्वचालित नहीं होते हैं।कर्मचारियों की नियुक्तियों को छोड़कर अन्य सभी से महिलाओं का पूर्ण बहिष्कार अक्षम्य है।यदि सेना के पास किसी विशेष मानदंड या कमान नियुक्ति से महिलाओं को बाहर रखने के ठोस कारण हैं, तो वह उन्हें संबंधित अधिकारियों को और यदि आवश्यक हो, तो भविष्य की अदालतों को प्रदान कर सकती है।हालांकि, इस तरह का औचित्य एक विशेष नियुक्ति की आवश्यकताओं और आवश्यकताओं के आलोक में मामले-दर-मामले के आधार पर होना चाहिए।सेना द्वारा व्यक्तिगत औचित्य के अभाव में मानदंड या कमान नियुक्तियों के लिए महिलाओं पर विचार न करने को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है।"

ग

60. लिंग संबंधी विचारों के आधार पर गैर-भेदभाव के लिए लड़ाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भी केंद्र स्तर ग्रहण कर लिया है। अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन में प्रावधान है कि कोई भी राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा।इस खंड ने न्यायिक सिद्धांत का एक निकाय विकसित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए कई फैसलों में शामिल है, जिनमें महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाया गया है।ऐसे कुछ ऐतिहासिक निर्णयों का उल्लेख नीचे किया जा सकता हैः

डी.

ई.

(क) रीड बनाम रीड, 404 यू. एस. 71,92 एस. सी. टी. 251 (1971) में,

संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या, एक क़ानून, अर्थात्, इडाहो प्रोबेट कोड जिसमें एक लिंग-आधारित प्रावधान शामिल था, एक संपत्ति का प्रशासन करने के लिए महिलाओं पर पुरुषों को प्राथमिकता देना, संविधान के चौदहवें संशोधन के समान संरक्षण खंड का उल्लंघन करता है।एक सर्वसम्मत निर्णय में, न्यायालय ने माना कि इडाहो प्रोबेट संहिता का पुरुषों और महिलाओं के साथ असमान व्यवहार असंवैधानिक था और चौदहवें संशोधन के समान संरक्षण खंड का उल्लंघन था।अदालत ने कहा कि, "एक अनिवार्य देने के लिए

च

किसी भी लिंग के सदस्यों को दूसरे के सदस्यों पर वरीयता देना, केवल गुण-दोष पर सुनवाई के उन्मूलन को पूरा करने के लिए, इस संदर्भ में चौदहवें विकल्प के समान संरक्षण खंड द्वारा निषिद्ध मनमाने विधायी विकल्प को कानूनी रूप से केवल लिंग के आधार पर अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।"

जी.

एच.

(ख) वेनबर्गर बनाम विसेनफेल्ड में, 420 यू. एस. 636,95 एस. सी. टी. 1225

(1975), यह मुद्दा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के संबंध में था जो एक मृत पति और पिता की कमाई के आधार पर उत्तरजीवी को उसकी विधवा और उसकी देखभाल में दंपति के नाबालिग बच्चों दोनों को लाभ प्रदान करता था।हालाँकि, एक कवर की गई मृत पत्नी और माँ की कमाई के आधार पर लाभ केवल नाबालिग बच्चों को दिए गए थे, न कि विधुर को।उक्त मामले में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सवाल यह था कि क्या सामाजिक सुरक्षा लाभों में लिंग-आधारित भेद ने पांचवें संशोधन के नियत प्रक्रिया खंड का उल्लंघन किया है।

एक सर्वसम्मत निर्णय में, न्यायालय ने कहा कि जीवित पति/पत्नी और बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का उद्देश्य जीवित पति/पत्नी को माता-पिता के लिंग की परवाह किए बिना बच्चों की उचित देखभाल करने में सक्षम बनाना है।न्यायालय ने कहा कि इन लाभों के संबंध में लिंग आधारित भेदभाव एक विधुर को बाहर करके अतार्किक और प्रतिकूल था।

ग

डी.

यह आगे देखा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने लिंग-आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप महिला श्रमिकों के परिवारों के लिए कम सुरक्षा थी, जिन्हें पुरुष श्रमिकों के परिवारों की तुलना में सामाजिक सुरक्षा कर का भुगतान करने की आवश्यकता थी।क़ानून का लिंग-आधारित भेद पुरुष और महिला श्रमिकों द्वारा किए गए पारिवारिक समर्थन में योगदान के बारे में एक पुरातन और व्यापक सामान्यीकरण पर आधारित था।इसलिए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि इस तरह के तर्कहीन वर्गीकरण ने पांचवें संशोधन द्वारा प्राप्त समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन

किया है, जो ऐसे भेदभाव को प्रतिबंधित करता है जो इतना अनुचित था कि उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाला था।इस प्रकार, उपरोक्त मामले में, एक विधुर का अधिकार स्थापित किया गया था, जबकि साथ ही इस बात पर जोर दिया गया था कि लिंग के आधार पर भेदभाव समानता खंड का उल्लंघन करता है जो इस तरह के भेदभाव के खिलाफ गारंटी प्रदान करता है।

ई.

च

(ग) ड्यूरेन बनाम मिसौरी, 439 यू. एस. 357,99 एस. सी. टी. में प्रश्न।

664 (1979) यह था कि क्या जैक्सन काउंटी की अनुरोध पर महिलाओं को जूरी सेवा से स्वचालित रूप से छूट देने की प्रथा ने छठे और चौदहवें संशोधनों द्वारा गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन किया है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुरोध पर जूरी सेवा से महिलाओं की राज्य क़ानून की छूट ने प्रतिवादी के अधिकारों का उल्लंघन किया है जैसा कि छठे और चौदहवें संशोधनों द्वारा गारंटी दी गई है, यह सुनिश्चित करने में विफल रहने में कि आपराधिक मामलों में जूरी सदस्यों को निष्पक्ष ए से लिया जाए।

जी.

एच.

351

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

समुदाय का क्रॉस सेक्शन, क्योंकि यह प्रतिवादी द्वारा पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया था कि महिलाएं, एक समूह के रूप में, पुरुषों से अलग थीं।न्यायालय ने आगे कहा कि जूरी सेवा से महिलाओं की छूट को उचित ठहराने के लिए कोई महत्वपूर्ण राज्य हित मौजूद नहीं है।

(घ) हिशोन बनाम किंग एंड स्पाल्डिंग, 467 यू. एस. 69,104 एस. सी. टी. में।

2229 (1984) विवाद यह था कि क्या किंग एंड स्पाल्डिंग, कानूनी फर्म जहां हिशन कार्यरत थी, ने हिशन के खिलाफ उसके लिंग के आधार पर अनुचित भेदभाव करके 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम (संक्षेप में, "सी. आर. अधिनियम, 1964") के शीर्षक VII का उल्लंघन किया।एक सर्वसम्मत निर्णय में, अदालत ने माना कि सी. आर. अधिनियम, 1964 के शीर्षक VII ने किसी भी कर्मचारी के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव करना किसी नियोक्ता के लिए अवैध बना दिया है। न्यायालय ने कहा कि हिशोन के रोजगार के साथ साझेदारी के लिए समान विचार का वादा प्रकृति में संविदात्मक था और सी. आर. अधिनियम, 1964 के शीर्षक VII के नियमों के अधीन था।अदालत ने आगे कहा कि हिशन को उसके लिंग के कारण साझेदारी प्राप्त करने से रोककर, फर्म ने उसके साथ भेदभाव किया था और "रोजगार के नियमों, शर्तों या विशेषाधिकारों" का उल्लंघन किया था।इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि फर्म ने सी. आर. अधिनियम, 1964 के शीर्षक VII का सीधा उल्लंघन किया।

ग

डी.

(ई) संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक और प्रश्न

ई.

बनाम वर्जीनिया, 518 यू. एस. 515 (1996) यह था कि क्या अभ्यास

वर्जीनिया सैन्य संस्थान (वी. एम. आई.) द्वारा केवल पुरुषों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया और महिलाओं को नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के चौदहवें संशोधन के तहत समान सुरक्षा से इनकार किया गया।एक 7 में:1 फैसले में,

अदालत ने माना कि वी. एम. आई. की केवल पुरुष प्रवेश नीति असंवैधानिक थी।न्यायमूर्ति रूथ बेडर गिन्सबर्ग का विचार था कि वर्जीनिया वी. एम. आई. की लिंग-पक्षपातपूर्ण प्रवेश नीति के लिए "अत्यधिक प्रेरक औचित्य" दिखाने में विफल रही। अदालत ने कहा कि यह धारणा कि महिलाओं को प्रवेश देने से वी. एम. आई. का कद कम हो जाएगा और स्कूल की प्रतिकूल प्रणाली नष्ट हो जाएगी, शायद ही साबित हुई हो।इसलिए न्यायालय ने कहा कि यह चौदहवें संशोधन के समान संरक्षण खंड का उल्लंघन करता है।

च

जी.

61. 16 मई, 1975 की अधिसूचना के अनुसार, भारत के साथ विलय पर सिक्किम राज्य में नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 1956 के प्रवर्तन पर विचाराधीन मामले में।

एच.

और सिक्किम (नागरिकता) आदेश, 1975 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो 26 अप्रैल, 1975 से तुरंत पहले 1961 के विनियमन के अनुसार सिक्किम का विषय था, उस दिन भारत का नागरिक माना जाता था।इस प्रकार, किसी व्यक्ति का 1961 के विनियमन के प्रारंभ से ठीक पहले सिक्किम के क्षेत्र में अधिवास था, यदि वह थाः

क) सिक्किम राज्यक्षेत्र में पैदा हुआ था और उसमें निवासी था; या ख) 1961 के विनियम के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए सिक्किम राज्यक्षेत्र में सामान्य रूप से रह रहा था।

ग

62. ऐसा व्यक्ति स्वचालित रूप से भारत का नागरिक बन जाता है और उसका नाम 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले सिक्किम विषयों के रजिस्टर में भी दर्ज किया गया होगा।यह 7 अगस्त, 1990 के सरकारी आदेश से भी स्पष्ट है, जिसे सिक्किम सरकार द्वारा इस आशय से अधिसूचित किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति जो 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले 1961 के विनियमन के तहत सिक्किम का विषय था, उसे उस दिन भारत का नागरिक माना जाएगा।वास्तव में, जहां वास्तविक चूक थी, वहां ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया था जिन्हें उक्त रजिस्टर में छोड़ दिया गया था।इसी प्रभाव के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 1991 को जारी किया गया सरकारी आदेश है जिसे उसी तारीख को सिक्किम सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।

डी.

ई.

63. इसलिए, भारत के साथ सिक्किम के विलय के बाद पारित 1961 के सरकारी आदेशों के आलोक में, जिसके द्वारा सिक्किम भारत में एक राज्य बन गया और जिसके द्वारा सिक्किम में अधिवासित सिक्किम विषयों के नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में शामिल किए गए थे, परंतुक में सिक्किम की महिलाओं के साथ ऊपर विश्लेषण किए गए तरीके से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए था, केवल इसलिए कि एक सिक्किम महिला, जिसका नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में पंजीकृत हो सकता है, ने 1 अप्रैल, 2008 को या उसके बाद ही एक गैर-सिक्किम से शादी की हो सकती है, उसे भी छूट खंड से बाहर रखा जाएगा।महिलाओं की ऐसी श्रेणी को आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत प्रावधान के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। 64.वास्तव में, मेरे विचार में, परंतुक स्पष्टीकरण के विपरीत है और इस प्रकार स्पष्ट रूप से मनमाना है।ऐसा इसलिए है क्योंकि स्पष्टीकरण का उद्देश्य आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) का लाभ उन सभी सिक्किमियों को देना है जिन्हें उक्त स्पष्टीकरण के तहत उन ए के रूप में परिभाषित किया गया है।

च

जी.

एच.

353

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

‘जिन व्यक्तियों के नाम 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले सिक्किम विषयों के रजिस्टर में दर्ज और पंजीकृत किए गए हैं या भारत सरकार के आदेश संख्या 26030/36/90 I. C. I. दिनांक 7 अगस्त, 1990 और सम संख्या आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 1991 के अनुसार शामिल किए गए हैं, या वे व्यक्ति जिनके नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं हैं, लेकिन यह स्थापित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या उसी पिता के दादा या भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज किया गया था। इसलिए, स्पष्टीकरण का लाभ सभी सिक्किम की महिलाओं को दिया जाना चाहिए, भले ही उन्होंने 1 अप्रैल, 2008 के बाद सिक्किम की या गैर-सिक्किम की महिला से शादी की हो।

ग

65. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (26 ए. ए. ए.) के परंतुक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के उल्लंघन के रूप में निरस्त कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण के लिए चुनौतीः

66. आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के प्रयोजन के लिए 'सिक्किमी' का अर्थ महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल एक 'सिक्किमी' है जो उक्त अधिनियम के तहत लाभ का हकदार है। इन याचिकाओं में भी इसे चुनौती दी गई है। उपरोक्त प्रावधान के स्पष्टीकरण में दी गई 'सिक्किमी' अभिव्यक्ति में व्यक्तियों की तीन श्रेणियां शामिल हैं, अर्थात्:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

क) एक व्यक्ति, जिसका नाम 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले सिक्किम विषय नियम, 1961 (सिक्किम विषयों का रजिस्टर) के साथ पढ़े गए सिक्किम विषय विनियमन, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज है; या

बी) एक व्यक्ति, जिसका नाम भारत सरकार के आदेश संख्या 26030/36/90-आई. सी. आई., दिनांक 7 अगस्त 1990 और सम संख्या के आदेश दिनांक 8 अप्रैल, 1991 के आधार पर सिक्किम विषयों के रजिस्टर में शामिल है; या

च

ग) कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं आता है, लेकिन यह संदेह से परे स्थापित है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या उसी पिता के दादा या भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज किया गया है;

जी.

67. इसलिए, इस उद्देश्य के लिए उपरोक्त विनियमों, नियमों, भारत सरकार के आदेशों में से प्रत्येक का विश्लेषण करना आवश्यक है

एच.

याचिकाकर्ताओं द्वारा आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण में लाभ के हकदार व्यक्तियों की तीन श्रेणियों के संबंध में 'सिक्किमी' की परिभाषा को चुनौती दी गई है।

68. व्यक्तियों की पहली श्रेणी वे व्यक्ति हैं जिनके

सिक्किम विषय नियम, 1961 (क्रमशः "1961 विनियमन" और "1961 नियम") के साथ पठित सिक्किम विषय विनियमन, 1961 के तहत बनाए गए रजिस्टर में नाम पंजीकृत हैंः

68.1.एक व्यक्ति जिसका नाम 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले सिक्किम विषयों के रजिस्टर में दर्ज है, वह सिक्किमवासी है। 1961 के नियमों के साथ पठित 1961 के विनियम के अनुसार भी ऐसा ही है।सिक्किम में चोग्याल की अवधि के दौरान अधिनियमित 1961 के विनियम के अवलोकन पर, यह ध्यान दिया जाता है कि जहां तक इन याचिकाकर्ताओं का संबंध है, विनियम (3) प्रासंगिक है।विनियम (3) निम्नानुसार हैः- "3. विनियमन के प्रारंभ होने पर सिक्किम क्षेत्र में अधिवासित कुछ व्यक्ति सिक्किम के विषय होंगेः(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसका इस विनियमन के प्रारंभ से ठीक पहले सिक्किम के क्षेत्र में अधिवास है, वह सिक्किम का विषय होगा यदि -

ग

डी.

(क) सिक्किम के क्षेत्र में पैदा हुआ था और वहां का निवासी है, या

ई.

(ख) ऐसी शुरुआत से ठीक पहले पंद्रह साल से कम की अवधि के लिए सिक्किम के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा हैः

बशर्ते कि पंद्रह वर्षों की उक्त अवधि की गणना में भारत सरकार के तहत सेवा के कारण उक्त क्षेत्र से किसी भी अनुपस्थिति की अवहेलना की जाएगी; या (सी) खंड (ए) या खंड (बी) में उल्लिखित व्यक्ति की पत्नी या नाबालिग संतान हैः

च

बशर्ते कि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत सिक्किम का विषय नहीं होगा जब तक कि वह इस आशय की घोषणा नहीं करता है कि वह इस विनियमन के तहत बनाए जाने वाले सिक्किम विषयों के रजिस्टर में अपना नाम शामिल करते समय किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हैः

जी.

एच.

355

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

क.

बशर्ते कि नाबालिग या अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के मामले में, ऐसी घोषणा उसके अभिभावक द्वारा की जा सकती है।

व्याख्याःसिक्किम के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का अधिवास नहीं माना जाएगा जब तक कि।

(1) वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सिक्किम को अपना स्थायी घर बनाया है और अपने मूल देश के साथ अपने संबंध तोड़ लिए हैं जैसे कि उस देश में अपनी संपत्ति को विभाजित करके या सिक्किम में अचल संपत्ति प्राप्त करके।

बशर्ते कि किसी व्यक्ति को सिक्किम में स्थायी निवास नहीं माना जाएगा यदि वह अपने मूल देश में लौटने का इरादा दर्शाता है, जिसमें वह एक जीवित ब्याज रखता है, भले ही वह अपने मूल देश में अपनी संपत्ति के साथ अलग हो गया हो और ऐसी संपत्ति का केवल विभाजन किसी व्यक्ति के सिक्किम में स्थायी घर प्राप्त करने के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा।

ग

डी.

(2) सिक्किम में अधिवास रखने वाले व्यक्ति की पत्नी और नाबालिग बच्चों को इस धारा के उद्देश्य से सिक्किम में अधिवास माना जाएगा।

(3) इस बारे में किसी भी संदेह के मामले में कि क्या इस धारा के तहत सिक्किम के क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति का अधिवास है, इस मामले का निर्णय चोग्याल द्वारा एक बोर्ड की सहायता से किया जाएगा जिसमें इस विनियमन के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति शामिल होंगे।"

ई.

68.2.उक्त विनियम में जो प्रासंगिक है वह यह है कि 1961 के विनियम के प्रारंभ से ठीक पहले सिक्किम के क्षेत्र में निम्नलिखित तीन श्रेणियों के व्यक्तियों का अधिवास बताया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

((क) सिक्किम राज्यक्षेत्र में जन्म लेने वाला और उसमें रहने वाला व्यक्ति, या

जी.

(ख) ऐसी शुरुआत से ठीक पहले पंद्रह साल से कम की अवधि के लिए सिक्किम के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा है, या

(ग) ऊपर खंड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित व्यक्ति की पत्नी या नाबालिग संतान है।

एच.

68.3.विनियम (3) के परंतुक में कहा गया है कि कोई व्यक्ति विनियम (3) के तहत सिक्किम का विषय नहीं होगा जब तक कि वह

इस आशय की घोषणा कि वह सिक्किम विषयों के रजिस्टर में अपना नाम शामिल करते समय किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है

नियम ने कहा।" उक्त प्रावधान की व्याख्या अब इस तथ्य के आलोक में की जानी चाहिए कि सिक्किम राज्य का 26 अप्रैल, 1975 से भारत में विलय हो गया है और यह एक भारतीय राज्य है।जब उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य के संदर्भ में विचार किया जाता है, तो विनियमन (3) के परंतुक की व्याख्या इस अर्थ में की जानी चाहिए कि एक व्यक्ति जिसने इस आशय की घोषणा नहीं की थी कि वह सिक्किम विषयों के रजिस्टर में अपना नाम शामिल करने के समय किसी अन्य देश का नागरिक नहीं था, क्योंकि वह मूल रूप से ब्रिटिश भारत या भारत की किसी भी रियासत या भारत के संविधान के तहत समझे जाने वाले किसी अन्य ए, बी या सी राज्य का विषय था, जो सामान्य रूप से व्यापार, रोजगार या ऐसे किसी अन्य उद्देश्यों के लिए सिक्किम के

क्षेत्र में निवासी था, वह अब सिक्किम विषयों के रजिस्टर में पंजीकृत होने का हकदार है।ऐसा इसलिए है क्योंकि सिक्किम का अब भारत में विलय हो गया है और यह भारत के राज्यों में से एक बन गया है।इसके अलावा, 26 अप्रैल, 1975 से पहले सिक्किम राज्य में अधिवासित व्यक्ति, जिस दिन सिक्किम राज्य का भारत में विलय हुआ था, अब भारत के नागरिक बन जाएंगे।इसलिए, 26 अप्रैल, 1975 को सिक्किम को भारतीय क्षेत्र के हिस्से के रूप में शामिल करने के बाद, विनियमन (3) के परंतुक में "वह किसी अन्य देश का नागरिक नहीं है" अभिव्यक्ति को अब पढ़ा जाना चाहिए, ताकि सिक्किम में सामान्य रूप से रहने वाले भारत के नागरिक को बाहर रखा जा सके।इसका तात्पर्य यह होगा कि यदि स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश भारत या भारत के किसी अन्य भाग का कोई व्यक्ति 26 अप्रैल, 1975 से पहले सिक्किम में अधिवासित था और संसद द्वारा अधिनियमित संविधान के भाग 2 और नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके तहत बनाए गए आदेशों के आधार पर भारत का नागरिक बन गया है, तो ऐसे व्यक्ति को अब सिक्किम राज्य के भारत में विलय के अनुसार सिक्किम विषयों के रजिस्टर में शामिल किया जाना चाहिए, यदि आज तक शामिल नहीं किया गया है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

68.4.इसी तरह, 1961 के विनियमन के विनियमन (4) में "कोई अन्य देश" अभिव्यक्ति का अर्थ "कोई अन्य ए" होना चाहिए।

एच.

357

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

भारत के अलावा अन्य देश "।ऐसी व्याख्या द्वारा, सिक्किम के क्षेत्र में अधिवासित और जिसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली है, वह व्यक्ति 1961 के नियमों द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को किए गए आवेदन पर सिक्किम विषय के रूप में पंजीकृत हो सकता है, यदि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पूर्वजों को सिक्किम विषय माना गया था।

68.5.सिक्किम में विदेशियों की आमद को रोकने के लिए, चोग्याल ने 1961 में 1961 का विनियमन लागू किया था।उक्त विनियम के तहतः

क) 1961 के विनियम (3) के तहत आने वाले व्यक्तियों को रजिस्टर में 'सिक्किम विषय' के रूप में दर्ज किया जाना था; और

ग

ख) जो व्यक्ति दूसरे देश के नागरिक थे, उन्हें 'सिक्किम विषय' के रूप में तब तक पंजीकृत नहीं किया जाना था जब तक कि वे दूसरे देश की नागरिकता नहीं छोड़ देते।

डी.

हालाँकि, सिक्किम साम्राज्य के भारत के साथ विलय के बाद, "कोई अन्य देश" अभिव्यक्ति में भारत को सिक्किम के सभी निवासियों के रूप में शामिल नहीं किया जाएगा, चाहे वह सिक्किम का विषय हो या नहीं, अब वे भारतीय नागरिक हैं।लेकिन 'सिक्किम विषय' शब्द को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया था जो सिक्किम के क्षेत्र में पैदा हुआ था और उसमें निवासी था और सभी समान रूप से स्थित व्यक्ति, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि कोई व्यक्ति 1961 के विनियमन के तहत

सिक्किम विषय नहीं होगा, जब तक कि वह यह घोषणा नहीं करता कि वह सिक्किम विषयों के रजिस्टर में अपना नाम शामिल करने के समय किसी अन्य देश का नागरिक नहीं था।इस चेतावनी का परिणाम यह हुआ कि एक भारतीय नागरिक जिसके पूर्वज पीढ़ियों से सिक्किम में बसे हुए थे, उन्हें खुद को सिक्किम विषय के रूप में पंजीकृत करने के उद्देश्य से भारत की अपनी नागरिकता (जिस देश का सिक्किम 1950 से संरक्षित राज्य था) छोड़नी पड़ी।हालाँकि, इन विनियमों को लागू किया गया था, लेकिन भारतीयों के साथ कोई अलग व्यवहार नहीं किया गया क्योंकि 1950 की भारत-सिक्किम संधि के तहत उनके अधिकारों की रक्षा की गई थी।

ई.

च

जी.

68.6.इस प्रकार, हालांकि, 1961 के नियमों के साथ पठित 1961 के विनियमन के अनुसार, व्यक्ति का नाम 26 अप्रैल, 1975 से पहले सिक्किम विषयों के रजिस्टर में पंजीकृत किया जाना था, क्योंकि अब इस परंतुक को दी गई व्याख्या को ध्यान में रखते हुए -

एच.

विनियम (3) और विशेष रूप से, 'किसी अन्य देश में' अभिव्यक्ति के लिए, जैसा कि 1961 के विनियम (4) में भी पाया गया है, भारत संघ द्वारा 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम के क्षेत्र में अधिवासित भारतीय नागरिक सिक्किम विषयों के रजिस्टर में व्यक्तियों के पंजीकरण को सक्षम बनाने के उद्देश्य से एक परिपत्र के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से भविष्य की कट-ऑफ तिथि का संकेत दिया जा सकता है।यह अनुज्ञेय है क्योंकि 7 अगस्त, 1990 के सरकारी आदेश से संकेत मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले 1961 के विनियमन के तहत सिक्किम का विषय था, उस दिन भारत का नागरिक माना जाएगा।सरकारी आदेश जारी करने का उद्देश्य और उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वे व्यक्ति जो सिक्किम विषयों के रजिस्टर में दर्ज होने के योग्य थे, लेकिन एक वास्तविक चूक के कारण इस तरह से दर्ज नहीं किए गए थे, वे खुद को पंजीकृत करने में सक्षम थे और तदनुसार सिक्किम (नागरिकता) आदेश, 1975 के संदर्भ में 26 अप्रैल, 1975 से भारत के नागरिक बन गए हैं।

ग

डी.

68.7.भारत सरकार द्वारा जारी सिक्किम (नागरिकता) संशोधन आदेश, 1989 द्वारा संशोधित सिक्किम (नागरिकता) आदेश, 1975 स्पष्ट रूप से इंगित करेगा कि कोई भी व्यक्ति जो 1961 के विनियमन के तहत सिक्किम का विषय था, उसे भारत का नागरिक माना जाएगा।इसके विपरीत, 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में अधिवास रखने वाले भारत के सभी नागरिकों को आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (26 ए. ए. ए.) के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए सिक्किम विषयों के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने में सक्षम होना चाहिए।इसका तात्पर्य यह होगा कि 1961 के विनियम को आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से 26 अप्रैल, 1975 तक बढ़ाया जा रहा है ताकि इसे याचिकाकर्ताओं और समान रूप से स्थित व्यक्तियों के संबंध में भेदभावपूर्ण होने से बचाया जा सके।

ई.

च

जी.

68.8.इसके अलावा, सिक्किम कार्य अनुमति नियम, 1965 के तहत सिक्किम में प्रवेश करने वाले प्रत्येक 'विदेशी' को किसी भी कार्य को करने या जारी रखने से पहले मुख्य सचिव या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी से कार्य अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

एच.

359

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

सिक्किम राज्य के भीतर लाभ के लिए रोजगार।हालांकि, उपरोक्त नियमों के तहत, 'विदेशी' की परिभाषा में भारत के नागरिक को छोड़कर सभी विदेशी शामिल थे।इसलिए, भारतीय नागरिक या भारतीय नागरिक जो सिक्किम में अधिवासित हो गए थे और सिक्किम में कार्यरत थे, उन्हें वर्क परमिट की आवश्यकता नहीं थी।उपरोक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 26 अप्रैल, 1975 से पहले रोजगार के उद्देश्य से सिक्किम में प्रवेश करने वाले किसी भी भारतीय नागरिक के साथ सिक्किम के समान व्यवहार किया जाता था, न कि विदेशी के रूप में।यह प्रशंसनीय है कि 1965 के कार्य अनुमति नियमों के तहत दी गई रियायत के कारण, भारतीय नागरिकों या नागरिकों ने उपयुक्त समय पर सिक्किम विषयों के रजिस्टर के तहत खुद को पंजीकृत नहीं किया था।

ग

68.9.यह तर्क दिया जाता है कि सिक्किम में भारतीय मूल के बसने वालों का केवल एक छोटा प्रतिशत सिक्किम विषयों के रजिस्टर के तहत पंजीकृत नहीं है और इसके परिणामस्वरूप उन्हें आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण के तहत छूट का लाभ प्रदान नहीं किया जाता है।इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी-भारत संघ को उन तरीकों और साधनों पर विचार करना चाहिए जिनमें ऐसे व्यक्ति आयकर के भुगतान से छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 एएए) के स्पष्टीकरण में संशोधन करके या ऐसे व्यक्तियों को उक्त रजिस्टर में खुद को पंजीकृत करने का अवसर देने के लिए एक परिपत्र जारी करके 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित थे।

डी.

ई.

68.10.इसके अलावा, भारत सरकार ने ऐसे सभी व्यक्तियों के पंजीकरण को सक्षम बनाया है जिन्हें 1961 के नियमों के साथ पठित 1961 के विनियमन के तहत सिक्किम विषयों के रजिस्टर से हटा दिया गया था।7 अगस्त, 1990 के भारत सरकार के आदेश में भी एक काल्पनिक कथा है क्योंकि सिक्किम विषयों के रजिस्टर के तहत पंजीकृत सभी विषय 26 अप्रैल, 1975 तक भारत के नागरिक बन गए हैं।

च

जी.

68.11.भारत सरकार के दिनांक 07 अगस्त, 1990 और 08 अप्रैल, 1991 के आदेशों के अनुसार 1961 के विनियम के तहत सिक्किम विषयों के रजिस्टर से हटाए गए व्यक्तियों के पंजीकरण को बढ़ाने का तर्क इस तथ्य की मान्यता में है कि वे व्यक्ति जो सिक्किम में अधिवासित थे,

एच.

विभिन्न कारणों से सिक्किम विषयों के रजिस्टर के तहत पंजीकृत नहीं किया जा सका।यदि अधिवास का मानदंड 1961 के विनियमों के तहत रजिस्टर में व्यक्तियों के पंजीकरण का आधार रहा है, तो उसी आधार पर, याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्तियों और 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में अधिवास करने वाले सभी समान रूप से स्थित व्यक्तियों को छूट का लाभ दिया जाना चाहिए, भले ही उनके नाम वर्तमान में सिक्किम विषयों के रजिस्टर में पंजीकृत न हों, ताकि ऐसे व्यक्तियों के साथ भेदभाव की बुराई को दूर किया जा सके।68.12.इसलिए, याचिकाकर्ता और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्ति जो सिक्किम विषयों के रजिस्टर के तहत पंजीकृत नहीं हैं, अब उपरोक्त चर्चा को देखते हुए पंजीकरण की मांग कर सकते हैं क्योंकि उक्त रजिस्टर के तहत पंजीकरण आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत छूट बढ़ाने का आधार है। इसलिए, निर्देश जारी किए गए हैं ताकि याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों जैसे व्यक्तियों को शामिल किया जा सके।

ग

डी.

69. व्यक्तियों की दूसरी श्रेणी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके

भारत सरकार के 7 अगस्त, 1990 के आदेश आई. सी. आई. और 8 अप्रैल, 1991 के सम संख्या के आदेश और गृह विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा 16 अगस्त, 1990 को जारी अधिसूचना के आधार पर सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नाम पंजीकृत किए गए हैं।

ई.

69.1.सिक्किम सरकार के गृह विभाग द्वारा 21 जून, 1975 को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह घोषित किया गया था कि 16 मई, 1975 की तारीख को सिक्किम राज्य में नागरिकता अधिनियम, 1955 लागू होगा और नागरिकता नियम, 1956 भी उपरोक्त तारीख से लागू किए गए थे।वास्तव में, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने सिक्किम (नागरिकता) आदेश, 1975 जारी किया।उपरोक्त आदेश के खंड (2) के अनुसारः

च

जी.

"प्रत्येक व्यक्ति जो 26 अप्रैल, 1975 से तुरंत पहले सिक्किम विषय विनियमन, 1961 के तहत सिक्किम का विषय था, उस दिन भारत का नागरिक बन गया होगा।

एच.

361

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

क.

इसके अलावा, नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने सिक्किम नागरिकता (संशोधन) आदेश, 1989 के आधार पर सिक्किम नागरिकता आदेश, 1975 में संशोधन किया, जिसके तहत सिक्किम (नागरिकता) आदेश, 1975 के पैराग्राफ 2 में एक परंतुक जोड़ा गया, जो इस प्रकार हैः

"बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम उक्त विनियमन के तहत बनाए गए रजिस्टर में दर्ज होने के योग्य था, लेकिन किसी भी वास्तविक चूक के कारण ऐसा दर्ज नहीं किया गया था, उसे भी उस दिन भारत का नागरिक माना जाएगा यदि केंद्र सरकार द्वारा ऐसा निर्धारित किया जाता है।

69.2.भारत सरकार के 20 मार्च, 1989 के आदेश No.26030/69/88-I.C.I द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सिक्किम नागरिकता (संशोधन) आदेश, 1989 के संदर्भ में वास्तविक चूक के मामलों पर विचार करने के उद्देश्य से 20 मार्च, 1989 को एक समिति का गठन किया गया था।इसके अलावा, इस आदेश द्वारा, उन व्यक्तियों के नामों पर विचार करने के लिए मानदंड के रूप में दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिन्हें सिक्किम विषयों में पंजीकृत होने के लिए छोड़ दिया गया था।उक्त मानदंड निम्नानुसार हैंः- "एम. एच. ए. आदेश एन. 0.26030 69/88-आई. सी. आई. दिनांकित 20.03.1989 दिशानिर्देशों का अनुलग्नक

ग

डी.

ए। व्यक्ति के प्राकृतिक वंशज जिनका नाम सिक्किम विषय रजिस्टर में है।

ई.

बी। 26 अप्रैल, 1975 से पहले सिक्किम के भीतर कृषि भूमि या ग्रामीण संपत्ति पर स्वामित्व या किरायेदारी अधिकार दर्ज करने वाला व्यक्ति और उसके प्राकृतिक वंशज।

ग. वे व्यक्ति जिनका नाम 26 अप्रैल, 1975 से पहले सबसे पहले उपलब्ध मतदाता सूची में शामिल किया गया है, और उनके स्वाभाविक वंशज।घ. 26 अप्रैल, 1975 से पहले एक नियमित सरकारी नौकरी रखने वाले व्यक्ति ने प्रावधान किया कि नियुक्ति गैर-विषयों और उनके प्राकृतिक वंशजों से संबंधित 'अपवाद' खंड के तहत नहीं की गई है।

च

जी.

ङ. 26 अप्रैल, 1975 से पहले अधिसूचित बाजार क्षेत्रों के बाहर व्यापार लाइसेंस धारक और उनके प्राकृतिक वंशज।

च. उसे वर्क परमिट के आधार पर सिक्किम के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए था।

छ. उसने किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं की होगी।

एच.

ज. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर उसे शरणार्थी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए।

((ए) से (ई) तक अकेले या सामूहिक रूप से निर्धारित मानदंडों को नागरिकता देने के लिए निर्णायक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाता है, बल्कि (एफ), (जी) और (एच) के आलोक में उनकी जांच करनी होगी।"

69.3.इसके अलावा, भारत सरकार ने 8 अप्रैल, 1991 के आदेश के माध्यम से अधिसूचना जारी की और उक्त आदेश में कहा गया है कि बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति थे जो 1961 के विनियमन के अनुसार 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले सिक्किम विषयों के रूप में रजिस्टर में दर्ज होने के योग्य थे, जिन्हें वास्तविक चूक के कारण दर्ज नहीं किया गया था।वास्तविक चूक के उक्त मामलों की समीक्षा की गई और यह सिफारिश की गई कि 73,431 व्यक्तियों के नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में शामिल किए जाने के योग्य माने जाएं।भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मामलों पर विचार करने के बाद पाया कि 33,348

व्यक्ति सिक्किम विषयों के रजिस्टर के तहत पंजीकृत होने के पात्र थे और सिक्किम (नागरिकता) आदेश, 1975 के संदर्भ में 26 अप्रैल, 1975 से उन्हें भारत का नागरिक माना गया था।

ग

डी.

69.4.7 अगस्त, 1990 और 8 अप्रैल, 1991 के उपरोक्त सरकारी आदेशों के आधार पर यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति 26 अप्रैल, 1975 से ठीक पहले सिक्किम विषयों के रजिस्टर में पंजीकृत होने के हकदार थे, लेकिन वास्तविक चूक के कारण पंजीकृत नहीं थे, उन्हें भारत के नागरिकों के रूप में उक्त सरकारी आदेशों के आधार पर उक्त रजिस्टर में पंजीकृत किया जाना है और छूट का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।इस प्रकार, सिक्किम विषयों के रजिस्टर में पंजीकृत सभी व्यक्ति भारत सरकार के उपरोक्त आदेशों के आधार पर भारत के नागरिक बन गए।इसलिए, यह एक आवश्यक संगतता थी कि भारत का नागरिक बनने के लिए, एक व्यक्ति को सिक्किम विषयों के रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए।उक्त रजिस्टर के तहत आगे पंजीकरण ऐसे व्यक्तियों को आयकर के भुगतान से छूट का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।लेकिन याचिकाकर्ताओं जैसे व्यक्ति और सभी समान रूप से स्थित व्यक्ति अब तक छूट के लाभ के हकदार नहीं हैं क्योंकि उनके नाम उक्त रजिस्टर में पंजीकृत नहीं हैं।69.5.इसके अलावा, सिक्किम वर्क परमिट नियम, 1965 के तहत भी, एक भारतीय नागरिक को सिक्किम में विदेशी नहीं माना जाता था।इस प्रकार, सभी भारतीय नागरिक जो 26 अप्रैल, ए तक सिक्किम में अधिवासित हो गए हैं।

ई.

च

जी.

एच.

363

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

1975 आई. टी. अधिनियम, 1961 के तहत छूट खंड का लाभ दिया जाना चाहिए।यह उन व्यक्तियों के बीच असमानता को समाप्त करने के लिए है जो अब 26 अप्रैल, 1975 से पहले सिक्किम में बसे/अधिवासित भारत के नागरिक हैं।इसलिए, इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत स्पष्टीकरण को अधिकार से बाहर होने के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके।

70. व्यक्तियों की तीसरी श्रेणी वे हैं, जिनके नाम

सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं आते हैं, लेकिन यह संदेह से परे स्थापित किया जाता है कि ऐसे व्यक्तियों के पिता या पति या एक ही पिता के दादा या भाई का नाम उस रजिस्टर में दर्ज किया गया है।

ग

70.1.जहाँ तक इन श्रेणियों के व्यक्तियों का संबंध है, यह संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या पैतृक दादा या भाई का नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया है।ऐसे मामले में, भले ही किसी व्यक्ति का नाम आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (26 ए. ए. ए.) के उद्देश्य से सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं आता है, एक सिक्किमवासी उक्त अधिनियम के उक्त प्रावधान के लाभ का हकदार है। यह पूर्वजों के अधिवास या व्यक्ति के करीबी संबंधों की अवधारणा के आधार पर है।इसलिए, छूट खंड का लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों की ऐसी श्रेणी को भी शामिल किया गया है।

डी.

ई.

71. स्पष्टीकरण के विश्लेषण पर, यह सामने आएगा कि सिक्किम विषयों का रजिस्टर एक सिक्किमवासी को आई. टी. अधिनियम, 1961 के तहत आयकर के भुगतान से छूट देने का आधार है।इसलिए, भारत सरकार ने 26 अप्रैल, 1975 को सिक्किम के भारत के साथ एक राज्य के रूप में विलय के बाद भी 7 अगस्त, 1990 और 8 अप्रैल, 1991 को सरकारी आदेश जारी करके सिक्किम विषयों के रजिस्टर में व्यक्तियों के नाम दर्ज करने का अवसर दिया है।इसके अलावा, उन व्यक्तियों के नाम जो सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं आते हैं, लेकिन यह संदेह से परे स्थापित है कि ऐसे व्यक्ति के पिता या पति या एक ही पिता के दादा या भाई के नाम उस रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं, उन्हें भी उक्त रजिस्टर में शामिल किया जा सकता है।इसलिए, अभी तक, यदि किसी व्यक्ति का नाम रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति का नाम आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के आधार पर रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है।स्पष्टीकरण के खंड (iii) को प्रदान करने का उद्देश्य, जो एक सर्वव्यापी खंड की प्रकृति में है, धारा 10 (26 एएए) के तहत छूट का लाभ बढ़ाना है।

च

जी.

एच.

आई. टी. अधिनियम, 1961 सभी सिक्किमियों को उसमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार उन व्यक्तियों को, जिनके नाम रजिस्टर में नहीं हैं, उक्त रजिस्टर में अपना नाम पंजीकृत कराने का अवसर प्रदान करता है ताकि उपरोक्त प्रावधान के अनुसार आयकर के भुगतान से छूट का लाभ उठाया जा सके।

72. इस प्रकार, उद्देश्य केवल उन सिक्किमियों को आयकर के भुगतान से छूट प्रदान करना है जो 1961 के विनियमन के संबंध में या भारत सरकार द्वारा 7 अगस्त, 1990 या 8 अप्रैल, 1991 को जारी किए गए सरकारी आदेशों के आधार पर सिक्किम में अधिवासित थे, जो फिर से 1961 के विनियमन पर आधारित हैं।इसलिए, स्पष्टीकरण के खंड (iii) के तहत, उन व्यक्तियों को अवसर प्रदान करना होगा जो आई. टी. अधिनियम, 1961 के उक्त खंड के दायरे और दायरे में आते हैं, यदि अभी तक पंजीकृत नहीं हैं तो अपने नाम पंजीकृत कराने के लिए।73. हालाँकि, मेरे विचार में, स्पष्टीकरण केवल उन सिक्किम के व्यक्तियों के लिए छूट को सीमित करता है जो स्पष्टीकरण के तीन खंडों के भीतर आते हैं, क्योंकि छूट का उद्देश्य और उद्देश्य केवल सिक्किम में बसने वालों या 1961 के विनियमन या ऊपर निर्दिष्ट सरकारी आदेशों के संदर्भ में सिक्किम में अधिवासित व्यक्तियों को छूट देना है।यद्यपि 1961 के विनियम को निरस्त कर दिया गया है, फिर भी, सिक्किम विषयों का रजिस्टर, जिसे उक्त विनियम के तहत बनाए रखा गया है, जो एक पवित्रता प्राप्त कर चुका है, छूट देने का आधार रहा है और विशेष रूप से आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के रूप में।इसका तात्पर्य यह होगा कि वे सभी व्यक्ति जो स्पष्टीकरण के दायरे और दायरे से बाहर आते हैं, उन्हें छूट नहीं दी जाएगी।फिर, याचिकाकर्ताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव के सवाल उठेंगे।74. वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक बन गए हैं और 26 अप्रैल, 1975 तक सिक्किम में अधिवासित थे, वे भी पंजीकरण और छूट के लाभ के हकदार हैं।इस प्रकार, मेरे विचार में, 26 अप्रैल, 1975 तक सिक्किम में अधिवासित सभी व्यक्ति और जो तब से भारत के नागरिक बन गए हैं, वे आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के अनुसार आयकर के भुगतान से छूट के हकदार हैं।

ग

डी.

ई.

च

जी.

75. इसका कारण यह है कि सिक्किम का भारत में विलय हो गया और वर्ष 1975 में भारत के भीतर एक राज्य बन गया और भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-एफ के आधार पर इसे एक विशेष दर्जा दिया गया।इसका मतलब यह नहीं है कि सिक्किम में अधिवासित सभी व्यक्ति जिन्हें भारत का नागरिक माना गया है, वे छूट के हकदार हैं।केवल ऐसे व्यक्ति ही छूट के हकदार हैं जो स्पष्टीकरण के तीन खंडों के भीतर आते हैं।अतः ए.

एच.

365

सिकिम और ओ. आर. एस. के पुराने उपनिवेशों का संगठन।भारत का संघ और ए. एन. आर. [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

स्पष्टीकरण का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए क्योंकि यह आई. टी. अधिनियम, 1961 के तहत आयकर के भुगतान से छूट देने के उद्देश्य से "सिक्किम" अभिव्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति में है।हालाँकि, छूट को ऐसे सभी व्यक्तियों को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए जो 26 अप्रैल, 1975 को सिक्किम में अधिवासित हैं और जो तब से भारत के नागरिक बन गए हैं। इसका मतलब यह होगा कि भारत के अन्य सभी नागरिक जो ऊपर बताए गए स्पष्टीकरण के दायरे में नहीं आते हैं और जो 26 अप्रैल, 1975 के बाद सिक्किम राज्य में अधिवासित हैं, उन्हें आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत छूट का लाभ नहीं मिलेगा।

76. उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में, स्पष्टीकरण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 15 का उल्लंघन करने से बचाया जाना चाहिए क्योंकि स्पष्टीकरण के तीन खंडों में तर्क है जो एक उचित वर्गीकरण है जो प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ एक संबंध रखता है, जो केवल उन व्यक्तियों को आयकर के भुगतान से छूट प्रदान करना है जो आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण के संदर्भ में 'सिक्किम' के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे।इस प्रकार, कोई भी व्यक्ति जो उक्त खंड के अंतर्गत नहीं आता है, वह उक्त छूट का हकदार नहीं होगा।हालाँकि, जहाँ तक सिक्किम में बसने वालों का संबंध है, यह भेदभावपूर्ण होगा, जो 1961 के विनियमन की घोषणा के बाद और 26 अप्रैल, 1975 तक सिक्किम में निवास कर चुके हैं, जब सिक्किम का भारत में विलय हुआ था।ऐसे व्यक्ति पुराने बसने वाले हैं जो 26 अप्रैल, 1975 से भारत के नागरिक बन गए हैं, लेकिन जो उक्त तिथि से पहले सिक्किम में अधिवासित थे।मेरे विचार में, वे धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत छूट के भी हकदार हैं।इसलिए, विधायी रिक्तता को भरने के लिए उस संबंध में निर्देश जारी किए जाने चाहिए और स्पष्टीकरण में संशोधन आवश्यक है।हालाँकि, वे व्यक्ति जो 26 अप्रैल, 1975 के बाद सिक्किम में अधिवासित हुए हैं, वे आयकर के भुगतान से छूट के लाभ के हकदार नहीं होंगे।

ग

डी.

ई.

च

77. इस न्यायालय ने पिछले अवसरों पर विधायी रिक्तता के क्षेत्रों में भी नागरिकों के अधिकारों को लागू करने की मांग की है। [उदाहरण के लिए, विशाखा में

और ओआरएस बनाम।राजस्थान राज्य, ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 3011]।इसके लिए,

जी.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 को लागू किया गया है और रिक्तता को भरने के लिए इस तरह से घोषित कानून को इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 141 के तहत घोषित कानून के रूप में माना गया है जब तक कि एक उचित कानून नहीं बनाया जाता है।

इसलिए, यह निर्देश दिया जाना चाहिए कि जब तक आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण में इस तरह का संशोधन नहीं किया जाता है,

26 अप्रैल, 1975 तक सिक्किम में अधिवासित सभी व्यक्ति चालू वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2022 से उक्त प्रावधान के तहत छूट के हकदार होंगे।यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है ताकि सिक्किम की उपरोक्त श्रेणी के संबंध में भेदभाव और असमानता को समाप्त किया जा सके, जो बाद में 26 अप्रैल, 1975 से भारत के नागरिक बन गए हैं और स्पष्टीकरण को ऐसे व्यक्तियों की तुलना में असंवैधानिक होने से बचाया जा सके जो सिक्किम का एक छोटा प्रतिशत बनाते हैं और जो ऐसी छूट के हकदार भी हैं।आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण को निरस्त करने के बजाय ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है जिसका प्रभाव उन श्रेणियों के व्यक्तियों से भी छूट का लाभ वापस लेने पर होगा जो वर्तमान में इसके लिए पात्र हैं।

ग

78. इसलिए, जब तक संशोधन नहीं किया जाता है, निम्नलिखित खंड को आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण के एक भाग के रूप में पढ़ा जाएगा, संभवतः इसके उपखंड (iv) के रूप में:

डी.

"((iv) कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं है, लेकिन यह स्थापित किया गया है कि ऐसा व्यक्ति 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित था।"

यह प्रावधान उन व्यक्तियों को छूट का लाभ देगा, जो 26 अप्रैल, 1975 को भारत में विलय के दिन सिक्किम में अधिवासित थे।

ई.

79. परिणामस्वरूप, रिट याचिकाओं का निपटारा निम्नलिखित रूप में किया जाता है:

शर्तें:

i) कि वर्तमान में आय-कर छूट का लाभ केवल उन सिक्किमियों तक ही सीमित है जो आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण के तीन खंडों के भीतर आते हैं, या वे व्यक्ति जो सिक्किम में अधिवासित हैं, या 1961 के विनियमन के तहत सिक्किम के निवासी हैं।

च

ii) भारत सरकार द्वारा जारी सिक्किम (नागरिकता) संशोधन आदेश, 1989 द्वारा संशोधित सिक्किम (नागरिकता) आदेश, 1975 के संदर्भ में, कोई भी व्यक्ति जो 1961 के विनियमन के तहत सिक्किम का विषय था, उसे 26 अप्रैल, 1975 से भारत का नागरिक माना जाना था।इसके विपरीत, यह माना जाता है कि भारत के सभी नागरिक, जिनका सिक्किम में निवास है, जिस दिन इसका भारत में विलय हुआ था, यानी 26 अप्रैल, 1975 को स्पष्टीकरण के तहत शामिल किया जाना चाहिए ताकि ए का लाभ उठाया जा सके।

जी.

आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के तहत छूट।

iii) भारत संघ आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण में संशोधन करेगा, ताकि 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित सभी भारतीय नागरिकों को आयकर के भुगतान से छूट देने के लिए एक खंड उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सके।इस तरह के निर्देश का कारण असंवैधानिकता से स्पष्टीकरण को बचाना और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में समानता सुनिश्चित करना है।

iv) जब तक संसद द्वारा आई. टी. अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 ए. ए. ए.) के स्पष्टीकरण में ऐसा संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी व्यक्ति जिसका नाम सिक्किम विषयों के रजिस्टर में नहीं आता है, लेकिन यह स्थापित हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति 26 अप्रैल, 1975 को या उससे पहले सिक्किम में अधिवासित था, छूट के लाभ का हकदार होगा।

ग

यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है ताकि सिक्किम की उपरोक्त श्रेणी के संबंध में भेदभाव और असमानता को समाप्त किया जा सके, जो बाद में 26 अप्रैल, 1975 से भारत के नागरिक बन गए हैं और स्पष्टीकरण को असंवैधानिक होने से बचाया जा सके।

डी.

ई.

v) धारा 10 (26 एएए) का प्रावधान, जहां तक इससे बाहर है

छूट प्राप्त श्रेणी**,** "एक सिक्किम महिला जो **1** अप्रैल**, 2008** के बाद एक गैर**-**सिक्किम पुरुष से शादी करती है**"** को भारत के संविधान के अनुच्छेद **14,15** और **21** के अधिकार से बाहर होने के रूप में निरस्त कर दिया जाता है।**"**

दल अपन-अपन लागत वहन करत।

च

बिभूति भूषण बोस

निपटाई गई लिखित याचिकाएँ (अभिषेक प्रताप सिंह और शुभांशु दास, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)

जी.

एच.